खण्ड-379, अंक-3
बुधवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1908
(4 मार्च, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 379 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 4-3-1987

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	
औसान सिंह, श्री	इटावा		शाहजहांपुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
कुशलपाल सिंह, श्री	मथुरा	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
धनराज यादव, श्री	बस्ती	सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
निसार हुसैन, श्री	रामपुर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बदन सिंह, श्री	आगरा	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट—श्री अम्मार रिजवी मा0मंत्री, श्रीमती दीपा एवं कु0 सरस्वती अम्माल माननीय राज्य मन्त्री भी सदन में अनुपस्थित थे।

आज की कार्यसूची के प्रश्नों को निलम्बित करके औचित्य के प्रश्नों को लिए जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज नियमावली के सारे नियमों को निलम्बित करके और जो प्रश्न आज रखे गए हैं उनको निलंबित करके औचित्य के सवाल को लेना चाहिए । उसका कारण यह है कि यह सरकार बार-बार यह वायदा करती रही है कि तीन सत्र बुलाए जायेंगे और 90 दिन का सत्र चलेगा । आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्याएं हैं । पहले भी समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं के बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया गया है । कानपुर में जाजमऊ पुल पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई . . . .

श्री अध्यक्ष–

यह आप प्रश्नों के समय उठा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अयोध्या में भी परिक्रमा के अवसर पर सरकार और अधिकारियों की लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, शिक्षकों और छात्रों में इतना बड़ा असन्तोष और गोमती के प्रदूषण को लेकर आज पूरे लखनऊ के अन्दर असन्तोष व्याप्त है । (व्यवधान) किसानों की पैदावार की लूट, आलू की समस्या, गन्ना किसानों की लूट और धान में भी लूट पर विचार होना है ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

चार दिन इसी पर चर्चा चलनी है । यह प्रश्नों का समय है ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 56 में उठा सकते हैं . . .

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सदन इस समय पांच दिन के लिए बुलाया गया है । इन समस्याओं पर इतने कम समय में विचार नहीं हो सकता । इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी . . .

श्री मुलायम सिंह यादव–

4-5 दिन के अन्दर इन सारी समस्याओं के ऊपर विचार नहीं हो सकेगा । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज प्रश्नों को न लेकर उसको निलम्बित करके औचित्य के सवाल को लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इटावा द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है नियमों को निलंबित करने का, उसका मैं समर्थन करता हूं । इसी इश्यू पर मैंने भी एक औचित्य का प्रश्न दे रखा है । आज सरकार अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाना चाहती है और इस सदन को विश्वास में नहीं लेना चाहती। इतना ही नहीं, यह सरकार नियमावली की अवहेलना ही नहीं करती बल्कि अपने द्वारा ही निर्धारित प्रोटोकाल का पालन नहीं करती है । महामहिम राष्ट्रपति जब उत्तर प्रदेश में आए तो यहां की मुखिया ने सरकार के स्वयं प्रोटोकाल का पालन नहीं किया तथा महामहिम राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की अगवानी में जाने से भी रोका । आज प्रदेश के अन्दर जिस तरह से असाधारण स्थिति पैदा हो गई है, उसी सिलसिले में मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है और आपसे प्रार्थना है कि आप नियमों को निलंबित करके उन पर पहिले चर्चा करा दें । आज इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि साल में तीन अधिवेशन हों और 90 दिन का उपवेशन हो । . . . (व्यवधान)। इसे सरकार करेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह मामला आप जीरो आवर में उठा सकते हैं ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जीरो आवर में भी उठा सकते हैं । लेकिन एक तरफ नियमावली में स्पष्ट दिया हुआ है कि 90 दिन का सदन होगा और तीन सिटिंग्स होंगी– शीतकालीन, वर्षाकालीन और बजट सत्र । लेकिन इस सरकार ने बजट सत्र नहीं बुलाया, शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया । यह नियमों का खुला उल्लंघन है । एक बार नहीं, बार-बार यह सरकार कहती रही है कि. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह जी. . . . (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी मदद कर रहा हूं । आप निर्देश देते हैं कि 3 सत्र होने चाहिए लेकिन आपकी बात की अनसुनी की जाती है । पिछले अधिवेशन में इन्होंने वायदा किया था कि तीन सत्र बुलाए जायेंगे लेकिन नहीं बुलाए गए । आज प्रदेश के अन्दर अनेकों समस्याएं खड़ी हो गई हैं । इस 5 दिनों के अधिवेशन में पूरी तरह से उन समस्याओं पर विचार नहीं हो सकता ।

आज मान्यवर, जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त है किसानों को बिजली की आवश्यकता है इसी संदर्भ में शामली में जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, गोली चली और 3 आदमियों की मृत्यु हो गयी। फैजाबाद में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी सरकार ने कहा कि इन्क्वायरी करायेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिक्षकों की, कर्मचारियों की इतनी बड़ी हड़ताल हो गयी, तो उस सम्बन्ध में हम एम0 एल0 एज0 अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारा यहां आने का क्या औचित्य है ? हम केवल इसलिए आते हैं कि भत्ता लें और दस्तखत करके चले जायं । इस तरह हमारा कोई औचित्य रह नहीं गया है इस सदन में बैठने का । प्रदेश की समस्याओं की तरफ इस सरकार ने नकारात्मक रुख अपना रखा है। इस 6 तारीख को माननीय कल्याण सिंह जी की पार्टी की रैली हो रही है, उसके बाद 8 तारीख को मुलायम सिंह जी की पार्टी की रैली है और 9 तारीख को हमारी पार्टी की रैली है लेकिन उसमें लोग न आ सके इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लोगों को आने न दिया जाय, बसों के परमिट न दिये जायं। तो यह जनतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात है । इसलिये जनता पार्टी ने तथा और भी विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि विपक्ष इस सत्र का बहिष्कार करेगा। सदन से हम लोग बाहर जायेंगे। (व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी कहना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के नेता बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं एक मिनट एक और बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अवहेलना कर रही है। हमारे यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय रामअवध सिंह जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे, का देहान्त हो गया जो मुख्य मंत्री जी के गुरु रह चुके हैं। वहां के जिला प्रशासन ने उनकी मृत्यु पर राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया। वह सदस्य रह चुके हैं और उनका कोई रेफरेंस सदन में नहीं आया। इसलिये इस सरकार को एक मिनट शासन में रहने का अधिकार नहीं है।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, एक मिनट मैं भी लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो औचित्य का प्रश्न दिया है।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, इस सदन को साल में 3 बार बैठना चाहिये लेकिन नहीं बैठ रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों का आज हनन हो रहा है। प्रदेश की समस्यायें विकराल रूप धारण कर रही हैं। शांतिपूर्ण लोगों पर लाठी-डंडे बरसाये जा रहे हैं। बदमाश और पुलिस आये दिन लोगों की हत्यायें कर रहे हैं। छात्रों का दमन हो रहा है। इन सब समस्याओं को यहां उठाने का हमारे पास समय नहीं है तो फिर यहां आने का क्या औचित्य है? मेरा एक और सबसे बड़ा मददा यह है कि यह सरकार जनतंत्र का गला घोट रही है। 6 मार्च को हमारी पार्टी की तरफ से यहां एक रैली होने जा रही है...

श्री अध्यक्ष–

आपने तो औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री कल्यान सिंह–

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों की रैली 6 मार्च को आयोजित की गयी है। यह शांतिपूर्ण रैली होगी जिसमें किसानों के हितों और उनके अधिकारों की बात उठाई जायेगी। लेकिन इस सरकार ने 20 फरवरी को अति गोपनीय रेडियोग्राम से एक आदेश डी0 एम0, आर0 टी0 ओ0 और कमिश्नर आदि को दिया है कि बसों का परमिट न दिया जाय, जो दिये हैं उनको कैंसिल कर दिया जाय ताकि लोग रैली में न आ सकें और कहा है कि इसको डिसकरेज किया जाय। मैं समझता हूं कि डिस्करेज करने के लिये अधिकारी हाथ जोड़ कर भाषण नहीं देंगे बल्कि लोगों पर लाठियां और गोलियां चलायेंगे। हम इसी सिलसिले में पहली तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं और 2 तारीख को आपकी उपस्थिति में मुख्य मंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है और यदि होंगे तो निरस्त कर देंगे लेकिन वह निरस्त नहीं हुये। कल हमने फिर मुख्य मंत्री जी से कहा वह कहते हैं संजय सिंह से बात करें। उनसे बात की तो वह कहते हैं कि हमें मालूम नहीं मुख्य सचिव से बात करें। तो मुख्य मंत्री परिवहन मंत्री से बात करने के लिये कहते हैं, परिवहन मंत्री से बात करें तो वह मुख्य सचिव से बात करने के लिये कहते हैं। मुख्य सचिव से बात की तो वह कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। कल परिवहन मंत्री के यहां मुख्य सचिव भी थे। तो उनसे यह बात कही तो उन्होंने कहा आधे घंटे बाद बात करें, लेकिन फिर उनसे बात नहीं हो पायी। 6 बजे तक उनसे बात नहीं हो पायी तो 7 बजे मुख्य मंत्री जी से बात करने का समय मिला था उनसे मिलने गये तो मुख्य मंत्री हमें नहीं मिले पता नहीं कहां चले गये।

न मालूम मुख्यमंत्री कहां चले गये। ऐसी स्थिति है। आज भी परमिट कैंसिल करने के आदेश वापस नहीं लिये गये हैं। मैं आपकी अनुमति से पैराफ्रेज आफ कोड टेलीग्राम नं0 होम यू0 पी0 टू डी0 एम0 (फोड) 56/1/22/86 एक्स-2 दिनांक 20-2-87 फ्राम, को पढ़ना चाहता हूं जिसकी प्रति आपको दे दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आपने औचित्य का प्रश्न उठाया है, तो उसे प्रश्नोत्तर काल के बाद उठायेंगे तो सुन लूंगा। अभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने पहले आपसे यही प्रार्थना किया था कि नियमों का निलम्बन करके औचित्य के प्रश्न को सुन लिया जाये।

श्री कल्यान सिंह–

मेरी प्रार्थना है कि नियमों का निलम्बन करके मेरे औचित्य के प्रश्न को सुन लिया जाये। तो मैं आपकी अनुमति से टेलीग्राम दिनांक 20-2-87 को पढ़ रहा हूं–

स्टेट लेवेल किसान रैली बीइंग आर्गनाइज्ड बाई भारतीय जनता पार्टी एट विधान भवन लखनऊ सिक्सथ मार्च। किसान फ्राम आल ओवर यू0 पी0 इन लार्ज नम्बर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन रैली। दे मे ट्रेवेल बाई वेरियस मोड्स आफ ट्रान्सपोर्ट. सिन्स विधान मण्डल दिल बी इन सेशन इट वुड नाट बी प्रापर टू हैव लार्ज कांग्रागेशन फ्राम ला एण्ड आर्डर प्वाइन्ट आफ व्यू. हेन्स डिस्करेज लाईकली पार्टिसिपेन्ट्स टू कम लखनऊ-नान रिपीट नो टेम्परेरी परमिट्स फ्राम बसेज शुड बी इश्यूड बाई डी0 एम0'स एण्ड आर0 टी0 ओज0 फार रैली. कमीशनर टू इन्सट्रक्ट आर0 टी0 ओज एकार्डिंगली. डी0 एम0/एस0 एस0 पीज0 इन्टीमेट नम्बर आफ लाइकली पार्टिसिपेन्ट्स टू डी0 एम0/एस0 एस0 पी0 लखनऊ एण्ड होम यू0 पी0 एण्ड इन्टेलीजेन्स हेडक्वार्टर्स।

डी0 एम्स टू नोट दैट इन फ्यूचर नो परमिट्स रिपीट नो परमिट शुड फार एनी रैली एज मे बी आर्गनाइज्ड इन लखनऊ बाई एनी पार्टी आर आर्गनाइजेशन सिमिलर इन्सट्रक्शन्स विल अप्लाई टू आल दोज हू मे प्लान टू गो इन ग्रुप्स टू प्लेसेज आउटसाइड दिस स्टेट फार पार्टिसिपेशन इन रैलीज।
नं0 1295/एस टी डी0 एम0 ला एण्ड आर्डर्स/87

टाप सिक्रेट

डेटेड फरवरी 21, 1987

आर0 टी0 ओ0, कानपुर

इट हैज बीन डिसाइडेड इन आर0 टी0 एज0 मीटिंग्स दैट नो टेम्पररी परमिट्स वुड बी इश्यूड एक्सेप्ट इन केसेज हूज रिन्यूवल आफ ओल्ड परमिट्स इज पेन्डिंग फार वान्ट फार फारमैलिटीज आर कानविनिंग आफ आर0 टी0 ए0 मीटिंग. प्लीज नोट दैट नो टेम्पररी परमिट्स शुड बी इश्यूड बाई एनी आफ यू.

कमिश्नर

इलाहाबाद डिवीजन

इलाहाबाद

(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

यह बेशर्मी से बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। इनके रहमोकरम पर हम जियेंगे। क्या इनकी दी रोटी हम खाते हैं ? यह अपने आपको क्या समझते हैं?

श्री अध्यक्ष–

औचित्य के प्रश्न को आप प्रश्नोत्तर काल के बाद उठा सकते हैं। आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0–1–श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने पर]

(घोर व्यवधान) (विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

नियमों का निलम्बन करके औचित्य के प्रश्न को आप पहले लें और प्रश्नोत्तर काल के बाद में लें तो हाउस चलेगा अन्यथा हाउस नहीं चलेगा। (घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य अपने आसन छोड़कर सदन के फ्लोर पर आ गये।)

(तानाशाही नहीं चलेगी, जनतंत्र विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे लगाये गये।)

श्री अध्यक्ष–

नियमों को निलम्बित नहीं किया जायगा।

(किसान विरोधी यह सरकार–नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, के नारे लगाते हुए विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने आगे बढ़ने से रोका और सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित कर दी गयी। 11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

तदुपरान्त 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही मा0 अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जीवन दायिनी वस्तुओं पर से बिक्रीकर हटाकर नशीले पदार्थों पर बिक्रीकर लगाने की मांग

**1–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण हैं जिनके फलस्वरूप प्रदेश में भांग-गांजा, चरस पर कोई बिक्रीकर नहीं है और दवाइयों तथा डबल रोटी जैसी जीवन दायिनी वस्तुओं पर बिक्रीकर है ? क्या सरकार तत्काल इन जीवन दायिनी वस्तुओं पर बिक्रीकर समाप्त करके नशीले पदार्थों पर बिक्री कर लगाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

प्रशासनिक सुविधा एवं भांग पर बिक्री कर अपवंचन की संभावनाओं के निराकरण की दृष्टि से मांग पर देय बिक्रीकर के आयात को आबकारी शुल्क में संविलीन करने का निश्चय किया गया था । तदनुसार 1 नवम्बर, 1985 से भाग को बिक्रीकर से मुक्त कर दिया गया और आबकारी शुल्क 8 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित कर दिया गया । जहां तक गांजा तथा चरस का संबंध है, उसकी बिक्री किया जाना विधिवत सम्भव नहीं है। अतएव उसे कर योग्य या कर मुक्त रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

नशीले पदार्थों पर किसी न किसी रूप में कर पहले से ही लगाया जा रहा है । राजस्व की दृष्टि से दवाइयों तथा डबल रोटी को बिक्रीकर से मुक्त करना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में वेतन समिति का गठन

**2–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते केन्द्रीय कर्मचारियों के समान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों की समानता की मांग की पूर्ति की संभावनाओं तथा विभिन्न भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के सुधार हेतु युक्तिसंगत संस्तुति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक वेतन समिति गठित कर दी गयी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले में भवन नाले से होने वाली क्षति के स्थायी समाधान की मांग

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में भवन नाले द्वारा किसानों को हुई अत्यधिक क्षति के बारे में देवरिया जिले के जिलाधिकारी के सामने दिनांक 16-12-86 को कप्तानगंज में जनता का विशाल प्रदर्शन हुआ था और जनता के प्रतिनिधि मण्डल ने उन्हें मांग पत्र दिया था जिस पर उन्होंने उसी दिन मौका मुआइना किया था और जनता को राहत देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी और भवन नाले की विनाश लीला समाप्त करने का कौन सा स्थायी समाधान किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 16-12-85 को कप्तानगंज में जनता का विशाल प्रदर्शन होने, जनता के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मांग पत्र दिये जाने, जिलाधिकारी के निरीक्षण करने तथा जनता को राहत देने संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । तत्कालीन जिलाधिकारी का स्थानान्तरण भी हो चुका है ।

जहां तक भवन नाले से क्षति का प्रश्न है उसका स्थायी समाधान तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है । नाले की सफाई तथा इसकी चौड़ाई ठीक करके क्षति को केवल कम किया जा सकता है ।

[बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मथुरा जनपद में मांट ब्रांच गंगा नहर के पानी का शेयर बढ़ाने की मांग

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा का रबी की फसल का शेयर मात्र 30 प्रतिशत व खरीफ का मात्र 10 प्रतिशत है जो कि संबंधित इलाके की फसलों की सिंचाई के लिए अपर्याप्त है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शासन मथुरा जनपद की खारी पानी की समस्या को देखते हुए पानी का शेयर बढ़ाने का कष्ट करेगा ?यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रबी फसल में, ऊपरी गंगा नहर में उपलब्ध जल मात्रा का 30 प्रतिशत जल का हिस्सा, मांट शाखा का है। खरीफ की फसल में जल का हिस्सा वर्षा ऋतु की पूर्व की प्रथम अवधि (अप्रैल-मई के 8 सप्ताह) में 10·9 प्रतिशत, द्वितीय अवधि (जून के 4 सप्ताह) में 16·3 प्रतिशत तथा अंतिम अवधि (जुलाई से फसल के अन्त तक) में 14·6 प्रतिशत अर्थात कुल खरीफ फसल में औसतन लगभग 14 प्रतिशत है । रबी की फसल व खरीफ फसल की प्रथम अवधि (अप्रैल-मई के 8 सप्ताह) हेतु उपलब्ध जल मात्रा अपर्याप्त है ।

नहरों की विभिन्न शाखाओं/रजवाहों/ अल्पिकाओं की क्षमता उनके कृषि योग्य क्षेत्रफल के अन्दर प्रस्तावित क्षेत्र के आधार पर होती है और तद्नुसार जल वितरण किया जाता है ।

मथुरा जनपद के वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र में, रबी की फसल के लिए अधिक जल उपलब्ध कराने हेतु तथा यथासम्भव अधिक से अधिक नये क्षेत्र को सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गंगा घाटी में कई जलाशय परियोजनायें प्रस्तावित व निर्माणाधीन हैं जिनके पूर्ण होने पर वर्षा ऋतु में व्यर्थ बहने वाले पानी को संचित करके आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा सकेगा।

खरीफ की फसल में मध्य गंगा नहर से मांट शाखा के मील 46 पर 1955 क्यूसेक अतिरिक्त पानी सिंचाई हेतु दिया जाना प्रस्तावित है । इससे खरीफ की फसल में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

निदेशक, श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ में लेखा एवं अधिष्ठान में विगत तीन वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची

*2–श्री द्वारिका प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय निदेशक श्रम एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ में लेखा एवं अधिष्ठान अनुभाग से सम्बद्ध कौन-कौन ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो विगत तीन वर्षों से एक ही मेज पर कार्यरत हैं ? विभाग के कार्यों में स्वच्छता नियमितता उत्पन्न करने एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगों को कब तक अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में लेखा एवं अधिष्ठान अनुभाग से सम्बद्ध विगत तीन वर्षों से एक ही मेज पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

वित्त (वेतन आयोग) की संस्तुति के अनुसार लेखा संवर्ग तथा लिपिकीय संवर्ग को अलग-अलग किया जाना है, जिसके

संबंध में कार्यवाही की जा रही है । ऐसी स्थिति में, परिशिष्ट "अ" में उल्लिखित लेखा अनुभाग के क्रम संख्या 1 से 5 तक के कर्मचारियों को अन्य अनुभागों में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। परिशिष्ट "अ" में उल्लिखित अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टि से तथा कार्यहित में अन्य अनुभागों में स्थानान्तरित करना उचित नहीं समझा गया । इनके विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की कोई शिकायत भी नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 125 पर)

जनपद नैनीताल में रामनगर के समीप कोसी नदी के कटाव के सम्बन्ध में शासन का विचार

*3–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल में रामनगर के समीप बहने वाली नदी कोसी से हुए कटाव के कारण वहां के कई गांवों को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो खतरा किस सीमा तक बढ़ गया है तथा कोसी नदी के तटबंध बनवा कर खतरे को कम करने के लिए शासन ने क्या-क्या कार्यवाही अभी तक की है और भविष्य में किस प्रकार की कार्यवाही करने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कोसी नदी से स्थानीय रूप से कृषि योग्य भूमि का लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में कटाव हुआ है लेकिन कोई आबादी प्रभावित नहीं हुई है । कोसी नदी से कटाव है किन्तु इस नदी से किसी प्रकार की जल प्लावन की समस्या न होने के कारण तटबन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

आगरा मण्डल में सीजनल हाट निरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिकायती-पत्र पर जांच

*4–श्री बाबूराम यादव–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मंडल में कितने सीजनल हाट निरीक्षकों की नियुक्ति मार्च, 86 से जून, 86 तक की गयी ? सीजनल हाट निरीक्षकों में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पूरे सीजन काम नहीं दिया गया और कितनों को वेतन नहीं दिया गया ? क्या यह सही है कि मण्डलीय प्रबन्धक आगरा द्वारा सीजनल हाट निरीक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र मा0 खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री जी को एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो वह पत्र क्या था और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रश्नगत अवधि में 98 हाट निरीक्षकों की नियुक्तियां की गई थीं । इनमें से 6 हाट निरीक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सीजन काम नहीं किया । केवल 4 हाट निरीक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया गया ।

मा0 प्रश्नकर्ता का संदर्भाधीन मात्र एक पत्र दिनांक 5-9-86 जो मा0 राज्य खाद्य मंत्री जी को संबोधित है, शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें मंडलीय प्रबन्धक, आगरा के विरुद्ध मुख्यत: नियुक्तियों में भ्रष्टाचार तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन देने में उत्पीड़न विषयक आरोप लगाये गये थे । साथ ही प्रसंगगत प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई थी । तदनुसार इस मामले में उ0 प्र0 राज्य खाद्य निगम के मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच कराई गयी, जिसमें साक्ष्य के अभाव में भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि

नहीं हो सकी । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त 6 हाट निरीक्षकों में से 2 हाट निरीक्षकों द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं बरतने के फलस्वरूप निगम को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति उनको देय भुगतान में से कर ली गई । शेष 4 हाट निरीक्षकों द्वारा अपने पद से संबंधित कार्यों का पूर्णरूपेण निस्तारण न किये जाने के कारण उनको वेतन भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

*5–श्री काशी सिंह ऐरी –

[3 रे शुक्रवार में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासन द्वारा मांट क्षेत्र में जेवर रजबहा का आधुनिकीकरण करने की योजना का प्रस्ताव

*6–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांट क्षेत्र में कौलाना माइनर से सैकड़ों गांव संबंधित हैं और सिंचाई का इसके अलावा कोई साधन इस क्षेत्र में नहीं है ? यह माइनर जेवर रजबहा से निकलती है और कौलाना माइनर में कभी-कभी थोड़ा सा पानी जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जेवर रजबहा की रिमोडलिंग कर कौलाना माइनर में पानी उचित मात्रा में दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी हां, कोलाना माइनर से कई गांवों की सिंचाई होती है । कोलाना माइनर जेवर रजबहा के मील 34-0-0 पर दांयें किनारे से निकली है । जेवर रजबहा के निचले भाग में स्थित होने के कारण माइनर में पानी की कमी रहती है ।

जेवर रजबहे की शीर्ष श्राव क्षमता 280 क्यूसेक्स से 400 क्यूसेक्स करने के लिए पुनरोद्धार किया जा चुका है, परन्तु पक्के कार्य अभी तक पुनरोद्धार नहीं किये जा सके हैं । पक्के कार्यों का पुनरोद्धार मांट शाखा के आधुनिकीकरण की परियोजना के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है, जिसका कार्य प्रगति पर है । कार्य पूर्ण होने पर कोलाना माइनर में जल-उपलब्धि में सुधार होने की संभावना है ।

शासन की एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की नीति को बदलकर लाटरी व्यवस्था करने की मांग

*7–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा पात्र व्यक्तियों को ऋण देने हेतु चयन प्रक्रिया को इनकी मर्जी पर न छोड़ कर, माननीय मंत्री जी लाभार्थियों के चयन हेतु लाटरी व्यवस्था शुरू करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी नहीं।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत नीति निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराकर ग्राम सभा की बैठक में स्वीकृति ली जाती है तथा अन्त्योदय के आधार पर योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लाभान्वित किया जाता है। इस नीति को बदल कर लाटरी व्यवस्था लागू किया जाना न तो केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार होगी और न ही यह व्यवहारिक एवं उपयुक्त होगा।

*8–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

*9–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

*10–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[करण सं0 26(1) के अंतर्गत उत्तरित]

जिला परिषदों में कर्मचारियों के वेतन भुगतान की नीति

*11–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि पंचायती राज की शीर्ष संस्था जिला परिषदों को सन् 1973 से उनके कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु कोई अनुदान नहीं मिल रहा है ? क्या मंत्री जी को यह भी पता है कि अनुदान के अभाव में कुछ जिलों में कर्मचारियों का वेतन 3 माह से लेकर 10 माह तक बकाया रहता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जी हां।

जिला परिषदें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं जिन्हें अपने स्रोतों से अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना होता है। कुछ जिलापरिषदों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है अतः उनके कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है।

बहराइच जनपद में सरजू नहर निर्माण परियोजना की प्रगति

*12–श्री मयंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में बनने वाली सरजू नहर निर्माण परियोजना प्रारम्भ करते समय कितनी लागत का लक्ष्य निर्धारित था? योजना कब तक पूरी होनी थी? दिनांक 30-6-86 तक इस योजना पर कितना व्यय हो चुका है तथा योजना कितनी पूरी हो चुकी है? कितना बनना शेष है? अभी इस पर कितना व्यय और होना संभावित है? शेष योजना कब तक पूरी होगी? इस पर बड़े पैमाने पर हो रहे जन-धन अपहरण की उच्चस्तरीय जांच कराने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सरयू नहर परियोजना की स्वीकृति वर्ष 1982 में रु0 299.20 करोड़ की गई थी।

वर्ष 1988-89 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था।

लगभग 184.10 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

विवरण संलग्न है।

पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन के अनुसार रु0 511.90 करोड़ का व्यय सम्भावित है।

पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन के अनुसार धन उपलब्ध होने पर वर्ष 1992-93 तक।

बड़े पैमाने पर किसी जनधन अपहरण की सूचना नहीं है। जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना का कार्य प्रदेश के सीमित वित्तीय साधनों के कारण सीमित धन उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 126 पर)

उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत निर्धारित मानक

*13–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0 6 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना फेज द्वितीय के अंतर्गत पब्लिक नलकूपों के विभिन्न जिलों में लगाये जाने का प्राविधान किस आधार पर किया गया है और निर्धारित मानक की कौन सी शर्त पूरी न करने के कारण जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में कोई कलस्टर स्वीकृत नहीं किया गया? क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि भीटी तथा कटेहरी ब्लाकों की किन-किन गांव सभाओं में अभी सिंचाई के समुचित साधन नहीं हैं और वहां पर नलकूपों के लगाने की नितान्त आवश्यकता है? यदि हां, तो उन गांव सभाओं में नलकूपों का छिद्रण कराकर सिंचाई की सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना फेज द्वितीय के अंतर्गत पब्लिक नलकूपों को विभिन्न जिलों में लगाये जाने का प्राविधान विश्व बैंक एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है।

निर्धारित मानक की एक शर्त के अनुसार 25 से 30 नलकूपों के कलस्टर में निर्माण हेतु एक मुश्त क्षेत्र ऐसा उपलब्ध हो जिसमें लगभग 3000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र हो एवं उसमें राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध न हो तभी पब्लिक नलकूपों का निर्माण कराया जाता है। उपरोक्त शर्त पूरी न होने के कारण कटेहरी ब्लाक में कोई कलस्टर स्वीकृत नहीं किया जा सका।

भीटी ब्लाक की ग्राम सभाओं में अब ऐसा कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जहां पर पब्लिक नलकूपों को एक कलस्टर में लगाया जा सके। सिंचाई के लगभग समुचित साधन उपलब्ध हैं। कटेहरी ब्लाक में कुल 9 ग्राम सभा ऐसी है जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है (सूची संलग्न)। उसमें कुल मिलाकर 1026 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है जिसमें निर्धारित मानक के अनुसार एक कलस्टर में 25 से 30 नलकूपों का निर्माण नहीं कराया जा सकता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 128 पर)

उत्तर प्रदेश में देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों का विवरण

*14–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्राप्त जानकारी के अनुसार उ0 प्र0 में वर्ष 1983-84, 1984-85 में वित्तीय वर्ष वार देशी और अंग्रेजी शराब की अलग-अलग कितनी दुकानें थी और चालू वर्ष में 15 अगस्त, 1986 तक उनकी संख्या क्या हो गयी तथा क्या दुकानों की संख्या में वृद्धि का कारण यह है कि आबकारी विभाग पर सरकार ने स्वयं यह दबाव डाला है कि देशी शराब की अधिकाधिक नयी दुकानें शहरी व देहाती क्षेत्र में क्रमश: 50,000रु0 व25,000रु0 प्रति दूकान फीस लेकर खुलवायी जायें? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 में देशी शराब व विदेशी शराब की दूकानों की संख्या निम्न प्रकार थी:–

वर्ष	दूकानों की संख्या	
	देशी शराब	विदेशी शराब (एफ0 एल0–5)
1983-84	2,775	613
1984-85	2,781	613

15 अगस्त, 1986 तक वर्ष 1986-87 में देशी शराब व विदेशी शराब की दूकानों की संख्या निम्नवत् थी:–

वर्ष	देशी शराब	विदेशी शराब
1986-87 (15 अगस्त, 1986 तक)	3,064	609

आबकारी विभाग पर सरकार की ओर से किसी दबाव का प्रश्न नहीं उठता है। अवैध मद्य-निष्कर्षण को हतोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं को मिलावट रहित देशी मदिरा वैद्य श्रोत से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में नगर व ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 25,000 रु0 व 15,000 रु0 अनुज्ञापन शुल्क तथा वर्ष 1986-87 में 50,000 रु0 व 25,000 रु0 अनुज्ञापन शुल्क लेकर देशी मदिरा की उप दूकानें खोली गयी थीं, जिनमें से कुछ को अगले वर्ष की नीलामी में नियमित दुकान के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया।

जनपद गोण्डा के कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिलना

*15–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता की संस्तुति से दिनांक 8-8-86 को श्री नरेश विक्रम सिंह महामंत्री संकल्प तुलसीपुर, जिला गोण्डा का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उतरौला मुख्य पम्प नहर के निर्माण हेतु 1981 में ग्राम सहियापुर तहसील बलरामपुर, जनपद गोण्डा के कृषकों की भूमि अधिग्रहीत करने एवं अब तक उसका मुआवजा न देने की बात की गयी है ? यदि हां, तो आवेदन पत्र से संबंधित तथ्य क्या हैं? अब तक मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। समस्त कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा सका है।

इस प्रकरण में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोण्डा की सम्बन्धित मूल पत्रावली राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा किसी जांच के सम्बन्ध में ले लेने एवं उनके द्वारा जांच का मामला विचाराधीन होने के कारण शेष कृषकों को प्रतिकर दिया जाना सम्भव नहीं हो सका।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक कैनाल निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा की मांग

*16–श्री बलराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड 32 द्वारा दोहरीघाट लिंक कैनाल के निर्माण के लिए ग्राम मठगोविन्द परगना अतरौलिया तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी? यदि हां, तो क्या प्रभावित किसानों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद वाराणसी में अदलपुरा लिफ्ट पम्प नहर द्वारा जलापूर्ति

*17–श्री राज किशोर सिंह–

क्या संचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत निर्माणाधीन अदलपुरा नरोत्तमपुर लिफ्ट पम्प नहर व ज्ञानपुर पम्प नहर से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए जलापूर्ति कब तक हो जायेगी? विलम्ब के क्या क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वाराणसी जनपद के अन्तर्गत अदलपुरा लिफ्ट पम्प नहर से सिंचाई की जलापूर्ति हो रही है।

ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना के क्षेत्र की जलापूर्ति भी आंशिक रूप से की जा रही है।

जनपद बस्ती के शिवाघाट बांध का निर्माण कार्य अवरुद्ध

*18–कर्नल केशरी सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले में विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर के रहीमनगर गांव के समीप शिवाघाट बांध के निर्माण का कार्य जो बाढ़ प्रखण्ड फैजाबाद के तत्वाधान में किया जा रहा था वह वर्षों से रुका पड़ा है और हर वर्ष उक्त गांव एवं समीप के गांवों की सैकड़ों बीघा फसल कुवानों नदी की बाढ़ के कारण बरबाद हो जाती है और ग्रामवासियों को बाढ़ का खतरा बराबर बना रहता है? यदि हां, तो उक्त बांध को पूरा करने की दशा में क्या कार्यवाही की जा रही है और बांध कब तक पूरा किया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ, गोपालपुर में करीमनगर गांव (न कि रहीमनगर गांव) के समीप कुआनों नदी के बायें तट पर 1 किमी0 लम्बा शिवाघाट बांध का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 1984-85 में आरम्भ कराया गया था। आधे भाग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है शेष आधे भाग का निर्माण कार्य कृषकों द्वारा भूमि न दिये जाने के कारण अवरुद्ध है। इस कारण बांध से बाढ़ सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। शेष भाग को पूरा करने हेतु आपसी सहमति से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत नीति निर्धारण

*19–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 आर0 डी0 योजना में चयनित लाभर्थियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए निर्दिष्ट स्थानों में से सामग्री क्रय कराने के स्थान पर नकद धनराशि देने संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय को प्रदेश में कब से क्रियान्वित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को नकद धनराशि देने सम्बन्धी भारत सरकार के निर्णय के अनुसार एक अग्रगामी योजना परीक्षण स्वरूप प्रदेश के दो विकास खण्ड अमेठी जनपद सुल्तानपुर तथा विकासखण्ड बक्सा जनपद जौनपुर में इसी वित्तीय वर्ष 1986-87 से लागू की गई है। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत नीति निर्धारण का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को अन्य विकासखण्डों में लागू करने पर विचार परिणामों की समीक्षा के उपरान्त ही किया जायेगा।

*20–श्री नत्थू लाल विकल–
[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा की न्याय-पंचायत समाधा में चीनी वितरण व्यवस्था

1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा की न्याय-पंचायत समाधा में पिछले एक वर्ष से शक्कर का वितरण ग्राम वासियों को नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में अनेक शिकायती-पत्र हाकिम तहसील पुरवा को तथा ग्राम प्रधान समाधा का पत्र दिनांक 25-1-86 जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इन पर जांच की गयी और इनमें क्या पाया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा की न्याय-पंचायत समाधा में चीनी वितरण के कार्य साधन सहकारी समिति समाधा को सौंपा गया था । उक्त समिति द्वारा वर्ष 1985 में चीनी वितरण का कार्य नहीं किया गया है । साधन सहकारी समिति समाधा द्वारा चीनी का वितरण न किये जाने पर समाधा न्याय-पंचायत क्षेत्र में व्यक्तिगत चीनी विक्रेताओं के माध्यम से चीनी का वितरण कराया गया ।

जिलाधिकारी उन्नाव को ग्राम प्रधान समाधा के पत्र दिनांक 25-1-86 के प्राप्त होने का उल्लेख अभिलेखों में नहीं है । इस संबंध में प्राप्त अन्य शिकायतों की जांच परगनाधिकारी पुरवा के माध्यम से करायी गयी तथा जांचोपरान्त प्रश्नगत अवधि में न्याय पंचायत समाधा क्षेत्र में व्यक्तिगत कोटेदारों द्वारा चीनी के वितरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गई ।

2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त न्याय पंचायत समाधा में वर्तमान समय में शक्कर का कोटेदार कौन है और कब से है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1 जनवरी, 85 से अब तक इस न्याय पंचायत में कितने कोटेदार रहे हैं और माह-वार वितरण हेतु उन कोटेदारों को कितनी शक्कर दी गयी ?

श्री हुकुम सिंह –

वर्तमान समय में न्याय पंचायत समाधा में साधन सहकारी समिति समाधा, श्री रामेश्वर व श्री पुरवी, तीन चीनी के कोटे-दार हैं । साधन सहकारी समिति समाधा को वर्ष 81 में चीनी वितरण हेतु लाइसेंस दिया गया था । श्री रामेश्वर व श्री पुरवी, व्यक्तिगत कोटेदारों को दिनांक 21-2-86 को नियुक्त किया गया है।

जनवरी, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक साधन सहकारी समिति, समाधा व श्री छोटेलाल, चीनी के दो कोटेदार थे । साधन सहकारी समिति निष्क्रिय रही यद्यपि इस समिति को चीनी का आवंटन प्रत्येक माह किया जाता रहा, लेकिन समिति द्वारा चीनी की उठान एवं वितरण का कार्य नहीं किया गया।

फरवरी, 1985 से जून, 1985 तक केवल श्री छोटेलाल व्यक्तिगत चीनी विक्रेता ने चीनी की उठान एवं वितरण का कार्य किया । जुलाई, 1985 में श्री छोटेलाल के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर सितम्बर, 1985 में परगना-धिकारी, पुरवा द्वारा इनका कोटा रोक कर श्री गुरु प्रसाद, न्याय पंचायत असावर से कोटा सम्बद्ध करके चीनी का

वितरण कराया गया। माह अगस्त, 1985 में साधन सहकारी समिति, समाधा का कोटा श्री कमला शंकर, न्याय पंचायत चौपई से उठवाकर वितरित कराया गया।

माह जनवरी, 1986 व फरवरी, 1986 में साधन सहकारी समिति, समाधा ने अपना कोटा उठाकर चीनी का वितरण किया। माह जनवरी, 1986 में श्री छोटेलाल का कोटा श्री गुरु प्रसाद, न्याय पंचायत असावर से सम्बद्ध करके चीनी का वितरण कराया गया। न्याय पंचायत समाधा में कोटेदारों द्वारा की गयी चीनी की उठान का माहवार विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 129 पर)

जनपद गाजीपुर में वीरपुर पम्प नहर हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की भुगतान नीति

3–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवर कोल में स्थित 50 क्यूसेक क्षमता की वीरपुर पम्प नहर हेतु जो भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उसका मुआवजा संबंधित भू-स्वामियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन भू-स्वामियों को कितना-कितना मुआवजा देना बाकी है ? क्या मंत्री जी ब्याज लगाकर उक्त भू-स्वामियों को मुआवजा अदा करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वीरपुर पम्प नहर के निर्माण हेतु जनपद गाजीपुर में ग्राम वीरपुर, इनहुवां, धनेठा, नरसिंहपुर करइल, जांठा चकभागों, नसीरुद्दीनपुर, बलुवा टप्पे शाहपुर, जगहतपुर तथा निकरोजपुर में कुल 349 कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गई है जिसमें से 305 कृषकों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है, 19 कृषकों के नाम की धनराशि रेवेन्यू डिपाजिट मद में जमा है। 25 कृषकों का प्रतिकर रु0 43952.49 धनाभाव के कारण भुगतान नहीं हुआ है। (विवरण संलग्न है) नहर में अर्जित भूमि से प्रभावित कृषकों को प्रतिकर के भुगतान की तिथि तक धारा 34 भू-अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज देय है। रेवेन्यू डिपाजिट मद में जमा धनराशि पर ब्याज देय नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 132 पर)

जनपद फैजाबाद, सिंचाई कार्य मण्डल द्वारा नलकूपों पर बनाने वाले पाइप गुल की जानकारी की मांग

4–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 में सिंचाई कार्य मंडल फैजाबाद एवं इसके अधीनस्थ विभिन्न खण्डों द्वारा नलकूपों पर पाइप गुल बनाने के लिए 12 इंच व्यास के कितने मीटर सीमेंट कंकरीट पाइप का निर्माण कराया गया ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

5–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

उपरोक्त पाइपों को विभिन्न खण्डों में नलकूपों के क्षेत्रों में बिछाने हेतु कितने-कितने अनुबंध तथा कार्यादेश कब-कब कितनी लम्बाई के किये गये थे ? क्या

उक्त सम्पूर्ण पाइपों का नलकूपों पर पाइप गूल के रूप में प्रयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विवरण

6–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उन्नाव जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिये वर्ष 85-86 में हिलौली, असोहा, सुमेरपुर व बीघापुर ब्लाकों में अलग-अलग कितना धन स्वीकृत हुआ और प्रति ब्लाक अलग-अलग कितना आवंटित हुआ ? इस सम्बन्ध में क्या यह भी जानकारी देंगे कि पुरवा विकास खण्ड के प्रश्न कर्ता के विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से व शेष भाग में एन0 आर0 ई0 पी0 का अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 85-86 में विकास खण्ड असोहा, हिलौली, सुमेरपुर एवं बीघापुर विकास खण्डों में निम्न विवरण के अनुसार धन स्वीकृत/आवंटित किया गया :–

विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धन (लाख रु0)	आवंटित धनराशि (लाख रु0)
1–असोहा	7.92	8.940
2–हिलौली	6.83	9.285
3–बीघापुर	7.80	10.075
4–सुमेरपुर	10.26	11.708

पुरवा विकास खण्ड के प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से में 1.864 लाख रु0 तथा शेष भाग में 4.236 लाख रु0 की धनराशि व्यय की गई।

हिलौली ब्लाक (उन्नाव) के बी0डी0ओ0 के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर स्थानान्तरण

7–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उनको उन्नाव जिले के हिलौली ब्लाक के प्रमुख राम सिंह का बी0 डी0 ओ0 के आचरण व दुर्व्यवहार संबंधी शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र पत्रांक 238/86 दिनांक 4 अप्रैल, 86 सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 मार्च, 86 पत्रांक 196/86 भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-4-86 के साथ हिलौली ब्लाक प्रमुख का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच जिला विकास अधिकारी द्वारा की गई।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-3-86 भी प्राप्त हुआ। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई जांच के समय ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी के मध्य आपसी संबंध अच्छे न पाने पर जनहित में खण्ड विकास अधिकारी को हिलौली विकास खण्ड से स्थानान्तारित कर दिया गया है।

विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा (सुल्तानपुर) के तालाबों की गोदायी में कथित भीषण अनियमितताएं

8—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत जो निम्न तालाब परिगड़ा कोथरा कला, भलहीपुर, राजेपुर फरमापुर, धरवासपुर कोथरा खुर्द की विकास खण्ड के द्वारा किस योजना के अन्तर्गत गोदवाया गया, इसके गोदवाने का तात्पर्य क्या है ? क्या इसकी एम0 बी0 क्षेत्र विकास अधिकारी एवं प्रमुख नान टेक्निकल अधिकारी ए0डी0 ओ0 (पी0) से कराया जबकि इसकी एम0 बी0, ए0डी0ओ0 (एम0 आई0) या ए0डी0ओ0 (आर0इ0सी0) से होनी चाहिये परन्तु ऐसा न कर इन तालाबों की गोदायी में भीषण अनियमितताएं करके धन का दुरुपयोग हुआ है ? क्या यह बतायेंगे कि प्रत्येक तालाब से कितनी घनफुट मिट्टी गोदी गयी तथा कितने गरीब लोगों को गेहूं या धन बांटा गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपविकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर के कर्मचारियों के वरिष्ठता सम्बन्धी न्यायालय में विचाराधीन मामले

9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभागाध्यक्ष के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी उप विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर के कनिष्ठ कर्मचारी (श्री राधेश्याम तिवारी) को न हटाकर उससे ज्येष्ठ दो वरिष्ठ सहायकों को जिनकी लगभग 11 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा होते हुए भी अनियमित ढंग से प्रत्यावर्तित किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इन सभी कर्मचारियों के मामले न्यायालय/अधिकरण में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही करना सम्भव होगा।

उपविकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध लगाये गये आरोप की जांच

10—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सही है कि उप विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध फाइल चोरी के आरोप में अब विभागीय जांच चल रही है? यदि हां, तो उन्हें वरिष्ठ सहायक पद पर स्थायी करने व सेलेक्शन ग्रेड देने तथा अधीक्षक पद पर पदोन्नति देने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है।

श्री राम दरस चौबे, आडिटर, उप विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर की अनियमित पदोन्नति

11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सही है कि उप विकास आयुक्त, गोरखपुर ने अपने कार्यालय के नियमित आडिटर श्री राम दरस चौबे को जिला विकास कार्यालय, गोरखपुर के प्रधान लिपिक पद पर पदोन्नति दी है तथा उन्हें आडिटर पद का सेलेक्शन ग्रेड दिया है ? यदि हां, तो क्या उप विकास आयुक्त आडिटर को सले-

क्शन ग्रेड पदोन्नति देने, उसे हस्तान्तरित करने एवं जिला विकास कार्यालय में प्रधान लिपिक पद पर किसी को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है ? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उप विकास आयुक्त, गोरखपुर इस हेतु सक्षम नहीं है। विभागाध्यक्ष स्तर से श्री रामदरस चौबे को प्रधान लिपिक के पद से हटाने के आदेश जिलाधिकारी, गोरखपुर को दे दिये गये हैं।

श्री दयाल दास श्रीवास्तव, आशुलिपिक, जिला विकास अधिकारी, बलिया के निलम्बन के मामले की पैरवी में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

12–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दयाल दास श्रीवास्तव आशुलिपिक, जिला विकास अधिकारी, बलिया की सेवाएं जिलाधिकारी, बलिया द्वारा दिनांक 28-8-76 को समाप्त कर दी गयीं ? यदि हां, तो क्या श्री दयाल-दास श्रीवास्तव ने माननीय लोक सेवा न्यायाधिकरण तृतीय, लखनऊ में याचिका संख्या 647(एफ)/79 दाखिल किया था ? यदि हां, तो राजस्व और विकास विभाग के किन-किन अधिका-रियों को पदेन प्रतिपक्ष बनाया गया था? यदि ग्राम्य विकास विभाग का कोई अधिकारी पदेन प्रतिपक्ष नहीं था तो ग्राम्य विकास विभाग पर वह निर्णय कैसे लागू माना जाता है और ग्राम्य विकास विभाग, गाजीपुर से श्री दयाल दास श्रीवास्तव को रु0 1,29,114.00 का भुगतान क्यों कराया जा रहा है ? क्या इस केस की पैरवी में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ ने मण्डलायुक्त, वाराणसी को दिनांक 13-2-86 को कोई निर्देश दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

श्री दयालदास श्रीवास्तव ने निम्न-लिखित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया था :–

(1) श्री शैवाल कुमार मुखर्जी, जिला-धिकारी, बलिया।

(2) श्री जगदीश सिंह, अति0 जिलाधिकारी, (नियोजन) बलिया।

(3) जिलाधिकारी, बलिया ।

(4) आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।

(5) सचिव, उ0 प्र0 शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ ।

(6) राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 (विभाग-12) लखनऊ ।

(7) श्री देवीदयाल, तत्कालीन जिला-धिकारी, गाजीपुर ।

(8) श्री नरेन्द्र राय, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर ।

(9) श्री रामस्वरूप अस्थाना, तत्का-लीन अति0 जिलाधीश (नियोजन), गाजीपुर।

(10) उत्तर प्रदेश शासन ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन) जिला विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत थे और इस मामले में पक्षकार थे। अतएव

ग्राम्य विकास विभाग पर यह निर्णय भारू माना गया और तदनुसार लोक सेवा न्यायाधिकरण के निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में नियमानुसार उनके वेतन का निर्धारण होने के पश्चात् उनके बकाया वेतन मु0 1,22,890.65 रु0 का भुगतान दिनांक 20-8-86 को कर दिया गया।

उक्त केस की पैरवी में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में मण्डलायुक्त, वाराणसी को निर्देश दिए गए थे। उन्होंने श्री सी0 पी0 शुक्ल तत्कालीन जिला विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए कहा था। श्री शुक्ला का स्वर्गवास हो चुका है।

अवर अभियन्ता, जिला परिषद् बहराइच के विरुद्ध कथित गबन का आरोप एवं सेवा मुक्त करने की मांग

13–श्री मित्रसेन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बहराइच में नियुक्त अवर अभियन्ता को गबन एवं सार्वजनिक धन के आरोप में जिला न्यायालय बहराइच द्वारा वर्ष 1965 में 5 वर्ष के कारागार की सजा दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त सजा के उपरान्त भी श्री मिश्र को किस आधार पर अभी भी परिषद् की सेवा में रखा गया है? क्या सरकार श्री मिश्र को तत्काल सेवा मुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

14–हाजी मोहम्मद हयात–

[1ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुरादाबाद के कतिपय विकास क्षेत्रों में बनवाये गये कच्चे तालाबों का विवरण

15–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास क्षेत्र अमरोहा जोया तथा छजलेट में पक्के तथा कच्चे कितने तालाब किन-किन ग्रामों में बनवाये गये हैं तथा उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्तीय वर्ष 1985-86 तक जनपद मुरादाबाद के विकास क्षेत्र अमरोहा, जोया तथा छजलेट में कोई पक्का तालाब नहीं बनवाया गया है। संलग्न सूची के अनुसार ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ग्राम्य विकास एवं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 47 कच्चे तालाब बनवाये गये हैं जिन पर 11,06,814 रुपये का व्यय हुआ है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 136 पर)

लखनऊ, विधान भवन स्थित डिपो/जलपान गृह के प्रबन्धकों का निलम्बन एवं बहाली

16–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि विधान भवन लखनऊ स्थित डिपो/जलपान गृह में विगत 3 वर्षों में किन किन प्रबन्धकों का निलम्बन, गबन, चोरी, धोखाधड़ी आदि के कारण किया गया था ? क्या उनमें से किसी प्रबन्धक को पुनः बहाल कर दिया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या अन्य प्रबन्धकों/सहायकों को जिन पर कम आरोप है उन्हें भी बहाल कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

श्री चन्द्रशेखर वर्मा, प्रबन्धक, सचिवालय परिसर डिपो, लखनऊ को दिनांक 22 अक्टूबर, 1983 को निलम्बित किया गया था।

श्री चन्द्रशेखर वर्मा, प्रबंधक, सचिवालय परिसर डिपो, लखनऊ को बहाल किया गया है।

विभागीय कार्यवाही में आंशिक रूप से आरोपों के सिद्ध होने के फलस्वरूप उन्हें अन्य दंड के साथ प्रत्यावर्तित कर सेल्समैन के पद पर दिनांक 3 अक्टूबर, 1985 को बहाल किया गया।

वर्तमान समय में कोई ऐसे प्रबंधक/सहायक नहीं है जिन्हें आरोपों के फलस्वरूप निलम्बित किया गया हों।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बरेली के निलम्बित हाट निरीक्षक श्री सक्सेना के निलम्बन के विरुद्ध स्थगनादेश

17–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय बरेली में कार्यरत हाट निरीक्षक (श्री गोपाल सरन सक्सेना) को दिनांक 1-8-85 को निलम्बित कर दिया गया था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9-8-85 को स्थगन आदेश दिये जाने के बाद भी उन्हें अभी तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया तथा न ही वेतन आदि दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री गोपाल सरन सक्सेना को तुरन्त ड्यूटी पर लेंगे एवं उनको वेतन दिलाने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

स्थगन आदेश के अनुपालन में श्री गोपाल सरन सक्सेना को ड्यूटी पर ले लिया गया है और उन्हें वेतन दिया जा रहा है।

बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड की बाढ़ एवं वर्षा से क्षति की मद में आवंटित धनराशि

18–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम को वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षति की मद में प्रत्येक वर्ष कितना-कितना धन शासन से प्राप्त हुआ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रश्नगत खंड में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अतिरिक्त बान गंगा नहर एवं जमींदारी नहर प्रणाली एवं सागर भी है? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों वित्तीय वर्षों में कितना धन बाढ़ एवं वर्षा से हुई क्षति के मरम्मत पर तथा कितना धन इन दोनों सिंचाई प्रणालियों पर खर्च किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड बस्ती को वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षति आय-व्ययक शीर्षक 289 के अन्तर्गत शासन से निम्न धनराशि आवंटित हुई:–

वर्ष	बाढ़ कार्यों पर (लाख रुपये)	नहरों पर (लाख रुपये)
1984-85	56.00	3.00
1985-86	45.70	1.90

प्रश्नगत खण्ड में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अतिरिक्त बान गंगा नहर एवं जमींदारी नहर प्रणाली एवं सागर भी सम्मिलित हैं।

उपरोक्त दोनों वित्तीय वर्षों में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए बाढ़ कार्यों एवं नहरों पर आय व्ययक शीर्ष 289 के अंतर्गत निम्नलिखित मरम्मत कार्यों पर व्यय किया गया है:—

वर्ष	बाढ़ कार्यों पर (लाख रुपये)	नहरों पर (लाख रुपये)
1984-85	67·49	3·74
1985-86	53·21	1·88

19—श्री मयंकर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गोरखपुर विकास खण्ड चारगांवा के कतिपय ग्रामों में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खर्च धन की जानकारी की मांग

20—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खंड चरगांवा के ग्राम खुटहन खास, ज0 अयोध्या प्रसाद, ज0 धूसड, ज0 आँराही ज0 अहमद अली शाह, ज0 तिनकोनियां नं0 2 एवं ज0 हकीम नं0 2 जो दस-दस बीस-बीस टोलों के ग्राम हैं के विकास के लिये 1985-86 में ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कितना धन व्यय किया गया एवं कौन-कौन से कार्य कराये गये?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

भागीरथी नदी में टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत नापी गयी सिल्ट की मात्रा एवं बांध की उम्र

21—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भागीरथी नदी में टिहरी नगर के पास जहां टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर नदी के पानी में सिल्ट (गाद) की मात्रा का नाप किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में किया गया है और प्रतिवर्ष सिल्ट की मात्रा क्या है ? क्या वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि सिल्ट की मात्रा के आधार पर टिहरी बांध की उम्र क्या होगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

भागीरथी नदी में बांध स्थल से 1 कि0 मी0 ऊपर की ओर वर्ष 1973 से नदी में आ रही सिल्ट की मात्रा को केन्द्रीय जल आयोग के गंगा डिस्चार्ज संगठन द्वारा नापा जा रहा है ।

केन्द्रीय जल आयोग के गंगा डिस्चार्ज संगठन से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न वर्षों में नापी गई सिल्ट की मात्रा का विवरण निम्न है :—

वर्ष	नापी गई सिल्ट की मात्रा (लाख टन में)
1973	259
1974	72
1975	73
1976	100
1977	188
1978	385
1979	अप्राप्त
1980	181
1981	87
1982	114
1983	104
1984	97
1985	182
1986	अप्राप्त

उपरोक्त सिल्ट की मात्रा के आधार पर बांध की उम्र 25 वर्ष बाद 100% 50 वर्ष बाद 93% और 100 वर्ष बाद 88% आंकी गई है ।

टिहरी बांध पर होने वाले व्यय का विवरण

22—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टिहरी बांध पर सन् 1985 तक कितना धन खर्च किया गया है और अब कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिसम्बर, 1985 तक कुल 195·89 करोड़ रुपए व्यय हुआ है । बांध को पूरा करने के लिए मार्च, 1994 तक 1149·73 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, यदि आवश्यक धन की व्यवस्था कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित होती रहे ।

टिहरी बांध से विस्थापित नगरवासियों के पुनर्वास निदेशालय द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुरूप आवास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

23—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले टिहरी नगरवासियों के पुनर्वास हेतु कहीं भूमि उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो जिन परिवारों के मकान शासन द्वारा अधिगृहित किए गए हैं उन्हें भवन का मूल्य दे दिया गया है और उन्हें पुनर्वास हेतु भूमि दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जब तक विस्थापित परिवारों को आवास की सुविधा नहीं दी जाती है तब तक क्या उन्हें टिहरी नगर में स्वनिर्मित अधिगृहीत भवनों पर आवास की सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले टिहरी नगरवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु टिहरी जनपद में ग्राम बोराड़ी, कुलपा एवं मोलधार आदि ग्रामों की भूमि अधिगृहीत कर विकसित की जा रही है। विकसित भूमि विस्थापित नगरवासियों की मांग के अनुसार नकद मूल्य पर आवासीय एवं व्यवसायिक प्लाट आवंटित किए जायेंगे । जिन परिवारों के मकान अधिगृहीत किए गए हैं, उनमें से अधिकांश को भवन का मूल्य दे दिया गया है तथा शेष का भुगतान किया जा रहा है । विस्थापित परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध होने तक उन्हें वर्तमान स्वनिर्मित अधिगृहीत भवनों में रहने की सुविधा प्रदान की गई है ।

24—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध परियोजना द्वारा समय-समय पर पुनर्वास के संबंध में जो लिखित आश्वासन टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले लोगों को दिए गए हैं उनकी जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो क्या उन आश्वासनों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में आई0 आर0 डी0 योजना के तहत बरती गई अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

25—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में आई0 आर0 डी0 योजना के तहत डनलप गाड़ी या अन्य स्वीकृत सामान लाभार्थियों को सुलभ कराये बिना ही उनके विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिए गए हैं? क्या इसी तरह के एक मामले में श्री राम दुलारे हरिजन पुत्र सरयू निवासी ग्राम केंवरी परमानन्द ब्लाक भीटी जनपद फैजाबाद का 28-1-86 का शिकायती प्रार्थना-

पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28-1-86 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) फैजाबाद श्री हरीराम को दिया गया था जिस पर उन्होंने उसी दिन मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद परगनाधिकारी अकबरपुर तथा तहसीलदार अकबरपुर को वसूली की कार्यवाही रोककर पूरे मामले की जांच करने का स्पष्ट निर्देश दिया था ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और जांच रिपोर्ट तथा उसके आधार पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में आई0 आर0 डी0 योजना के तहत केवल एक मामले में स्वीकृत डनलप गाड़ी लाभार्थी को बगैर उपलब्ध कराए हुए उसके विरुद्ध बैंक द्वारा वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, की शिकायत मिली ।

श्री राम दुलार पुत्र श्री सरयू निवासी केवारी परमानन्द, विकास खण्ड भीटी जनपद फैजाबाद का 28-1-86 का शिकायती प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा 28-1-86 को तत्कालीन अपर मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) फैजाबाद, श्री हरिराम को दिया गया था और दिनांक 29-1-86 को मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद, परगनाधिकारी अकबरपुर एवं तहसीलदार अकबरपुर को वसूली की कार्यवाही रोककर पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था ।

जांच परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय में देशी और अंग्रेजी शराब की खपत के वर्षवार आकड़े एवं न्यूनतम कोटा

26–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, में देशी और अंग्रेजी शराबों की अलग-अलग खपत क्या थी और चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उनका अलग-अलग कोटा क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वित्तीय वर्ष 1980-81 से लेकर वर्ष 1985-86 तक की अवधि में देशी व विदेशी शराबों की खपत के आंकड़े वर्षवार नीचे क्रमश: तालिका 'क' और 'ख' में दिये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए प्रदेश में देशी शराब का न्यूनतम कोटा 9,90,06,709 बल्क लीटर निर्धारित किया गया है। विदेशी मदिरा का कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 138–139 पर)

27–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[दूसरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासनादेश के अनुसार सिंचाई विभाग को भूमि खेती के लिए पट्टे पर आवंटित करने की मांग

28–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 333 एल (बी) 67-तेइस-आई0-बी0, दिनांक 28-9-67 शासनादेश संख्या 1144 सं0 खं0 71/तेई्स-आई0 बी0/9 पी/69 दिनांक 13-4-71 व शासनादेश 3187-एस0 के0/71/तेई्स-आई0 बी0 51 डब्लू/54 दिनांक 27-8-71 व शासकीय पत्रांक/एल0 बी0 70/तेई्स-आई0 बी0 51 डब्लू/54 दिनांक 12-2-70 में शासन का यह निर्णय बताया व दोहराया

गया है कि सिंचाई विभाग की भूमि खेती के लिए पट्टे पर उठाने के समय पुराने पट्टेदार काश्तकार को दी जाए और कि उसके निधन पर उसके वारिसों को पट्टे पर दी जाए? यदि हां, तो क्या वजह है कि शारदा कैनाल, बाराबंकी के अंतर्गत खतमशुदा माथुर नगर रजवहा की भूमि उसके पुराने पट्टेदार काश्तकार श्री ब्रह्म दत्त, जो उस पर 1964 से पट्टे पर खेती करते चले आ रहे हैं, के पट्टे का नवीनीकरण 84 में मात्र एक साल के लिए क्यों किया गया और क्या इस संबंध में मार्च, 1986 के पहले पाख में शासन/सचिवालय को दिये गये उनके प्रार्थना का निस्तारण किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

शासना देश सं0-3187-एस0 के0/71/तेइस-आई0 बी0-51 डब्लू/54, दिनांक 27-8-1971 द्वारा शासन ने सिंचाई विभाग की फालतू भूमि को पट्टे पर देने की प्रक्रिया निर्धारित की है जिसमें पुराने पट्टेदार के वारिस को पट्टा दिया जाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि शासनादेश के अंतर्गत प्राथमिकता के अनुरूप पात्र व्यक्ति को पट्टा दिये जाने के नियम हैं। इसमें स्थानीय हरिजन को (पुराने पट्टेदार काश्तकार के ऊपर) प्राथमिकता दिये जाने के आदेश हैं। अतः पट्टे का नवीनीकरण भूमिहीन हरिजन के नाम किया गया। विभाग को देखते हुए पट्टे का नवीनीकरण मात्र एक साल के लिए किया गया।

श्री ब्रह्मदत्त के प्रार्थना पत्र पर जांच की गयी एवं उनके द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया।

श्री अशोक कुमार वर्मा पूर्ति लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय गोरखपुर का निलम्बन और बहाली

29–श्रीमती शारदा देवी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार वर्मा पूर्ति लिपिक जिलापूर्ति कार्यालय गोरखपुर को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा सीमेंट घोटाला काण्ड में निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो श्री वर्मा को किस आधार पर पुनः बहाल किया गया? क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के बहाली आदेशों में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? श्री वर्मा को किन-किन अनुभागों का चार्ज वर्तमान में दिया गया है एवं इसके जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच डिप्टी कलेक्टर अंजोर द्वारा कराई गई। डिप्टी कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8-10-85 द्वारा श्री वर्मा को बहाल किया।

तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेशों का पालन किया गया।

श्री वर्मा वर्तमान समय में कार्यालय कार्य विभाजन के अनुसार खाद्यान्न एवं कोल अनुभाग का कार्य देख रहे हैं।

मौजा हरनाथपुर, गहमर (गाजीपुर) की सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन

30–कर्नल केसरी सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा हरनाथपुर भूतपूर्व सैनिक बाहुल्य

ग्राम गहमर जिला गाजीपुर से लिफ्ट सिंचाई का इंजन हटा लिया गया था जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है ? इस संबंध में सिंचाई मंत्री जी के वर्ष 1984 एवं 85 में दिए गए आदेशों के बावजूद कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ? क्या इस स्थान पर इंजन लगाकर लिफ्ट सिंचाई का प्रबन्ध करने के विषय में शासन कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मौजा हरनाथपुर भूतपूर्व सैनिक बाहुल्य ग्राम गहमर जिला गाजीपुर की सिंचाई पहले कर्मनाशा नदी में एक डीजल पम्प लगाकर की जाती थी । कालान्तर में जमानिया पम्प नहर की क्षमता वृद्धि से सिंचाई सुनिश्चित होने के कारण तथा डीजल प्रणाली अधिक महंगी एवं अनुपयोगी होने के कारण समाप्त कर दी गई । राजकीय साधनों से ग्राम में पर्याप्त सींच सुविधा उपलब्ध है जिससे हजारों एकड़ भूमि असिंचित नहीं रहती है ।

प्रश्नगत ग्राम में सिंचाई (सिंचित क्षेत्र की) राजकीय नलकूप एवं जमानिया पम्प नहर प्रणाली से की जा रही है । इसलिए इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । इस क्षेत्र में लिफ्ट नहर की योजना नहीं है इसलिए इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तान एण्ड कम्पनी, अमरोहा द्वारा सहा0 अभियन्ता बाढ़ खण्ड मुरादाबाद को प्रेषित पत्र

31–श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा ने एक पत्र सहायक अभियन्ता बाढ़ खण्ड मुरादाबाद को 23-3-80 में लिखा था जिसकी प्रतिलिपि श्री भूषण सिंह जे0 ई0 व श्री अख्तर उल्ला जे0 ई0 को भी दी थी ? उसके मुख्य मुद्दे क्या थे ? इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ बताया गया है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है ।

विकास खण्ड कार्यालय गोवर्धन, जिला मथुरा की क्षतिग्रस्त इमारत के निर्माण में विलम्ब

32–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कार्यालय गोवर्धन, जिला मथुरा की क्षतिग्रस्त इमारत नष्ट कर मार्च, 86 तक नव निर्माण होना था ? यदि हां, तो अभी तक क्यों नव निर्माण नहीं हुआ ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

विकास खण्ड कार्यालय गोवर्धन, जिला मथुरा की क्षतिग्रस्त इमारत नष्ट कर मार्च, 1986 तक नव-निर्माण होना था, परन्तु विकास खंड कार्यालयों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत आने के कारण समुचित धनराशि की व्यवस्था न हो पाने की वजह से कार्य पूरा नहीं किया जा सका । जिला योजना में वित्तीय वर्ष 1985-86 में इस कार्य हेतु 1,25 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गयी थी, जिससे पुराने भवन को तोड़कर नये भवन बनाने हेतु सामग्री का एकत्रीकरण कर लिया

गया था। वित्तीय वर्ष 1986-87 में उक्त कार्य हेतु 2.04 लाख रुपये प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करने की औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। अब तक 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है।

चूंकि कार्य धनाभाव के कारण रुका रहा अतएव कोई अधिकारी दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

सीतापुर खण्ड, शारदा नहर के प्रथम उप-खण्ड सिधौली की नहरों के पटरियों की मरम्मत एवं सफाई में हुए व्यय का विवरण

33—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर सीतापुर डिवीजन के सिधौली प्रथम उप खंड क्षेत्र में आने वाली किन-किन नहरों की पटरियों के मार्गों की मरम्मत वर्ष 1984-85 और 1985-86 में की गयी तथा उन पर अलग-अलग कितना-कितना धन खर्च हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीतापुर खंड, शारदा नहर के प्रथम उपखंड सिधौली के क्षेत्र में आने वाली नहरों पर पटरियां (सेवा मार्गों) पर मरम्मत का कार्य डोला एवं बैंक इत्यादि की मरम्मत के साथ ही कराया गया है जिसका नहरवार वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 का व्यय विवरण संलग्न है। सेवा मार्गों पर हुए व्यय की अलग से सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 140 पर)

34—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कैनाल सीतापुर डिवीजन के सिधौली प्रथम उप खण्ड क्षेत्र में आने वाली किन-किन खारजा और नहरों को वर्ष 1984-85 और 1985-86 में सफाई हुई और उन पर अलग-अलग कितना-कितना धन खर्च हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा कैनाल सीतापुर डिवीजन के सिधौली प्रथम उप खण्ड क्षेत्र में आने वाली जिन खारजा (ड्रेनों) और नहरों की वर्ष 1984-85 और 1985-86 में सफाई हुई उनके नाम तथा उन पर हुआ व्यय संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 141 पर)

बांदा जिले के रामनगर में निर्मित आवास कालोनी के निर्माण एवं आवंटन में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

35—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के रामनगर में निर्बल वर्गों के लिए निर्मित आवास कालोनी में घटिया सामान लगाये जाने आदि की शिकायतों और आवंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में गांव के हरिजनों द्वारा 16-6-86 को शिकायत लिखित रूप में जिलाधिकारी, बांदा के पास भेजी गयी है ? यदि हां, तो उन पर कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

रामनगर ब्लाक के रामनगर में निर्मित आवास कालोनी में घटिया सामान लगाये जाने सम्बन्धी दिनांक 16-6-86 का कोई शिकायती पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ।

आवंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 16-6-86 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। जांच कराने पर शिकायत गलत पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री राम प्रसाद ब्लाक प्रमुख चित्रकूट करवी, जिला बांदा द्वारा गुंता बांध के निर्माण में किए गये घोटाले संबंधी पत्र पर जांच

36—श्री राम सजीवन

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम प्रसाद ब्लाक प्रमुख चित्रकूट करवी जिला सिंचाई विभाग मुख्य अभियंता बुन्देलखण्ड बांदा ने 1-9-86 को प्रमुख अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई मंडल बांदा आदि को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि सिंचाई निर्माण प्रखंड करवी के अन्तर्गत निर्माणाधीन गुंता बांध में भारी घोटाला भ्रष्टाचार व धांधली की गयी है? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? क्या यह भी सही है कि ऐसी ही शिकायतें 9-8-85 को भी की गयी थी ? क्या बांध का स्लिप वे एक बार 1981-82 में दुबारा वर्ष 1985 में और तिबारा 1986 में टूटना दिखाकर लाखों रुपये की लोहा, सीमेंट आदि सामग्री बेंचकर हड़प ली गयी है? बोलडर पत्थर और मिट्टी के काम में भी घोटाला धांधली की गयी है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । श्री राम प्रसाद ब्लाक प्रमुख चित्रकूट करवी जिला बांदा का दिनांक 1-9-86 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इनका एक शिकायती-पत्र प्रश्नगत शिकायतों पर दिनांक 30-8-86 को अवश्य प्राप्त हुआ है जिस पर नियमों के अन्तर्गत जांच के संबंध में शिकायतकर्ता श्री राम प्रसाद ब्लाक प्रमुख को दिनांक 16-10-86 एवं 17-2-87 को शिकायतों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया था। शिकायतकर्ता उक्त तिथियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुये फिर भी नियमों के अंतर्गत अभिलेखों के अनुसार जांच की जा रही है। अतः यह सही नहीं है कि उक्त शिकायती-पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

जी हां। एक पत्र दिनांक 9-8-85 का प्रश्नगत शिकायतों के संबंध में माननीय श्री राम सजीवन, विधायक का प्राप्त हुआ था ।

गुन्ता बांध का स्लिपवे अभी निर्माणाधीन है । अतः इसके एक बार 1981-82 में, दुबारा वर्ष, 1985 में एवं तिबारा 1986 में टूटना दिखाकर लाखों रुपये का लोहा सीमेंट आदि बेंचकर हड़प करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोल्डर, पत्थर और मिट्टी के कार्य में अभी तक कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली हाजीपुर लिफ्ट कैनाल के पास अठाना रजवहा को जोड़ने का आदेश

37—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र फरीदपुर (बरेली) हाजीपुर लिफ्ट कैनाल के पास 4 फर्लांग पर कटे अठाना रजवहा को जोड़ने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हाजीपुर लिफ्ट कैनाल के पास अठाना रजवहा का जो 4 फर्लांग भाग कटा हुआ था उसको जोड़ने के आदेश दे दिये गये है। प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में नियुक्त अवर अभियन्ता (लघु सिं0) का कथित निलम्बन

38–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में नियुक्त अवर अभियंता (लघु सिं0) को दिनांक 21 अगस्त, 1985 से अकारण बिना जांच पड़ताल किये निलम्बित किया गया है तथा आज तक जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया है और न ही आरोप पत्र ही दिया गया? क्या यह सही है कि नियमत: 6 माह के अन्दर आरोप पत्र न दिये जाने पर निलम्बन आदेश अवैध एवं निरस्त किया जाना चाहिये? यदि हां, तो नियमानुसार निलम्बन आदेश का निरस्तीकरण करके उक्त अवधि का वेतन कब तक प्रदान किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 21-8-85 को बलिया जनपद में नियुक्त किसी अवर अभियन्ता (ल0 सिं0) को निलम्बित नहीं किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद गाजीपुर के ग्राम वीरपुर एवं गौसपुर में गंगा नदी के कटाव का सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं आवश्यक निर्देश

39–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम बीरपुर व गौसपुर में गंगा नदी अपना बाया किनारा काटते हुए गांवों के बिलकुल समीप पहुंच सकी है ? क्या इस संबंध में सिंचाई विभाग के अनुसंधान संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सिंचाई विभाग के अनुसंधान संगठन ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को दृष्टि में रखकर तत्काल राहत कार्य हेतु किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, मिर्जापुर द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है । रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित बचाव कार्यों की लागत लाभकारी नहीं पायी गयी, अत: प्रभावित आबादी को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित कर बसाये जाने की कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी गाजीपुर को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जिला लखनऊ का ताड़ी ठेका की नीलामी एवं पेड़ों की संख्या

40–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लखनऊ का ताड़ी का ठेका 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में कितने रुपये में नीलाम किया गया तथा पूरे जिले में कुल ताड़ी के कितने पेड़ हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला लखनऊ का ताड़ी का ठेका 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में क्रमश: रु0 59,61,500/- रु0 55,45,000/- तथा रु0 59,29,500/- में नीलाम हुआ था ।

लखनऊ जनपद में ताड़ी के कुल 14,355 पेड़ हैं ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नत एवं वेतन निर्धारण की नीति

41–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथय सत्र 1986 में

पांचवे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के संदर्भ में सहायक अभियंता (प्रोन्नत) का वेतन निर्धारण जो किया गया है, क्या शासनादेश संख्या जी-2/1330/दस-302-78 दिनांक जुलाई 3, 1978 (नेवेस्ट बेलो रूल) के अंतर्गत किया गया है ? यदि हां, तो इसी शासनादेश के अंतर्गत प्रोन्नत सहायक अभियंताओं की श्रेणी में उक्त सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता निर्धारण में क्या कठिनाई है ? सहायक अभियंता की निर्धारित वेतन की प्रतिलिपि उनके प्रखण्ड को वेतन आहरण हेतु कब तक भेज दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेलर बकहर नहर, मिर्जापुर के दोनो ठेकेदारों की अन्तिम भुगतान कार्यवाही में विलम्ब के कारण

42–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बेलर बकहर नहर मिर्जापुर में ए0 ई0 सी0 तथा मे0बी0सी0सी0 दोनों कम्पनी के प्रोपराइटर श्री भूमेश कुमार के कार्यों की दो साल पहले पूरी हो चुकी सतर्कता जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा विस्फोटक पदार्थ ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने के कारण समय के अन्दर कार्य पूरा न हो पाने का दायित्व ठेकेदार पर नही डाला जा सकता है? सतर्कता जांच के परिपेक्ष में दोनों कम्पनी का फाइनल बीजक सिक्योरिटी तथा अर्नेस्ट मनी की कुल कितने रुपये की धनराशि ठेकेदार को देय है तथा अन्तिम भुगतान की कार्यवाही में सात साल से भी अधिक विलम्ब के क्या कारण है और अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सतर्कता विभाग की जांच हो चुकी है परन्तु अधूरा कार्य छोड़े जाने के फलस्वरूप कुल अनुबंधित लागत के 10 प्रतिशत के आधार पर मेसर्स ए0ई0सी0 से रू0 4, 37, 922, 50 तथा मे0बी0सी0 सी0 से रु0 3,17,370,00 कम्पेसेशन की वसूली देय हो जाती है। इसके अतिरिक्त मशीनों का किराया तथा भण्डार सामग्रियों के मूल्य आदि की वसूली भी की जानी थी । इसके समक्ष विभाग के पास मेसर्स ए0ई0सी0 की कुल धनराशि रू0 2, 43 660, 03 एवं मेसर्स बी0 सी0सी0 की रु0 207,000·00 जमानत एवं धरोहर के रूप में ही उपलब्ध थी।

दोनों ठेकेदारों द्वारा न्यायालय में ले जाने तथा न्यायालय के आदेश उपरांत मामला आर्बीट्रेशन के सम्मुख विचाराधीन है अतः अभी धनराशि वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची का निर्धारण

43–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता का क्रमांक जो 1962 ए लिस्ट में अनुमोदन किया गया था उसको मुख्य अभि0 सिंचाई ने अपने पत्र संख्या 11647 (1)-ई-2/2बी-203 ई/2-2 दिनांक 25-12-62 को सुपरसीड करके अपने आफिस मेमो नं0 7358-ई-2/1 वी-203/1 दिनांक 5-12-63 द्वारा अन्तिम रूप से निर्गत किया था ? क्या इस मेमो में श्री जटाशंकर क्र0 119 पर श्री हुबलाल सिंह, क्र0 120 पर तथा श्री सुरेन्द्र प्रसाद क्र0 121 पर निर्धारित किये गये थे ? यदि हां, तो मु0

अभि0 सि0 द्वारा अवर अभियन्ताओं वरिष्ठता तालिकाओं में बाद में उनके पत्रांक 3630/-2/1 वी-203 ई/वरिष्ठता तालिका दिनांक 23-5-72 द्वारा निर्गत है उसमें श्री हुबलाल सिंह का नाम श्री जटाशंकर तथा श्री सुरेन्द्र प्रसाद के बीच 1168 वरिष्ठता क्रमांक पर रखने के बजाय 1182 पर क्यों रखा गया ? क्या मु0 अभि0 श्री हूबलाल सिंह का नाम सही क्रमांक 1168 पर रखने के आदेश शीघ्र करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही है कि लोक सेवा आयोग उ0 प्र0, इलाहाबाद के द्वारा वर्ष 1962 की "ए" लिस्ट में चयनित अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता जो प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र सं0-11647 (1)/ई-2/1 वी-203 ई दिनांक 25-12-62 द्वारा निर्धारित की गई थी, को उनके कार्यालय के पत्र सं0-7358/ई-2/1 बी-203 ई, दिनांक 9-12-63 से अतिक्रमित करते हुये ज्येष्ठता पुनः निर्धारित की गयी थी परन्तु चयनित अवर अभियन्ताओं की पुनर्निर्धारित ज्येष्ठता निम्नानुसार थी ।

1–श्री जटाशंकर श्रीवास्तव
आत्मज श्री बृजभूषण लाल 119

2–श्री सुरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
आत्मज श्री द्वारिका प्रसाद 121

3–श्री हुब लाल सिंह
आत्मज श्री शिवदास सिंह 160
ज्येष्ठता सूची में क्रमांक–120

पर श्री भूपाल सिंह जैन आत्मज श्री शादो राम जैन का नाम अंकित है न कि श्री हुब लाल सिंह आत्मज श्री शिवदास सिंह का ।

इसके पश्चात् प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के ज्ञाप सं0-3630ई-2/1बी-203ई, ज्येष्ठता सूची, दिनांक 23-5-72 में निम्नानुसार ज्येष्ठता निर्धारित की गयी:–

1–श्री जटाशंकर श्रीवास्तव
आत्मज श्री बी0 बी0 लाल 1167

2–श्री सुरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
आत्मज श्री द्वारिका प्रसाद 1168

3–श्री हुब लाल सिंह
आत्मज श्री शिवदास सिंह 1181

इस ज्येष्ठता सूची में 1182 पर श्री लक्ष्मी प्रसाद बहुगुणा आत्मज श्री एस0 डी0 बहुगुणा का नाम है न कि श्री हुब लाल सिंह आत्मज श्री शिवदास सिंह का।

इस प्रकार ज्ञाप सं0, दिनांक 9-12-63 एवं 23-5-72 में चर्चित अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता का क्रम समान है ।

श्री हुब लाल सिंह का नाम 1168 पर ज्येष्ठता सूची में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रेषित सूची में उल्लिखित आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गई है जो कि नियमानुसार सही है ।

श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियन्ता सिंचाई उप खण्ड टूण्डला द्वारा किये गये गबन की जांच

44–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभि0 श्री रमेश चन्द्र सिंचाई उप खण्ड टूण्डला द्वारा वर्ष 1985-86 में एक ही कार्य का दो बार भुगतान माप पुस्तिका नम्बर 162 व 194 से करके हजारों रुपये का गबन किया गया है? क्या यह सच है कि उपरोक्त माप पुस्तिका नम्बरों से एक कार्य का भुगतान पूर्व सहायक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका था ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी उपरोक्त माप पुस्तिकाओं को सील कराने व इस

गम्भीर घोटाले की जांच प्रश्नकर्ता की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता आगरा द्वारा कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियन्ता उपखंड टूण्डला द्वारा वर्ष 1985-86 में कुछ कार्यों का दूसरी बार भुगतान किया गया, परन्तु दुबारा किये गये भुगतान की धनराशि ठेकेदारों से वसूल कर ली गयी है।

यह भी सच है कि प्रश्न में वर्णित माप पुस्तिकाओं से एक कार्य का भुगतान पूर्व सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया था।

प्रश्नगत पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने हेतु मुख्य अभियन्ता (गंगा) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा को निर्देश दे दिये गये हैं और शासन द्वारा भी यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि इस प्रकरण की जांच संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। मुख्य अभियंता (गंगा) ने प्रश्नगत माप पुस्तिकायें एवं अन्य सभी संबंधित अभिलेख मुहरबन्द करने के आदेश भी दे दिये हैं।

45–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियंता सिंचाई उप खण्ड टूण्डला द्वारा सकरौली राजबहा पर किये गये कार्य के कार्यादेश सं0 388195 दिनांक 4-10-85 तथा कार्यादेश सं0 353608 दिनांक 27-10-85 द्वारा एक ही कार्य के दो बार भुगतान फर्जी रूप से किये गये हैं? क्या मा0 मंत्री जी उपरोक्त घोटाले की जांच करायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियंता उपखण्ड टूण्डला ने कार्यादेश संख्या 388195 दिनांक 4-10-85 सकरौली राजबाहे पर मिट्टी के कार्य हेतु निर्गत किया है। कार्यादेश संख्या 353608 दिनांक 27-10-85 की नहीं बल्कि दिनांक 19-10-85 को फिरोजाबाद राजबाहे कि कि0मी0 28 से 29 तक ठेका सफाई हेतु निर्गत किया गया है। अतः एक ही रीच के दो बार फर्जी रूप से भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः किसी प्रकार की जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हाथरस ब्रांच के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता तृतीय द्वारा मस्टर रोल में कर ली गयी अनियमितता की जांच

46–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री जी को जानकारी है कि हाथरस ब्रांच के अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ फिरोजाबाद सेक्शन के अवर अभियन्ता की मस्टर रोल सं0 1630 व 1631 के माध्यम से कई व्यक्तियों को कई फर्जी नामों से भुगतान किए गये हैं, जो वर्षों पूर्व मर चुके हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त मस्टर रोल के आधार पर किए गए घोटाले की जांच अधीक्षण अभियंता तृतीय आगरा मण्डल आगरा द्वारा कराने व दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हाथरस ब्रांच के अधिशासी अभियंता द्वारा मस्टर रोल सं0 1630 व1631, सहायक अभियंता तृतीय के माध्यम से श्री आर0एस0 मिश्रा, अवर अभियंता को दिनांक 18-6-82 में निर्गत किये गये थे। ये दोनों मस्टर रोल जो प्रत्येक एक हजार की धनराशि के थे, दिनांक 18-6-82 से 23-6-82 तक चूहरपुर नाले पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रय के अन्तर्गत सिल्ट सफाई के कार्य में लगे श्रमिकों की उपस्थिति दर्शाने हेतु प्रयोग किये गये। मस्टर रोलों में दर्शाये गये श्रमिकों को

अवर अभियंता द्वारा भुगतान किया गया। इन दोनों मस्टर रोलों की सत्यता की जांच सर्तकता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में महुला गढ़वाल बांध की जमीन में किये गये अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही

47—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला आजमगढ़ तहसील सगड़ी के अन्तर्गत ग्राम दाम महुआ में रामलाल पुत्र दुखरन व शिववचन पुत्र वासुदेव सरकारी बन्धे की जमीन पर महुला गढ़वाल बांध पर अवैध रूप से मकान बना लिया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के अन्तर्गत श्री शिव वचन पुत्र श्री बासुदेव का मकान सरकारी बांध के जमीन में नहीं है । केवल राम लाल पुत्र दुखरन का मकान ग्राम दाम महुला, महुला गढ़वाल बांध के कि0 मी0 43.52 पर पड़ता है, बांध की जमीन में है । बांध की जमीन में अवैध कब्जा हटाने हेतु मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रवि कुमार माथुर अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ द्वारा शासनादेशों में शिथिलता बरतने पर आवश्यक कार्यवाही

48—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता श्री रवि कुमार माथुर द्वारा उक्त खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1-10-85 तक अपने मासिक यात्रा भत्ता बीजक वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 3 के फण्डामेंटल रूल 14 ए के अनुरूप अपने उच्चाधिकारी को प्रस्तुत किए गए ? क्या शासनादेश संख्या 527/ई जी/23-पी0 डब्लू0 डी0 (सार्व0 निर्माण-ख-अनु0) दिनांक 4-5-68 द्वारा प्रत्येक खण्डीय अधिकारी के लिए प्रतिमाह जितने रात्रि अवस्थान कार्यस्थल पर करने का प्राविधान किया गया है, उसका अनुपालन श्री माथुर द्वारा अब तक किया गया है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री रवि कुमार माथुर द्वारा दिनांक 7-7-84 को खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1-10-85 तक माह 4/85 एवं 5/85 के 2 मासिक यात्रा भत्ता बीजक अपने उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये गये ।

श्री माथुर ने शासना देश संख्या 527/ईबी0/23-पी0 डब्लू0 डी0/सार्वजनिक निर्माण-ख-अनुभाग, दिनांक 4-5-68 द्वारा निर्धारित संख्या में रात्रि विश्राम, कार्यक्षेत्र के दौरे के दौरान, नहीं किये । कारणों की उनसे जानकारी की गयी है । परीक्षणोपरान्त यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड चिनहट व बक्शी का तालाब के अंशकालीन नलकूप चालकों की नियुक्ति में कथित अनियमितता

49—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड चिनहट व बक्शी का तालाब के अंशकालीन नलकूप चालकों की नियुक्ति में

अंशकालिक सेवा नियमावली का उल्लंघन कर हरिजन उम्मीदवारों के स्थान पर नलकूप नम्बर 37 ग्राम रेथा विकास खण्ड चिनहट और नलकूप नम्बर 10 ग्राम हरदौरपुर विकास खण्ड बख्शी का तालाब में हरिजन के स्थान पर उच्च जाति के **उम्मीदवार की नियुक्ति की गयी?** यदि हां, तो नियमों में उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड चिनहट के कतिपय नलकूपों के कथितवाद होने की शिकायत

50–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड चिनहट में स्थित ग्राम भरवारा नलकूप संख्या 80 और ग्राम भैंसोरा का नलकूप संख्या 120 पिछले कई वर्षों से बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो उनके चालू न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा कैनाल सीतापुर खण्ड में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच

51–श्री भगौती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को शारदा कैनाल, सीतापुर खण्ड में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-5-86 प्राप्त हुआ है ? क्या पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा और जांच किसने की?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई विभाग के माध्यम से कराई जा रही है। शेष के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगत नारायण लाल, आबकारी निरीक्षक (सदर) गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

52–श्रीमती शारदा देवी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कार्यरत आबकारी निरीक्षक, सदर, श्री जगत नारायण लाल के विरुद्ध दि0 17 मई, 1986 से 25 जून, 86 तक प्रश्नकर्ता द्वारा कितने शिकायती पत्र जिला प्रशासन व शासन को प्राप्त हुए हैं और पत्रों के सन्दर्भ में उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता के दो शिकायती पत्र क्रमशः दिनांकित 17-5-86 एवं 25-6-86 श्री जगत नारायण लाल, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2, (सदर), गोरखपुर के विरुद्ध शासन को और एक शिकायती पत्र दिनांक 23-6-86 जिला प्रशासन को प्रश्नगत अवधि में प्राप्त हुए हैं। इन शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी में ताहिरपुर, मानपुर मार्ग पर खड़ंजे का कार्य कराये जाने की मांग

53–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड हरख, जिला

बाराबंकी में ताहिरपुर मानपुर मार्ग पर राष्ट्रीय सेवा योजन के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य अक्टूबर, 86 में पूरा हो गया और उसका उद्घाटन भी ग्राम्य विकास राज्य मंत्री जी ने कर दिया है ? क्या इस मार्ग पर खड़न्जे का कार्य कराये जाने का आश्वासन मा0 राज्य मंत्री ग्राम्य विकास ने उद्घाटन के अवसर पर दिया था? यदि हां, तो खड़न्जे का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला पंचायत अधिकारी, बांदा एवं ग्राम प्रधान खोही के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

54–श्री राम सजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामलाल त्रिपाठी व राम खेलावन आदि सदस्य गण ग्राम सभा खोही विकास खण्ड चित्रकूट, जिला बांदा ने जिलाधिकारी, बांदा व अन्य उच्चाधिकारियों को 1-7-86 को प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की है कि ग्राम प्रधान खोही ने जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा से सांठगांठ करके भ्रष्टाचार व धांधली की है तथा गांव सभा की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि जांचोपरान्त सही पाये गये तथ्यों के आधार पर उन्हें विगत वर्षों में मुअत्तल किया गया था तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उनकी बहाली की रिट खारिज हो जाने के बावजूद जिलाधिकारी, बांदा ने उन्हें बहाल कर दिया था और उच्च न्यायालय के निर्णय की अनदेखी की थी ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम प्रधान के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में वस्तुस्थिति स्पष्ट कराने हेतु जांच विचाराधीन है। जांच के उपरान्त परिणाम के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बेलन बकहर नहर, मिर्जापुर के पैमाईश में कथित अनियमितता एवं अनुचित भुगतान

55–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, 1980 में शासन के निर्देशों के बावजूद भी, सतर्कता विभाग द्वारा बेलन बकहर नहर, मिर्जापुर के पूर्व कार्यों की पैमाईश, क्यों नहीं करायी थी ? क्या तथ्यों को नजरअंदाज करके सतर्कता ने अपनी प्रथम प्रतिवेदन में तीन अधिशासी अभियन्ताओं की कथित कमेटी की माफी को सही करार दिया था तथा बाद में अपनी अन्तिम प्रतिवेदन में उन्हीं पैमाइशों को अनियमित, बिना चैक्ड, वि0 ह0 पु0 खण्ड 6 के प्रस्तर 435 के प्रतिकूल घोषित करके, कमेटी के सदस्यों को कड़े दण्ड दिये जाने की संस्तुति शासन को की है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि मामले के निस्तारण में जनवरी, 1978 में ई0 ई0 की 80 प्रतिशत से 94 प्रतिशत चेक्ड सही माप को आधार न मानकर कमेटी की अनियमित निरर्थक माप को आधार माना गया है ? क्या यह सही है कि सतर्कता द्वारा अपनी पहली गलत प्रतिवेदन की पुष्टि हेतु ऐसा किया गया है ? इस प्रकार क्या 9.50 लाख रुपये के राजकीय धन का बाद में अनुचित भुगतान किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन के सतर्कता विभाग ने बेलन बकहर नहर मिर्जापुर के पूर्व कार्यों की

पैमाईश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किये जाने के कोई आदेश नहीं दिये थे।

यह कहना गलत है कि सतर्कता अधिष्ठान ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में लाट नंबर 10, 11, 12 में किये गये कार्य की कमेटी द्वारा की गई पैमाईश को सही बताया, किन्तु अन्तिम आख्या में इसको गलत बता कर कमेटी के सदस्यों को दण्ड दिये जाने की संस्तुति की ।

पूर्व प्रस्तर के उत्तर के परिपेक्ष्य में, इस भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के ड्रेनेज खंड प्रथम एवं उप-खण्ड द्वितीय के अंतर्गत ग्राम अमवा एवं वसावनपुर के कटाव निरोधक योजना का कार्यान्वयन

56—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम एवं उपखण्ड द्वितीय के अन्तर्गत कूड़ा नदी की कटान को रोकने के लिये अमवा-वसावन-पुर एक कटाव निरोधक परियोजना बनी जो टी0 ए0 सी0 से स्वीकृत होकर कार्यरूप में परिणित हुई और वित्तीय वर्ष 85-86 में 6 ठोकर बनाये गये किन्तु आगे कार्य कराने से रोक दिया गया ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चालू वर्ष 86-87 से जून, जुलाई की बरसात प्रारम्भ होते ही उपरोक्त लगे ठोकर के स्थान पर कटान पुन: तेज हो गई और पहले से लगे ठोकर दब गये और काफी जमीन नदी ने काट डाला और कटाव प्रारम्भ होने के लगभग 20 दिन बाद कटाव निरोधक कार्य ड्रेनेज विभाग ने प्रारम्भ किया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेंगी कि उक्त परियोजना पर कितना धन स्वीकृत हुआ और सितम्बर, 1985 तक कितना धन व्यय हुआ और लगभग 10 माह (सितम्बर, 85 से 10 जुलाई 1986 तक) कार्य रोकने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कूड़ा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम अमवा एवं वसावनपुर की सुरक्षा हेतु 6 डैम्पनरों की एक योजना तकनीकी सलाहकार समिति की 76 वीं बैठक दिनांक 27/28 नवम्बर, 1984 में 19.28 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत हुई थी जिस पर वर्ष 1985 की बाढ़ के पूर्व 6 डैम्पनरों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया था, अत: आगे कार्य रूकवाने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त डैम्पनरों के स्थान पर कटान होने से डैम्पनर क्षतिग्रस्त हुए थे किन्तु कटाव प्रारम्भ होने लगभग 20 दिन बाद नहीं, बल्कि बाढ़ 19 के पूर्व ही 1985 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त डैम्पनगर को मरम्मत करा दी गई थी। बाढ़काल के भी कटान की स्थिति को देखते हुए तदनुसार बचाव कार्य कराया गया। प्रश्नाग्त कटाव निरोधक योजना रु0 19.28 लाख की लागत से स्वीकृत हुई थी जिसमें डैम्पनर कार्य की लागत रु0 15.23 लाख थी, के विरुद्ध सितम्बर, 1985 तक रु0 12.66 लाख आय-व्ययक शीर्षक 533-कैपिटल के अन्तर्गत व्यय करके स्वीकृत परियोजना के अनुसार 6 डैम्पनरों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया था । सितम्बर, 1985 से 10 जुलाई 1986 तक आय-व्ययक शीर्षक 289-फलड डैमेजेज के अन्तर्गत रु0 1.13 लाख व्यय करके वर्ष 1985 की बाढ़ से क्षति-ग्रस्त डैम्पनरों की मरम्मत करा दी गई थी, अत: 10 माह तक कार्य रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

57 से 59—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिये गये]

मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई के कार्यालय में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अवधि

60–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता ल0 सिं0 कार्यालय में कितने अवर अभियंता अब भी निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्यरत हैं और उनके स्थानान्तरण क्यों नहीं किये गये ? क्या एक स्थान पर अधिकतम अवधि सीमा केवल अवर अभियन्ताओं पर लागू होती है, सहायक अभियन्ता तथा उसमें उच्च पदों पर यह लागू नहीं होती? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय से सम्बद्ध अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण के संबन्ध में कोई अधिकतम अवधि सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

शासन द्वारा अधिकतम अवधि सीमायें जिलों तथा मण्डलों के लिये निर्धारित हैं, जो तदनुसार पदों पर लागू होती है।

उत्तर काशी जनपद में सहायक अभियन्ता (हाइड्रम) के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति

61–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में सहायक अभियन्ता हाइड्रम का पद पिछले चार वर्षों से रिक्त चल रहा है? उस पर नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गयी ? इसके लिए दोषी कौन है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। नियमित सहायक अभियन्ता (हाईड्रम) की नियुक्ति के अभाव में यह पद प्राविधिक रूप से तो रिक्त रहा, किन्तु दोहरे कार्यभार की व्यवस्था द्वारा कार्य को चलाया जाता रहा । दिनांक 6-9-86 से सहायक अभियन्ता (हाईड्रम) के पद पर नियमित नियुक्ति कर दी गई है।

जनपद हरदोई में नि:शुल्क बोरिंग परियोजना के अंतर्गत कराये गये कार्य में सहायक अभियन्ता पर कथित आरोप

62–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में नि:शुल्क परियोजना के अंतर्गत आपूर्ति किये गये वी0 पी0 सी0 पाइप में सूराख कराने का कार्य सहायक अभियंता लघु सिंचाई द्वारा 3 रु0 से 4 रु0 प्रतिमीटर की दर से ठेके पर कराया गया जिसमें प्लास्टिक का स्क्रेप जिसका बाजार, मूल्य लगभग एक लाख रुपया होता है, विधिवत नीलाम करके धन सरकारी कोष में जमा किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं।

प्रदेश में नि:शुल्क बोरिंग परियोजना द्वारा उपलब्ध धन का कथित दुरुपयोग

63–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य जनपदों में बी0 पी0 सी0 पाइप को छिद्रित कराने में प्लास्टिक स्क्रेप जिसका बाजारू मूल्य लगभग 80 लाख रुपया होगा, विधिवत नीलाम कर धन सरकारी कोष में जमा किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो सरकारी धन की इतनी बड़ी राशि के दुरुपयोग के लिये कौन अधिकारी उत्तरादायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं।

आगरा के सहपऊ, बरहन, फिरोजाबाद के राजबहो की माइनरों की सफाई तथा कमेटो द्वारा उसका सत्यापन

64–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के राजवाहों सहपऊ, बरहन, फिरोजाबाद व उनकी सभी माइनरों की सफाई वर्ष 1986-87 में मौके पर अब तक पूरी व सही तौर पर नहीं की गई है और कागजों में सफाई दिखाकर लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान अधिशासी अभियंता हाथरस ब्रांच व उनके सहायक अभियन्ता द्वारा किया जा रहा है और मौके के सफाई कार्यों के दोषों को छिपाने के लिये सिंचाई की आवश्यकता न होते हुये भी नहरों में पानी चला रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय विधायक जी के विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई खण्ड, हाथरस के द्वितीय उपखण्ड, टूण्डला, के बरहन, सहपऊ व फिरोजाबाद राजवहे प्रणालियों की क्रमशः 63.04 कि0 मी0, 56.88 कि0मी0 व 6.44 कि0मी0 लम्बी नहरें पड़ती हैं।

बरहन राजवहा प्रणाली की, 10 माइनरों सहित, कुल लम्बाई 95.12 कि0 मी0 है। सभी नहरों की कुल लम्बाई में सफाई कराई जा चुकी है। सहपऊ राजवहा प्रणाली की, 8 माइनरों सहित, कुल लम्बाई 95.52 कि0 मी0 है। इनमें से केवल माइनरों की सफाई कराई गयी है, सहपऊ राजवहे में केवल शीर्ष के चार फलांग में, जो मथुरा जनपद में है, सिल्ट निकाली गई। फिरोजाबाद राजबहे में कि0 मी0 9.6 से 12.5 तक एवं मुरथर माइनर की भी सफाई कराई गयी है। अतः यह सही नहीं है कि नहरों की सफाई केवल कागजों में दिखाकर फर्जी भुगतान किया जा रहा है। नहरों की सफाई सुचारु रूप से कराई गयी है जिसकी पुष्टि नहरों की सफाई के कार्य के सत्यापन हेतु गठित समिति ने भी की है।

नहरों को चलाने के लिए रोस्टर पहले तैयार कर लिया गया था तथा वर्षा न होने के कारण पानी की अधिक मांग के परिप्रेक्ष्य में सभी नहरें निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही चलायी जा रही हैं।

65–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या मा0 मंत्री जी उपरोक्त सभी नहरों और माइनरों के सफाई कार्यों की मौके की जांच प्रश्नकर्ता की मौजूदगी में जनता के बीच अधीक्षण अभियन्ता आगरा द्वारा कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि नहरों की सफाई से संबंधित कार्य की जांच की आवश्यकता नहीं है।

मिर्जापुर के बेलन बकहर नहर के कार्यों में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

66–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की श्री राम दुलारे चौबे ब्लाक प्रमुख नगवा मिर्जापुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 26-11-80 पर ही तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा बेलन बकहर नहर मिर्जापुर के कार्यों की पैमाइश में कथित कमेटी द्वारा की गयी व्यापक गड़बड़ियों की खुली सतर्कता जांच का आदेश दिनांक 12-12-80 को इस विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया था कि उक्त पत्र में अंकित तथ्य की कार्यस्थल पर तत्काल भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् ही जांच शुरू की जाय लाट नं0 12 के भौतिक सत्यापन के लिए पर्याप्त समय

उपलब्ध होने पर भी मापी न किये जाने के क्या कारण थे?. सतर्कता जांच शुरू हो जाने के बाद भी श्री राम दुलारे चौबे एवं अन्य लोगों द्वारा श्री मदन बिहारी तिवारी अधि0 अभि0 को पत्र तथा तार द्वारा सीधे एवं प्रमुख अभि0 को पत्र तथा सिंचाई के माध्यम से लिखा गया था कि जब तक लाट नं0 12 की दुबारा मापी न हो जाय तब तक इस पर नये अनुबन्ध से नया काम न लगाया जाय परन्तु कमेटी सचिव श्री मदन बिहारी तिवारी द्वारा लाट नं0 12 का बिना भौतिक सत्यापन कराये ही महीनों बाद नये अनुबन्ध से काम लगातार पूर्व के कार्यों के स्वरूप को बदलने एवं तथ्यों पर पर्दा डालने के क्या कारण थे एवं इसमें इनके सहयोग में किसका हाथ था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री राम दुलारे चौबे, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, नगवा, मिर्जापुर के शिकायती पत्र दिनांक 26-11-80 के आधार पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच के आदेश शासन द्वारा दिनांक 7-1-81 को दिये गये थे। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इस जांच के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिये थे।

दिनांक 21-1-81 को कार्य करने के लिए दूसरा अनुबन्ध हो जाने एवं अग्रिम निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने के कारण सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। सतर्कता अधिष्ठान तथा सिंचाई विभाग के अभिलेखों में इस प्रकार का कोई पत्र व तार उपलब्ध नहीं है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राहत हुसैन तत्कालीन सहायक अभियन्ता कूड़ा राजबाहा मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं स्थानान्तरण

67–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर नहर प्रखण्ड मिर्जापुर के कूड़ा राजबाहा में श्री राहत हुसैन सहायक अभियन्ता द्वारा कटिंग रीच में ब्रींच भरने के अनुचित भुगतान की सतर्कता जांच उनके विरुद्ध चल रही है? क्या सतर्कता जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है? श्री राहत हुसैन जनपद मिर्जापुर में लगातार 5 साल से अधिक समय से कार्यरत है जबकि शासन की नीति के अनुसार तथा निष्पक्ष जांच हेतु 6 माननीय विधायकों ने फरवरी, 86 में इनका स्थानान्तरण जनपद के बाहर करने हेतु शासन को लिखा था? स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है तथा कब तक इनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। जांच चल रही थी जो पूर्ण हो गयी है और सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है।

जी हां। 5 माननीय विधायकों के 6 पत्र माह फरवरी, 1986 में प्राप्त हुए । श्री राहत हुसैन सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के आदेश संख्या–433/ई-1, दिनांक 25-8-86 द्वारा ओबरा थर्मल निर्माण खण्ड ओबरा से परिकल्प संगठन लखनऊ कर दिया गया था। शेष प्रश्न नहीं उठता।

बेलन नहर मिर्जापुर के कार्यों की मापी करने में कथित कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं और उनको कार्यकारी पद पर नियुक्त करने की मांग

68–श्री रीजत प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलन नहर मिर्जापुर के लाट नं0 10, 11, 12 के पूर्व के कार्यों की अंतिम मापी करने में कथित कमेटी के सचिव सदस्यों तथा श्री नवल किशोर अवर अभियन्ता द्वारा की गयी भारी अनियमितताओं एवं गलतियों के परिणामस्वरूप क्या सतर्कता विभाग द्वारा इन लोगों को कड़ा दण्ड दिये जाने की संस्तुति शासन को की गयी है? यदि हां तो इस प्रकरण पर शासन द्वारा कब तक निर्णय लेकर कमेटी के सचिव को कार्यकारी पद पर पद स्थापित कर दिया जायेगा? शासनादेश संख्या 5214/82/सि–10 दिनांक 31-8-82 के तहत कमेटी के तीनों अधिशासी अभियन्ताओं तथा श्री नवल किशोर अवर अभियन्ता में से किन-किन लोगों को कार्यकारी पद पर नहीं रखा गया है और क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गोरखपुर विकास खण्ड चारगांवा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्रामों की संख्या के आधार पर धन आवंटित करने की मांग

69–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड चरगांवा में कुल ग्रामों की संख्या 50 है? जिसमें से 33 ग्राम मानीराम विधान सभा के 15 ग्राम पिपराईच विधान सभा क्षेत्र के 2 ग्राम कोडीराम विधान सभा क्षेत्र के है? यदि हां, तो क्या वर्ष 85-86 की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत धन का बंटवारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की संख्या के आधार पर किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिपराईच विधान सभा क्षेत्र के 15 ग्रामों के विकास के लिए ग्रामों की संख्या के आधार पर धन दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

70–श्रीमती शारदा देवी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला पूर्ति कार्यालय गोरखपुर से चीनी/मिट्टी के तेल की कतिपय दुकानों का निलम्बन एवं निरस्तीकरण

71–श्रीमती शारदा देवी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 जनवरी, 86 से 10 अगस्त, 86 तक जिला पूर्ति कार्यालय गोरखपुर से कितनी चीनी मिट्टी तेल की दुकानें निलम्बित/निरस्त की गयी है? यदि निलम्बित/निरस्त की गयी तो आधार क्या था? क्या यह सही है कि विक्रेताओं से सांठ-गांठ करके दुकानें तुरन्त बहाल की गयी है? यदि हां, तो निलम्बन तिथि क्या थी एवं बहाली तिथि क्या है? क्या खाद्य मंत्री सम्पूर्ण मामले की जांच रेकार्ड सील कराकर सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जिलापूर्ति कार्यालय गोरखपुर से दिनांक 2 जनवरी, 1986 से 10 अगस्त, 1986 तक चीनी/मिट्टी तेल की 28

दुकानें निलम्बित की गयी तथा दो (2) दुकानें निरस्त की गयी। दुकानों का निलम्बन/निरस्तीकरण वितरण में अनियमितताओं के आधार पर किया गया । यह सही नहीं है कि विक्रेताओं से सांठ गांठ करके दुकानें बहाल की गयी। दुकानों के निलम्बन तथा बहाली की तिथियों के ब्योरे संलग्न है। चूंकि दुकानों के निलम्बन एवं बहाली की कार्यवाही पूर्णतः नियमानुकूल थी, अतः इस संबंध में सी0 आई0 डी0 से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 143 पर)

जनपद फैजाबाद के भीटी एवं तरून ब्लाक में लगाये गये नलकूपों की सूची एवं एवं छिद्रण प्रगति

72–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में 30 नलकूपों के एक कलस्टर का चयन किन-किन गांव सभाओं में किया गया था? उनमें से किन-किन गांव सभाओं में अभी नल-कूपों का छिद्रण कराना शेष है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद फैजाबाद के भीटी कलस्टर में निर्मित 30 नलकूपों में से 22 नलकूप भीटी ब्लाक में आते हैं। शेष 8 नल-कूप तरून ब्लाक में लगाये गये हैं। (सूची संलग्न है)

सभी ग्राम सभाओं में नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 144 पर)

जनपद जौनपुर के बदलापुर में भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित दुकानों की संख्या

73–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री यह बतायेंगे कि विकास खंड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद–जौनपुर में कितनी राशन की दुकानें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की गई है ?

श्री हुकुम सिंह–

विकास खंड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में एक राशन की दुकान भूतपूर्व सैनिक को आवंटित की गई है।

श्री जंगबहादुर सिंह सदस्य, विधान सभा एवं श्री समर जीत सिंह भूतपूर्व सैनिक द्वारा दुकान आवंटन के संबंध में प्रेषित कथित पत्र

74–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत जोखापुर, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में प्राथमिकता के आधार पर राशन की दूकान आवंटित कराने विषयक श्री समरजीत सिंह, भूतपूर्व सैनिक के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न श्री जंगबहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा, जौनपुर का पत्र दि0 26-8-85 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

न्याय पंचायत–जोखापुर, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील–शाहगंज, जनपद-जौनपुर में प्राथमिकता के आधार पर राशन की दुकान आवंटित कराने विषयक श्री समर जीत सिंह, भूतपूर्व सैनिक के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न श्री जंग बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा, जौनपुर का पत्र दिनांक 26-8-85 को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर परिक्षेत्र का बांध कार्य एवं बाढ़ कार्य देवरिया बाढ़ खण्ड द्वारा किए जाने का औचित्य

75—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र मुन्डेरा बाजार में स्थित नकबार-बोहादार बांध, इटौवां बंधा छितहरी थून्ही बांध व राजधानी सिलहटा तथा बरही पाथ बाढ़ का कार्य बाढ़ खण्ड देवरिया द्वारा कराए जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि जनपद गोरखपुर में बाढ़ खण्ड कार्य कर रहा है जिसमें प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के कुछ बंधे इसी बाढ़ खण्ड में आते हैं ? क्या गोरखपुर जनपद में स्थित समस्त बांधों को गोरखपुर में ही कार्यरत बाढ़ खण्ड में कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राप्ती-गुर्रा दोआब तथा गुर्रा नदी के क्षेत्रों की समस्या एक जैसी है, यद्यपि इसका कुछ भाग जनपद गोरखपुर में तथा शेष भाग जनपद देवरिया में पड़ता है । इस क्षेत्र में कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से तथा व्यवहारिकता के अनुसार एक ही खंड में गत आठ वर्षों से रखे गए हैं, जो बाद कार्य खण्ड, देवरिया कहलाता है, तथा इसका मुख्यालय देवरिया में है । यह सत्य है कि जनपद गोरखपुर में बाढ़ कार्य खंड गोरखपुर कार्यरत है, जिसमें प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के कुछ अन्य बांध पड़ते हैं । कार्यों का वितरण प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से तथा व्यवहारिकता के अनुसार किया गया है । अतः इसमें कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है ।

सुल्तान-एण्ड कम्पनी अमरोहा द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

76—श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा ने एक पत्र मुख्य अभियन्ता कालागढ़ को दिनांक 10-4-81 को भेजा था जिसकी प्रतिलिपि तत्कालीन सचिव सिंचाई विभाग को भी भेजी गई थी उसके मुख्य मुद्दे क्या-क्या थे एवं शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । उक्त पत्र के मुख्य मुद्दे निम्न थे:—

1—अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने एक ठेकेदार को जो उनकी पसन्द एवं भरोसे का है, उसके हिस्से में से लाभ पहुंचाने हेतु चार सिक्योर्ड निविदाओं को नजरअन्दाज करते हुए सम्मिलित कर लिया जो वैध निविदादाता भी नहीं था ।

2—अधिशासी अभियन्ता की पार्टी ने राजकीय अभिलेखों में हेर-फेर करके उसे धोखा दिया ।

3—ठेकेदार का बिना मापा हुआ पत्थर ईर्ष्या से जहां चाहा प्रयोग कर लिया।

4—दुर्भावना के कारण जमानत की धनराशि ठेकेदार के प्रयास के बावजूद भी वापस नहीं लौटाई गई ।

(5) यह भी विदित हुआ है कि फिर अभिलेखों में हेर-फेर की जा रही है तथा माप पुस्तिकाओं के पृष्ठ बदले जा रहे हैं।

(6) आपूर्ति की गई मात्रा से कार्य की पूर्ण की गई मात्रा अधिक है ।

(7) श्री अरशद जमील ठेकेदार को भुगतान की गई मात्रा विभागीय लोगों की ईर्ष्या की पुष्टि करती है ।

(8) माह 11/80 में भुगतान करते समय अधिशासी अभियंता के टेबिल चैकिंग दिखाने के ऊपर मात्रा कम कर दी है ।

(9) जांच में विलम्ब करके केवल भुगतान में देरी नहीं की जा रही है बल्कि राष्ट्रीय हित को नजरन्दाज करते हुए उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो गलत खेल, खेल रहे हैं ।

उपरोक्त सभी मुद्दे तथ्यहीन एवं निराधार पाये गये । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम्य विकास विभाग के अधिक्षण अभियन्ताओं के वेतनमान में भिन्नता

77–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत अल्प सिंचाई भूगर्भ जल सर्वेक्षण एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं का वेतनमान सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंताओं के वेतनमान से भिन्न है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत अल्प सिंचाई भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं को 1840-2400 का वेतनमान स्वीकृत है । उक्त विभागों के अधीक्षण अभियन्ताओं को सिंचाई एवं सार्वजनिक निमार्ण विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं के वेतनमान 2050-2500 के समतुल्य वेतनमान दिये जाने के उपयुक्त नहीं पाया गया ।

आगरा जनपद के बोदला-बिचपुरी अछनेरा मार्ग को जिला परिषद से सा0 नि0 वि0 को हस्तातरित करने का प्रस्ताव

78–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में बोदला-बिचपुरी अछनेरा मार्ग के जिला परिषद् के भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के दिनांक 20 सितम्बर, 1985 के पत्र पर अंकित आपके आदेशों के परिपालन में अभी तक क्या कोई प्रगति संभव हो सकी है और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद आगरा में बोदला-बिचपुरी अछनेरा मार्ग के जिला परिषदीय भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तातरित किए जाने का प्रस्ताव जिला परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा जिला परिषद के इस प्रस्ताव पर जिला समन्वय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । प्रश्नगत प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-86 का नहीं वरन् दिनांक 20 सितम्बर, 1985 का है ।

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन0 आर0 ई0 पी0) के अंतर्गत किये गये कार्य

79–श्रीमती गेंदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन0 आर0 ई0 पी0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1982-83 तथा 83-84 में कौन-कौन सा कार्य कितनी-कितनी लागत से सम्पन्न किया गया है और प्रत्येक कार्यों में कितने-कितने मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है ? क्या प्रत्येक कार्यों में लगाये गये मजदूर गैंग मेट आदि की सूची व्यक्तिवार वितरित की गयी धनराशि के साथ उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ड्रेनेज खण्ड-2 बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1982-83

में 17.57 लाख रुपये तथा वर्ष 1983-84 में 16.53 लाख रुपये का कार्य कराया गया है। जिन प्राक्कलनों पर कार्य कराया गया है उनकी सूची संलग्न है। प्रत्येक कार्य पर सृजित मानव दिवस तथा उन्हें वितरित की गई धनराशि आदि का विवरण देना संभव नहीं है ?क्योंकि कार्यों से संबंधित अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान में है।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 145 पर)

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती में वर्ष 1982-83 का व्यय

80—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती के अंतर्गत पुराने कुआनों पम्प नहर के मुख्य नहर एवं प्रत्येक माइनर का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्यों में वित्तीय वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में कितना-कितना धन व्यय हुआ है ? उक्त में कितना-कितना धन तली काटने तथा सिवार उखाड़ने में व्यय हुआ है ? क्या प्रत्येक किलोमीटर वार अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती में 333 अनुरक्षण एवं मरम्मत नहर (कुआनों पम्प नहर) शीर्षक के अंतर्गत वर्ष 1982-83 में रुपये 12.51 लाख एवं 1983-84 में रुपये 24.33 लाख व्यय किये गये हैं।

तली काटने तथा सिवार उखाड़ने में व्यय की सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान में है।

सिंचाई विभाग का लेयर मशीन

81—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में लिथे तथा लेयर मशीन जो क्रमशः 53,064 रुपये तथा 57,761 रुपये में खरीदी गयी थी वह प्रयोग में लाई गई है कि नहीं? यदि प्रयोग में लाई गई है तो सम्बन्धित लाग बुक के अनुसार अब तक क्रमशः कितने-कितने घंटे चलाई गई? यदि अभी तक उपरोक्त मशीन प्रयोग में न लाई गई हो तो उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुआनों पम्प नहर परियोजना, बस्ती का निर्माण

82—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नये पम्प हाउस के नींव के रैक्ट डालने हेतु जो काफर ड्रेन मई, 1986 में बनाई गयी थी उक्त कार्य में कौन-कौन से मैटेरियल कितनी-कितनी मात्रा में मई, 86 से सितम्बर, 86 तक निर्गत किये गये हैं और प्रत्येक आइटम का मूल्य क्या है ? काफरड्रेन के निर्माण में मास्टर रोल के माध्यम से कितने-कितने रुपये के भुगतान किये गये हैं और ठेकेदार व अन्य माध्यम से कितना-कितना रुपया माह 5/86 से 9/86 तक माहवार व्यय हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष 1980-81 में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड खेसरहा, बस्ती द्वारा वितरित धनराशि

83—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री रामवृक्ष हरिजन पुत्र श्री कल्पनाथ निवासी ग्राम बिसरी, विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती को वर्ष 80-81

में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत 4000 रुपये ऋण दिया गया था जिस पर उन्हें 33 प्रतिशत छूट दिया जाना था? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि श्री रामवृक्ष के खाते में आज तक छूट का धन समायोजित न करके उल्टे उनसे 8,383 रुपये मूल धन मय सूद के वसूला जा रहा है? क्या मा0 मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र भी इस मामले में 446/लो0 द0/86, दिनांक 5-4-86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मा0 मंत्री जी अनुमन्य अनुदान श्री रामवृक्ष के खाते में समायोजित करा-कर अनुदान समायोजित न किये जाने कारण वर्ष 80-81 से अब तक अधिक लगे हुए सूद को दोषी व्यक्तियों से वसूल कराने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

श्री रामवृक्ष द्वारा प्राप्त ऋण धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जांचोपरान्त यह पाया गया कि लाभार्थी को लोहे की चादर का सामान बनाने हेतु ऋण दिया गया था परन्तु उसने इस का सही उपयोग नहीं किया, अतः उनसे ऋण की धनराशि की वसूली ब्याज सहित सहकारी बैंक खेसरहा द्वारा की जा रही है।

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच कराई गई। जांच से यह बात प्रकाश में आई कि श्री रामवृक्ष ने लोहे की चादर का सामान बनाने हेतु ऋण की धनराशि प्राप्त की थी किन्तु उन्होंने उक्त धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर नहीं किया। अतः अनुदान देना सम्भव नहीं हुआ।

लखनऊ जनपद के चिनहट ब्लाक में नलकूपों के लिये मार्ग के ईंटों की चोरी

84–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड चिनहट में ग्राम धोबैला नलकूप संख्या 46, ग्राम अलताफ खेड़ा मजरा बौरूमऊ नलकूप संख्या 65 और ग्राम बौरूमऊ नलकूप संख्या 30 के लिये बनाये गये मार्गों का ईंटा चोरी से खोद कर बेंच दिया गया है, जिसकी जानकारी स्थानीय अधिशासी अभियन्ता को भी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीपाल शर्मा, सहायक अभियन्ता, शारदा सहायक, जौनपुर पर कथित गबन का आरोप

85–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि शारदा कैनाल सीतापुर डिवीजन के प्रथम खण्ड सिधौली में कार्यरत सहायक अभियन्ता अनेक अनियमितताओं के लिए इलाहाबाद में निलम्बित हो चुके हैं और जौनपुर खण्ड में उन पर रु0 45,000 के गबन का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्हें सीतापुर डिवीजन में वित्तीय अधिकार दिये गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीतापुर खण्ड, शारदा नहर सीतापुर के प्रथम उपखण्ड सिधौली में दिनांक 9-7-86 से श्री श्रीपाल शर्मा, सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं, जो किसी अनियमितता के लिए निलम्बित नहीं रहे हैं।

श्री शर्मा, सहायक अभियन्ता पर जौनपुर खण्ड में रुपये 45,000 के गबन का मामला विचाराधीन नहीं है।

अतः उन्हें वित्तीय अधिकार न दिये जाने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

श्री नरेश दीक्षित, सहायक अभियन्ता, शारदा कैनाल सीतापुर की तैनाती

86—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शारदा कैनाल सीतापुर डिवीजन में तैनात श्री नरेश दीक्षित, सहायक अभियन्ता कितने दिनों से वहां कार्यरत हैं ? वहां से कब तक इनका स्थानान्तरण किया गया और फिर उसे निरस्त करने का कारण क्या है? इस वर्ष क्या सरकार उन्हें वहां से स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री नरेश दीक्षित, सहायक अभियन्ता सीतापुर खण्ड, शारदा नहर सीतापुर में 19-7-83 से कार्यरत थे।

वर्ष 1984 के सामान्य स्थानान्तरण के समय श्री नरेश दीक्षित, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिनांक 12-6-84 को द्वितीय दक्षतारोक पार करने के निमित्त प्रतिबन्धित संस्थान की निर्धारित अवधि पूर्ण करने के लिए मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के कार्यक्षेत्र में (पर्वतीय क्षेत्र में) किया गया था। तदोपरान्त उक्त आदेश संशोधित कर प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिनांक 18-9-86 को उन्हें मुख्य अभियन्ता (निर्माण) लखनऊ में अकार्यकारी पद पर स्थानान्तरित किया गया था और वे स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं किये गये हैं।

इनके स्थान पर सीतापुर डिवीजन शारदा नहर में श्री एस0 पी0 शर्मा, सहायक अभियन्ता को दिनांक 9-7-86 को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है।

87—श्री राम आसरे वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला परिषदों के कार्यालय अधीक्षकों की प्रोन्नति

88—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के कार्यालय अधीक्षकों को प्रोन्नति 10 वर्ष अनुभव प्राप्त करने के बाद कार्याधिकारी पद पर की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 10 वर्ष अनुभव प्राप्त कितने कार्यालय अधीक्षक हैं और उन्हें कब तक प्रोन्नति दे दी जायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रदेश की विभिन्न जिला परिषदों में इस समय 10 वर्ष कार्यालय अधीक्षक के पद पर अनुभव प्राप्त कुल 10 कर्मचारी हैं।

कार्यलय अधीक्षक संवर्ग से कार्य अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु फिलहाल कोई पद रिक्त नहीं है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा भवन निर्माण हेतु आवंटित धन

89—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा वर्ष 1982-83, 1983-84 वर्ष 1984-85, वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में अब तक विकास हेतु

रुपया दिया गया है? उक्त धनराशि से किस-किस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कब-कब और कितना-कितना रुपया दिया गया है उक्त धनराशि से किस-किस विद्यालय में किस-किस तिथि से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा किन-किन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? किस-किस विद्यालय में अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और अब यह कब तक बनकर पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 147 पर)

90–श्री नत्थू लाल विकल–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

91–श्री नत्थू लाल विकल–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

स्व0 श्री कृष्णानन्द शर्मा, डाईनर उ0 प्र0 नलकूप निगम, बरेली का पारिवारिक पेंशन

92–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री कृष्णानन्द शर्मा जो उ0 प्र0 नलकूप निगम, बरेली में डाईनर के पद पर कार्यरत थे का स्वर्गवास दिनांक 11-12-84 को हो गया था, किन्तु अभी तक उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को उनकी पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो पेंशन न मिलने के क्या कारण है ? क्या सरकार उनको पारिवारिक पेंशन का भुगतान तुरन्त करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 श्री श्याम सुन्दर वर्मा, अवर अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ट्यूबवेल डिवीजन आंवला, बरेली का पेंशन, ग्रेच्युटी तथा फण्ड

93–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री श्याम सुन्दर वर्मा सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल डिवीजन आंवला, जनपद बरेली में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे और दिनांक 11-7-84 को उनकी हत्या हो गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड व अन्य लाभ उनकी पत्नी को अभी तक क्यों नहीं मिला है ? क्या सरकार उनकी पत्नी को समस्त लाभ दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा सेवा काल

94–श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 में तदर्थ रूप से कार्यरत कितने कर्मचारी हैं तथा वे कितनी अवधि से सेवारत हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 में तदर्थ रूप से 316 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी अवधि अधिकतम 6 माह एवं न्यूनतम एक माह है।

राप्ती नदी के बांध पर व्यय की गयी धनराशि

95—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी के दांये तट पर करमैनी से बेलौनी तक बने बांध पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ? उस पर कितनी मिट्टी पड़ी है तथा कितने ठेकर लगे हैं और इन ठोकरों के लगाने और रख रखाव पर अब तक कितना धन लगा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

करमैनी बेलौली बन्धे पर वर्ष 78-79 से दिसम्बर 86 तक बंधे के सुदृढ़ीकरण में मिट्टी के कार्य पर रु0 1,25,14,873 एवं ठोकरों के निर्माण पर रु0 67,56,841 व्यय किया गया है । इससे 19 कि0 मी0 लम्बे बन्धे का सुदृढ़ीकरण किया गया तथा कुल 26 अदद ठोकरों का निर्माण किया गया है। इस बन्धे एवं ठोकरों के रख-रखाव कार्य पर वर्ष 80-81 से दिसम्बर 86 तक रु0 29,18,685 खर्च हुआ है । मिट्टी के कार्य से सम्बन्धित माप-पुस्तिकायें जांच के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान को भेजी गयी है जिसके कारण बन्धे पर कराये गये मिट्टी के कार्य की मात्रा देना सम्भव नहीं है ।

ग्रामीण विकास के लिए पुलिया निर्माण की योजना

96—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विकास के लिए जनपद के ग्रामीण इलाकों में पुलियों का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है जिनकी लागत भी विभिन्न होती है ? लागत की विभिन्नता एवं टेकनीकल जानकारी के अभाव में तथा विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण निर्मित पुलियां क्षतिग्रस्त होती जा रही है एवं पानी की मात्रा अधिक होने के कारण पुलियों से पानी का निकास न होने से सम्पर्क मार्गों का कटाव होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्रिज कारपोरेशन की तरह कलवर्ट कारपोरेशन (पुलिया निर्माण कारपोरेशन) बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

विभिन्न साईजों व टाइप की पुलियों की लागत भिन्न होती है ।

जी नहीं ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा पुलियों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाता है ।

पुलिया निर्माण कारपोरेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । न हाल इसकी कोई आवश्यकता है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट के कतिपय राजवहों एवं माइनरों की पटरियों पर खड़न्जा एवं लेपन (पिच) लगाने की मांग

97—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट के ग्राम जैनपुर से हरपुर गोरखपुर राजवाहा की पटरी ग्राम इस्लामपुर से ग्राम करमहा खुर्द पिपरी माइनर की पटरी, ग्राम बरगदही से ग्राम भैरवा पिपरी माइनर की पटरी एवं ग्राम चिऊटहा से सरैया पिपराईच मार्ग तक नहर की पटरी पर खड़न्जा लगाने का सुझाव सिंचाई सलाहकार समिति गोरखपुर की बैठक में विधायक पिपराइच द्वारा वर्ष 1985-86 में दिया गया था ? क्या सरकार इस

वर्ष उपरोक्त नहर की पटरियों पर यनहित में खड़न्जा लगवायेगी ?यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत नहर की पटरियों पर खड़न्जा लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

98-श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महाराजगंज मार्ग पर ग्राम गुलहरिया से मंगलपुर तक गोरखपुर राजवाहा की पटरी को लैपन (पिच) कराने से विकास खण्ड पनियरा, परतावल भटहट, चरगांवा के सैकड़ों ग्रामों की जनता को आवागमन में सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उक्त राजवाहा की पटरी पर ग्राम जैनपुर से मंगलपुर तक खडन्जा एवं ग्राम गुलहरिया से मंगलपुर तक लेपन (पिच) करायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

महाराजगंज राजबाहा पर ग्राम जैनपुर से ग्राम मंगलपुर तक खड़न्जा लगाने तथा गुल्हरिया से ग्राम मंगलपुर तक पिच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोरखपुर के राजबाहों की कतिपय पटरियों पर क्षतिग्रस्त खड़न्जे के पुनःनिर्माण की मांग

99–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के राजबाहा गोरखपुर पर ग्राम गुलहरिया से ग्राम हरपुर के बीच गुलहरिया से ग्राम जैनपुर तक 1978-79 में नहर की पटरी पर खड़न्जा कराया गया था, किन्तु मरम्मत के अभाव में खड़न्जा क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुलहरिया से जैनपुर तक मरम्मत एवं जैनपुर से हरपुर तक खड़न्जा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

गुलहरिया ग्राम से ग्राम जैनपुर तक खड़न्जा की मरम्मत का कार्य केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत धन प्राप्त होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जैनपुर से हरपुर तक नहर की पटरी पर खड़न्जा लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विकास खंड रुदौली, जनपद बाराबंकी में निःशुल्क बोरिंग कराने का लक्ष्य एवं उसकी पूर्ति

100–श्री राम सागर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1986–87 में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड रुदौली में निःशुल्क बोरिंग योजना का लक्ष्य क्या है? अब तक कितना लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? अवशेष लक्ष्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1986–87 में विकास खण्ड रुदौली जनपद बाराबंकी में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत 100 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 15-1-87 तक 29 बोरिंग सम्पादित की जा चुकी है, अवशेष लक्ष्य मार्च, 87 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

101–श्री राम सागर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अब तक कितने कृषकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? उनमें से कितने कृषकों की बोरिंग के कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितने कृषकों को पम्पसेट हेतु बैंक से ऋण दिलाया गया है? प्रत्येक कृषकों के नाम व पते क्या हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड रुदौली, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1986-87 में दिनांक 15-1-87 तक 60 कृषकों के आवेदन पत्र नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुये हैं। इनमें से 18 कृषकों की बोरिंग पूर्ण हो गई है। 17 कृषकों को बैंक से ऋण दिलाया गया है। कृषकों के नाम व पते की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 149 पर)

विकास खण्ड रुदौली, जनपद बाराबंकी के कृषकों को दिये गये बैंक ऋण में छूट का समायोजन तथा विलम्ब के लिए जांच आदेश

102—श्री राम सागर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली में जिन कृषकों की पम्पसेट हेतु बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है उन सब कृषकों के अनुगन्य छूट का समायोजन कर दिया गया है? क्या यह सही है कि श्री सूर्यपाल पुत्र स्व0 श्री दीना ग्राम तराबां विकास खण्ड रुदौली की छूट का समायोजन अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड रुदौली, जनपद बाराबंकी में 8 कृषकों की छूट का समायोजन ऋण में हो गया है। श्री सूर्यपाल पुत्र स्व0 श्री दीना ग्राम बरांवा, विकास क्षेत्र रुदौली की छूट का समायोजन हो गया है।

103—श्री राम सागर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विलम्ब से छूट का समायोजन किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत ऋण पर देय ब्याज को अदा करने का उत्तर-दायित्व संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर निर्धारित करेगी? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऋण स्वीकृत करने के साथ ही साथ उस पर अनुगन्य छूट का समायोजन कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करेगी ताकि कृषकों को अतिरिक्त ब्याज न वहन करना पड़े? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कार्यक्रम केन्द्र पोषित होने के कारण धन के लिये केन्द्र शासन पर निर्भर होना पड़ता है जिसके उपलब्ध न होने से देरी संभव है। बैंकों से कृषकों को ऋण वितरण किये जाने के साथ-साथ सरकारी खातों में छूट कृषकों के ऋण में समायोजित की जाती है।

प्रश्नगत मामले में विलम्ब के लिये जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद गोरखपुर के फरेन्दा नाले पर इमिलिहवा स्थान पर पुल बनाने का शासन का प्रस्ताव

104—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के फरेन्दा नाले पर इमिलिहवा देवी के स्थान पर पुल निर्माण का कार्य कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 में प्रश्नगत पुल का निर्माण पूरा कराया जाना प्रस्तावित है।

मंझरिया स्केप के नहर बन्दी कार्य को देवरिया के प्रथम उपखण्ड पडरौना को स्थानान्तरण

105—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि तमकुही रोड देवरिया स्थित गण्डक नहर निर्माण खण्ड के चतुर्थ उप-खण्ड कस्या द्वारा मंझरिया स्केप पर कार्य कराया जा रहा है जिसकी दूरी कार्य स्थल से 35 कि0 मी0 है जबकि उसी खण्ड के

3 उप खण्ड उपरोक्त कार्य स्थल से मात्र 2 कि0 मी0 की दूरी पर है ? यदि हां, तो तमकुही रोड स्थित तीनों उपखण्डों में से किसी एक के कार्य कराने में सरकार को क्या कठिनाई है । क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मंझरिया स्केप के नहर बन्दी के आपात-कालीन व महत्वपूर्ण कार्य को गण्डक नहर निर्माण खण्ड-दशम, के कसया स्थित चतुर्थ उपखण्ड द्वारा कराया गया है।

जी हां।

यह स्केप सिंचाई खण्ड प्रथम, देवरिया के प्रथम उपखण्ड पडरौना के कार्य क्षेत्र की है। अब इसके कार्य इसी उपखण्ड द्वारा कराये जाने हेतु हस्तांतरण कर दिये गये हैं। तमकुही रोड स्थित उपखण्डों को यह कार्य देने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर गोला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन गेहूं वितरण में अनियमितता, जांच की मांग

106–डा0 अच्युतानन्द तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर के गोला ब्लाक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन वितरण के लिए संग्रहीत गेहूं भारी मात्रा में वहां के बी0 डी0 ओ0 और ब्लाक प्रमुख की साजिश से बेंच डाला गया है? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि इतनी अधिक मात्रा में गेहूं ब्लाक मुख्यालय पर किसके आदेश से आवंटित कर दिया गया और किसके आदेश से गेहूं ब्लाक प्रमुख के दाल मिल वम आवास में रखा गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम बृक्ष गुप्ता, निलंबित दुकानदार भाटपाररानी देवरिया के जमा धनराशि की वापसी में विलम्ब

107–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के वि0 खं0 भाटपाररानी के न्याय पंचायत कुकुरघाटी में सस्ते गल्ले के दुकानदार श्री रामवृक्ष गुप्ता निवासी सरया 1980 में नियुक्त थे ? यदि हां, तो क्या इन्होंने बैंक डाफ्ट संख्या टी0 टी0/ए0 यू0 221862 दिनांक 18-2-80 द्वारा रु0 4860·00 तीस क्विंटल चावल आवंटन हेतु जमा किये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चावल आवंटन से पहले ही 20-2-80 को उक्त कोटेदार को निलम्बित कर दिया गया ? यदि हां, तो उसकी जमा धनराशि को अब तक न देने का क्या औचित्य है तथा विलम्ब का कारण क्या-क्या है ? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

श्री रामवृक्ष गुप्त निवासी सरया, न्याय पंचायत कुकुर घाटी वर्ष 1980 में सस्ता गल्ला विक्रेता नियुक्त थे । श्री रामवृक्ष गुप्ता बैंक डाफ्ट संख्या टी0 टी0/ए0 यू0 221862 दिनांक 18-2-80 द्वारा रु0 4500·00 और ट्रेजरी चालान संख्या 32 दिनांक 18-2-80 द्वारा रु0 360·00 अर्थात सम्पूर्ण धनराशि रु0 4860·00 जो 30 कुन्तल चावल कामन की कीमत थी, जमा किये थे । परगनाधिकारी सलेमपुर के आदेश संख्या 969 (2) दिनांक 20-2-80 द्वारा श्री रामवृक्ष गुप्ता की दुकान निलंबित कर दी गई उक्त कुल जमा धनराशि रु0 4860·00 में से रू0 360·00 दिनांक 4-10-85 को श्री गुप्ता को वापस कर दिया गया है।

शेष रु0 4500/- की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही जिला प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम गोरखपुर के स्तर पर लम्बित है। भुगतान के लिये जिला प्रशासन द्वारा निगम से निरन्तर सम्पर्क किया गया है तथा विलम्ब के कारणों से अवगत कराने के लिए भी लिखा गया है।

जनपद आजमगढ़ के महुला गढ़वल बांध पर कार्य किए ठेकेदारों की संख्या एवं अन्य विवरण

108—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के महुला गडवल बांध पर ग्राम नई बाजार से ग्राम दाम महुला तक पुराने बन्ध पर कितने ठेकेदारों ने सन् 1986 में कार्य किया है और कहां के निवासी हैं और किस जाति के हैं? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुराने बंधे पर मिट्टी का काम हेडलेड से कराकर कैरेज दिखाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा नई बाजार से दाम महुला तक कितने रुपये का कार्य सन् 1986 में कराया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

महुला गढ़वल बांध पर ग्राम नई बाजार से ग्राम दाम महुला तक वर्ष 1986 में कुल 55 ठेकेदारों ने कार्य किया था, जिनके निवास स्थान एवं जाति का विवरण संलग्न है। जो मिट्टी हेड लोड से प्राप्त की गयी है उसका कैरेज के अनुसार दिया गया है तथा जो मिट्टी कैरेज से प्राप्त की गयी है उसका दर हेड लोड का दिया गया है। नई बाजार से दाम महुला तक वर्ष 1986 में रु0 10,30,613 का मिट्टी का कार्य कराया गया है।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 150 पर)

109—श्री जमुना प्रसाद मौर्य—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

गोरखपुर जनपद में ताड़ी की दुकानों की स्थायी व्यवस्था में किए गये घोटाले में शिकायत एवं जांच

110—श्री रमाकान्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदार नाथ सिंह भूतपूर्व विधायक गोरखपुर ने आपकी सेवा में दिनांक 4-11-85 को गोरखपुर जनपद में ताड़ी की दुकानों के स्थाई व्यवस्था में की गई भारी घोटाले सम्बन्धी शिकायती पत्र दिया था? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र में पेशेवर व्यक्तियों को नजरअन्दाज कर धनाढ्य ठाकुर, घोसी, ब्राह्मण व अन्य सवर्णों को प्रति दुकान दस से बीस हजार रुपया लेकर फर्जी नाम से बेनामी लाइसेंस देने, बकायेदार लोगों के परिवार के व्यक्तियों तथा सजायाफ्ता व अयोग्य व्यक्तियों को ताड़ी की दुकानें देने के आरोप लगाये गये हैं।

उपरोक्त शिकायतों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच में जाफराबाजार की ताड़ी की दुकान को सजायाफ्ता व्यक्ति को देने के अतिरिक्त अन्य कोई शिकायत सही नहीं पाई गई। जाफराबाजार ताड़ी की दुकान का अनुज्ञापी तीरथ पुत्र राम जतन आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अन्तर्गत सजायाफ्ता था, परन्तु अपने आवेदन पत्र में उसने यह तथ्य छिपा लिया था इस तथ्य के प्रकाश में आने पर उक्त अनुज्ञापन जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया।

श्री तीरथ पुत्र श्री राम जतन जापरा बाजार सेक्टर-2 के ताड़ी के दुकान का निरस्तीकरण

111—श्री रमाकान्त—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तीरथ पुत्र श्री रामजन्म ग्राम इस्लामपुर थाना गुलरिया जिला-गोरखपुर **के नाम जापरा बाजार सेक्टर-2 नगर क्षेत्र** गोरखपुर के ताड़ी की दुकान की स्थाई व्यवस्था वर्ष 84-85 में की गयी थी जबकि **वह आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत जुर्माना तथा सजा पाया हुआ है ? यदि हां, तो उसके लिये कौन दोषी है? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी ?**

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। श्री तीरथ के पिता का नाम रामजनम नहीं है। बल्कि राम जतन है। इसके लिए श्री तीरथ पुत्र श्री राम जतन दोषी पाये गये, जिन्होंने ताड़ी की दुकान हेतु दिए गये अपने आवेदन पत्र में मिथ्या कथन अंकित किया था। **दोषी श्री तीरथ पुत्र श्री रामजतन को स्वीकृत जापराबाजार, सेक्टर-2 नगर क्षेत्र ताड़ी की दुकान का अनुज्ञापन जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है।**

श्री कृष्ण मोहन तिवारी अभियन्ता, जिला परिषद् के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

112—श्री अचल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाकान्त शुक्ल, अध्यक्ष छात्रसभा, निवासी मोहल्ला कानूनगोपुरा, जिला बहराइच ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री कृष्ण मोहन तिवारी, अभियन्ता, जिला परिषद् बहराइच के विरुद्ध जांच हेतु दिया था जो माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा उ0 प्र0 के यहां से आपके पत्रांक 2033/86 दिनांक 29-7-86 को भेजा गया है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् बहराइच को जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र भेजने हेतु दिनांक 13-10-86 को भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

टिहरी बांध परियोजना के प्रभावित गांवों को पुनर्वासित करने की व्यवस्था

113—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना के प्रभावित कितने गांवों का पुनर्वास करना शेष है ? इन गांवों को पुनर्वासित करने के लिए कहां-कहां भूमि उपलब्ध की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध परियोजना से पुनर्वासित होने वाले ग्रामों के पुनर्वास की योजना दो चरणों में बनाई गयी है। प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 24 ग्रामों का पुनर्वास किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कुल 81 ग्राम का पुनर्वास करना शेष है।

उपरोक्त शेष ग्रामों को विभिन्न पुनर्वास स्थलों में जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत पथरी रौ में 245 प्लाट, रानीपुर रौ में 40 प्लाट, पथरी ब्लाक में 40 प्लाट, जनपद देहरादून के अन्तर्गत बंजारावाला क्षेत्र में 310 प्लाट (1/2 एकड़) भानियावाला, जौली में 43 प्लाट, रायवाला, जौहरी ब्लाक में 14 प्लाट व सीलिंग से प्राप्त भूमि में 7 प्लाट (कुल 699 प्लाट) आवंटन हेतु रिक्त हैं।

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवार को भूमि एवं भवन का न्यूनतम प्रतिकर देने सम्बन्धी शासनादेश

114–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना हेतु शासन की ओर से डूबे क्षेत्र के प्रत्येक किसान परिवार को कम से कम दो एकड़ भूमि तथा 12,000 रुपया मकान बनाने के लिए देने का आश्वासन दिया गया था ? क्या उसको बदलने का विचार है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार को शासन से समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा दो एकड़ भूमि का न्यूनतम प्रतिकर 40,000 रु0 देय है, साथ ही भवनों के लिए एक परिवार को न्यूनतम 12,000 रुपये देय है। भूमि व भवन का न्यूनतम प्रतिकर बदलने का विचार नहीं है।

टिहरी बांध के विस्थापितों को भवन निर्माण हेतु धन का निर्धारण

115–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले कृषक परिवार को मकान बनाने के लिये 12,000 की धनराशि किस सन् में निश्चित की गयी थी और उस सन् से अब तक लागत की कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा जनपद के ग्राम आवा को यमुना नदी के कटान से बचाने हेतु शिकायती पत्र

116–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 9-9-86 को एक शिकायती पत्र गांव आवा, तहसील छाता, जिला मथुरा को जमुना नदी के कटाव से बचाने हेतु दिया था ? यदि हां, तो इस गांव को जमुना नदी के कटान से बचाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। ग्राम आवा, तहसील छाता, जिला मथुरा, यमुना नदी के दायें किनारे पर स्थित है। इस ग्राम को यमुना नदी के कटान से बचाने हेतु कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है। शासन की निर्धारित नीति के अनुसार बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर नदियों के कटान से रोकने का कार्य न करके कटान से प्रभावित ग्रामों को ही किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाना ज्यादा लाभदायक एवं युक्त संगत होगा।

शारदा नहर खण्ड सीतापुर के उप खण्ड क्षेत्र सिधौली में रबी की सिंचित भूमि तथा प्राप्त राजस्व

117–श्री भगौती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर, खण्ड सीतापुर के प्रथम उप खण्ड क्षेत्र सिधौली में, फसली वर्ष 1392 में रबी की कितने एकड़ भूमि सींची गयी, उससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और फसली वर्ष 1393 में रबी की कितने एकड़ भूमि सींची गयी और उससे कितना रुपया सिंचाई का प्राप्त हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा नहर खण्ड, सीतापुर के प्रथम उपखण्ड क्षेत्र सिधौली में फसली वर्ष 1392 में रबी की 38,824 एकड़ भूमि सींची गयी तथा उससे 17,30,896·90 रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई । फसली वर्ष 1393 में रबी की 58,450 एकड़ भूमि सींची गयी और उससे 15,97,078·26 रुपये सिंचाई का प्राप्त हुआ ।

मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय में मुख्य लेखाकार तथा टंकक पदों का स्थायीकरण

118–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधिष्ठान के अन्तर्गत दो पद मुख्य लेखाकार एवं एक पद टंकक का अब तक स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त संदर्भ में कब तक आदेश निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत पदों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है । वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर आदेश निर्गत कर दिए जायेंगे ।

परिषदीय कर्मचारी–लिपिक एवं जीप चालक को सेलेक्शन ग्रेड तथा समयबद्ध वेतनक्रम

119–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय कर्मचारियों की भांति परिषदीय कर्मचारी लिपिकीय एवं जीप चालक आदि को सेलेक्शन ग्रेड तथा समयबद्ध वेतनक्रम दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां ,तो कब तक आदेश निर्गत किये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

जिला परिषदीय लिपिक तथा अवर अभियंता कर्मचारियों के वेतनमान

120–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय कर्मचारी लिपिकीय एवं अवर अभियन्ता तक का वेतन शासकीय कर्मचारी से कम है तथा जिला परिषद् के कर्मचारी जो बेसिक शिक्षा परिषद् में गये उनका वेतनक्रम अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति के अन्तर्गत परिषदीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन किये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, यह वेतनमान द्वितीय वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया गया है । जिला परिषद् की आर्थिक स्थिति सामान्यत: ठीक न होने के कारण उनके कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किया जाना संभव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता, मध्य गंगा नहर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

121–श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता ने अपने मध्य गंगा नहर खण्ड–4 बुलन्दशहर के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1984 में हापुड़ व गुलावटी के मध्य निर्माणाधीन मध्य गंगा नहर के पुल पर मिट्टी के काम में भारी घपला किया था जिसकी शिकायत तभी अधिशासी अभियन्ता से भी की गयी थी ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मामलों की जांच मुख्य अभिबन्ता (मध्य गंगा) के माध्यम से करा ली गई है और उनकी जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

बस्ती जनपद की ग्राम सभा पुरैना के प्रधान श्री अब्दुल मन्नान के विरुद्ध जांच

122–श्री सुखपाल पाण्डे, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा पुरैना तप्पा उजियार, परगना मगहर पूरब, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के प्रधान श्री अब्दुल मन्नान के विरुद्ध श्री शई अहमद ग्राम पुरैना ने एक शिकायती पत्र दिनांक 19-12-83 को धारा 95 जी के पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत देकर प्रधान के विरुद्ध परगना अधिकारी, खलीलाबाद से कार्यवाही करने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उक्त शिकायती पत्र 19-12-83 के बजाय 2-12-83 को दिया गया । परगनाधिकारी द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये तथा उसी स्तर पर अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है ।

लखनऊ जनपद में कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर व्यय

123–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में सादुल्लानगर-एने मार्ग बंथरा–खाण्डेदेव मार्ग, सकरा-दोनारेवरी सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर शासन द्वारा कितना धन व्यय किया गया ? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ जनपद के सरोजनीनगर क्षेत्र में राजकीय नलकूपों द्वारा सींच, अनुरक्षण पर व्यय तथा प्राप्त राजस्व

124–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ में लगे प्रत्येक राजकीय नलकूपों द्वारा वर्ष 1985-86 में कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई तथा इन नलकूपों पर शासन द्वारा वर्ष 1986 में कितना धन व्यय किया गया तथा इनसे कितनी राजस्व की वसूली हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नलकूप (मध्य) संगठन के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में लगे राजकीय नलकूपों द्वारा वर्ष 1985-86 में संलग्न तालिकानुसार सींच की गई ।

इन नलकूपों के अनुरक्षण एवं रख रखाव कार्य पर वर्ष 1985-86 में कुल रु0 1,35,068.40 पैसे व्यय हुआ तथा विद्युत ऊर्जा का रु0 3,56,155.00 भुगतान दिया गया है ।

राजस्व की वसूली हेतु रु0 1,11,294.64 पैसे की जमाबन्दी संबंधित तहसील को प्रेषित की जा चुकी है ।

(देखिए नत्थी 'त' भाग पृष्ठ 152 पर)

श्रम एवं सेवायोजन निदेशालय में कर्मचारियों के पटल का परिवर्तन तथा श्री अंसारी का स्थानान्तरण

125–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि श्रम एवं सेवायोजन निदेशालय के कार्यालय में सभी कर्मचारियों के पटल का कार्य बहुधा दो या तीन वर्षों में बदल दिया जाता है ? यदि

हां, तो क्या यह सत्य है कि श्री अंसारी जो विभाग के अधिकारियों से संबंधित स्थापना का कार्य पर रहे हैं, वह एक ही स्थान पर लगभग 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो इनका पटल न बदले जाने का कारण क्या है ?

श्री सईदुल हसन–

ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के पटल का कार्य दो या तीन वर्षों में बदल दिया जाये । फिर भी कर्मचारियों के पटल प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार बदल दिये जाते हैं । श्री अंसारी को स्थापना अनुभाग के पटल से निदेशालय के पत्र दिनांक 21-1-87 द्वारा स्थानान्तरित कर दूसरे अनुभाग के पटल पर तैनात किया जा चुका है ।

वाराणसी जनपद में आजमगढ़ रोड पर स्थित कतिपय ग्रामों हेतु स्वीकृत मार्गों हेतु आवंटित धन

126–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत आजमगढ़ रोड पर स्थित ग्राम बगनपुरवा से ग्राम बेनीपुर कला व बेनीपुर से ग्राम मंहदा-मैगौलेपुर स्वीकृत मार्ग के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि ग्राम बलिरामगंज रोड पर व्यय किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन लोग उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी कार्यालय में कतिपय कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति

127–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी में कनिष्ठ लिपिक श्री कृष्णानन्द पाठक, राम जतन पाल एवं मोतीलाल गौड़ की पदोन्नति 1983 में वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गई थी, उन्हें पुनः 470-735 के वेतनमान में पदोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ? क्या इनसे वरिष्ठ लिपिक विभाग में अवशेष थे ? यदि हां, तो कितने ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव जनपद के बहता ग्राम में सरवन ड्रेन पर पुल का निर्माण

128–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली विकास खण्ड के बहवा ग्राम में सरवन ड्रेन पर पुल बनाने हेतु वर्ष 82, 83, 84 में नाला खोदकर नींव बनाई गई थी और पुल निर्माण हेतु लगभग एक लाख ईंटे भी उक्त स्थल पर गिर चुकी थीं ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर इन कार्यों हेतु कुल कितना खर्च आया? क्या मंत्री जी कृपया यह भी जानकारी देंगे कि पुल निर्माण का काम प्रारम्भ करके क्यों बन्द कर दिया गया ? क्या यह सही है कि नींव की खुदाई के कारण बहवा गांव वालों का रास्ता बन्द है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, हिलौली विकास खण्ड के बहवा ग्राम में सरबन ताल नाले के कि0 मी0 8 पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पुल निर्माण प्रस्तावित किया गया था और एतदर्थ लगभग 70,000 ईंट उक्त स्थल हेतु खरीदी गई थीं । उक्त पुल के निर्माण पर वर्ष 1985-86 तक का कुल व्यय रु0 37,615-00 मात्र है । उक्त पुल की अनुमानित लागत (वर्ष 1982-83 में प्रच-

लित दरों के आधार पर) रु0 2,90,000 .00 थी जिसकी व्यवस्था जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उन्नाव द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत की जानी थी। किन्तु अपेक्षित धन का आवंटन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त न हो सकने के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण स्थगित करना पड़ा । पुल का निर्माण स्थगित कर देने के फलस्वरूप उक्त ग्राम-वासियों को असुविधा होना स्वाभाविक है।

फैजाबाद में नलकूपों की गूल बनाने हेतु पाइप का निर्माण, पाइप बिछाने हेतु कार्यादेश तथा पाइप का उपयोग

129–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 में सिंचाई कार्य मंडल, फैजाबाद में नलकूपों पर पाइप गूल बनाने के लिये 12 इंच व्यास के सीमेन्ट कंकरीट पाइप कितने मीटर निर्माण कराया गया था और इस मण्डल के विभिन्न खण्डों द्वारा कितने कितने मीटर पाइप बनवाये गये ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण पटल पर रखने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा जा रही है ।

130–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

उपरोक्त निर्माण किये गये सीमेन्ट कंकरीट पाइपों को विभिन्न खण्डों में नलकूपों के क्षेत्र में बिछाने हेतु कितने-कितने अनुबन्ध तथा कार्यादेश कब-कब कितनी लम्बाई में किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त सम्पूर्ण सीमेन्ट कंकरीट पाइप का नलकूपों पर पाइप गूल के रूप में प्रयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वार बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

131–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त निर्माण किये गये सीमेन्ट कंकरीट पाइप का पूर्ण रूप से प्रयोग अब तक क्यों नहीं किया गया है? इस योजना को लागू न करानें में कौन-कौन संबंधित अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

132–श्री यदुनाथ सिंह–

[1ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सार्वजनिक नौका घाटों में पथकर में वृद्धि विषयक महामंत्री, नाविक जल मजदूर संघ का पत्र

133–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिश्री लाल निषाद महामंत्री नाविक जल मजदूर संघ, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 28-1-84 में किन मांगों का उल्लेख किया गया है ? क्या सार्वजनिक घाटों पर पथकर की वर्तमान दरों में संशोधित करने का कोई आश्वासन सरकार द्वारा उन्हें दिया गया है? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री मिश्री लाल निषाद महामंत्री नाविक जल मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 28-1-84 में सार्वजनिक नौका घाटों के पथकर की दरों में वृद्धि करने तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उसमें समानता लाने की मांग की गयी है ।

जी हां ।

शासकीय विज्ञप्ति संख्या 4251ग/33-3-232/78 दिनांक 25 अगस्त, 1986 द्वारा सार्वजनिक नौका घाटों की पथकर की दरें पुनरीक्षित कर दी गई हैं।

134–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री लाल चन्द्र जिलेदार को प्रोजेक्ट कालोनी गंगा नहर, अलीगढ़ में आवंटित सरकारी आवास का कब्जा

135–श्री कल्यान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-6-86 का पत्र और उसके साथ श्री लालचन्द्र जिलेदार मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-19 अलीगढ़ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त श्री लालचन्द्र जिलेदार के नाम प्रोजेक्ट कालोनी गंगा नहर कम्पाउण्ड लाल डिग्गी अलीगढ़ में स्थित आवास विधिवत इनके नाम आवंटित हो जाने के बावजूद अभी तक इन्हें कब्जा न मिलने और उस पर श्री श्याम बाबू यादव कार्य पर्यवेक्षक मध्य गंगा नहर खण्ड 19, अलीगढ़ द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक श्री लाल चन्द्र जिलेदार को उक्त आवंटित आवास पर कब्जा दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? आदेशों की अवहेलना के लिये कौन उत्तरदायी है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ?

श्री लाल चन्द्र, जिलेदार, प्रोजेक्ट कालोनी, लाल डिग्गी, अलीगढ़ में स्थित फील्ड होस्टल के दो कमरों में रह रहे थे जिसमें से एक कमरे पर श्री श्याम बाबू यादव, कार्य पर्यवेक्षक द्वारा माह सितम्बर 1985 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था। इस कमरे को श्री श्याम बाबू यादव, कार्य पर्यवेक्षक से दिनांक 9-12-86 को खाली करा लिया गया है तथा इसका कब्जा श्री लाल चन्द्र, जिलेदार को दिलाया जा चुका है।

बस्ती जनपद के ड्रेनेज खण्ड प्रथम अन्तर्गत गामों की नहरों तथा जलाशयों की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु परियोजना

136–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम में वजहा सिसवा मम्झौली मरथी एवं शिवपति सागर से वजहा पूर्वी वजहा पश्चिमी टोड़ीपुर शिवपति एवं मौंसासी इत्यादि माइनर निकाल कर संबंधित क्षेत्र की सिंचाई हुआ करती थी किन्तु मरम्मत के अभाव में सागर (जलाशय) पटकर उथले हो गये हैं और नहरें अपनी सिंचाई क्षमता खो बैठी हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त जमींदारी नहर प्रणाली को सिंचाई हेतु सक्षम बनाने सागरों की जल सम्भरण क्षमता को बढ़ाने और अस्त व्यस्त नहरों की मरम्मत हेतु विशेष धन आवंटित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। जलाशयों तथा नहरों की क्षमता घटी है। जलाशयों की क्षमता बढ़ने एवं नहरों में सुधार हेतु भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत परियोजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रेषित की गयी है जिसके स्वीकृत होने तथा धन प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा?

बस्ती जनपद के ड्रेनेज खण्ड प्रथम में वर्षवार रखे गये दैनिक मजदूरों की संख्या तथा मजदूरी का भुगतान

137—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के उपखण्ड द्वितीय में वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 में कितने दैनिक मजदूर रखे गये और उनमें से कितने मजदूरों की मजदूरी दी गयी और कितने मजदूरों की मजदूरी शेष है ? क्या मंत्री जी शेष मजदूरी भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के द्वितीय उपखण्ड में वर्ष 1983-84 में 1269 मजदूर, वर्ष 1984-85 में 1600 मजदूर तथा वर्ष 1985-86 में 1248 मजदूर रखे गये। वर्ष 1983-84 व वर्ष 1984-85 में सभी मजदूरों का भुगतान कर दिया गया । वर्ष 1985-86 में 1248 में से 1205 मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है । शेष 43 मजदूरों का भुगतान कराया जा रहा है ।

मथुरा जनपद में खोले गये धान खरीद केन्द्र

138—श्री लक्ष्मी नारायण—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में मथुरा जनपद में कितने धान खरीद केन्द्र खोले गये ? क्रय केन्द्रों पर कितना धान 15 दिसम्बर, 86 तक क्रय किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

वर्ष 1986-87 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मथुरा जनपद में 5 धान खरीद केन्द्र खोले गये । दिनांक 15 दिसम्बर, 1986 तक धान की आमद न होने के कारण इन केन्द्रों पर कोई खरीद नहीं हुई ।

सिंचाई विभाग में डिप्लोमाधारक संगणक के पदों का सृजन

139—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेक्निकल आडिट सेल सिंचाई विभाग को 1 जनवरी से 30 जून, 80 तक की अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में सिंचाई विभाग के प्रत्येक खण्ड में डिप्लोमा धारक संगणक की नियुक्ति न होने से शासन को वित्तीय हानि हो जाने की आशंका बनी रहती है, का उल्लेख किया था ? इस प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से 280 पद संगणक के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था ? इस प्रस्ताव पर 27-7-84 को आश्वासन समिति की बैठक में विशेष सचिव सिंचाई तथा संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया था कि कार्य के हित में संगणक के पदों के सृजन की आवश्यकता है तथा इस प्रकरण पर सप्तम पंचवर्षीय योजना में निर्णय लिया जायेगा ? सप्तम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के बाद सिंचाई विभाग के ब0 शा0 पत्रांक जी-156/ई-5क दिनांक 18-4-85 द्वारा शासन को स्मरण दिलाने के उपरान्त भी शासन स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। दिनांक 27-7-84 की आश्वासन समिति की बैठक के कार्यवृत के अनुसार समिति की उक्त बैठक में संघ के प्रतिनिधियों से कोई वार्ता नहीं

हुई थी । अतः प्रश्नगत प्रतिवेदन तथा समिति की बैठक में लिए गये कथित निर्णयानुसार संगणक के पदों के सृजन के संबंध में निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

140—श्री राम नरेश यादव—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में सरकार द्वारा आई टी0 आई0 खोलने का निर्णय लिए जाने के बावजूद भी विलम्ब होने के कारण क्या है ?

श्री सईदुल हसन —

शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

सहमऊ, बरहन व फिरोजाबाद के राजबाहों तथा माइनरों में बैडवार न होने तथा लेविल मशीनों की खराबी की जांच

141—श्री चन्द्रभान मौर्य —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के राजबाहों **सहपउ व बरहन व फिरोजाबाद व उनके** माइनरों के एल सेक्शन फर्जी प्रस्तुत करके लाखों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सभी राजबाहों व माइनरों में बैडवार तक नहीं है और न लेविल मशीनें चालू हालत **में है? क्या मंत्री जी उपरोक्त** राजबाहों व माइनरों में मौके पर बैडवारों के होने की व लेविल मशीनों की खराब होने की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में श्री विद्या सागर सिंह तथा श्री इन्द्र देव त्रिपाठी का कार्यकाल

142—श्री हर्षवर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड धानी में कार्यरत श्री विद्या सागर सिंह एवं श्री इन्द्र देव त्रिपाठी पिछले 12 वर्ष की अपनी सेवा अवधि में कितने वर्ष विकास खण्ड धानी में नियुक्त रहे हैं? उक्त व्यक्तियों का अत्यधिक समय तक एक ही विकास खण्ड में नियुक्ति को दृष्टिगत रखते हुए शासन क्या इनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषदों में लिपिक, प्रधान लिपिक तथा टैक्स कलेक्टर के पदों पर नियुक्त स्थानीय व्यक्तियों के स्थानान्तरण पर विचार

143—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि जिला परिषदों में हर जिले में स्थानीय व्यक्ति ही स्टाफ में लिपिक, प्रधान लिपिक **व कलेक्टर कार्यरत हैं** जिनके गुटबाजी व भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से संस्थाओं **का विकास नहीं हो पा रहा है** ? यदि हां, तो जिला परिषदों को गतिशील व चुस्त **बनाने के लिए सरकार इनके** स्थानान्तरण पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह सच है कि प्रत्येक जिले की जिला **परिषद् में** स्थानीय व्यक्ति ही स्टाफ में लिपिक/प्रधान लिपिक व टैक्स कलेक्टर आदि पदों पर कार्यरत हैं। जिला परिषदों को गतिशील व चुस्त बनाने के लिए इन **कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न शासन**

के विचाराधीन है। इसके लिए जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अत: कुछ समय लगना संभव है।

हरोरा फर्म (मथुरा) में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निम्न स्तर के निर्माण की जांच

144–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 2-9-86 के हरोरा फर्म (मथुरा) में आर0 ई0 एस0 विभाग द्वारा निम्न स्तर के निर्माण के बारे में दिया था? यदि हां, तो इसकी जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। मुख्य प्राविधिक परीक्षक, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

145–श्रीमती शारदा देवी–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी, मुरादाबाद की सिंचाई विभाग में जमा जमानत

146–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा, जनपद मुरादाबाद ने दिनांक 30-12-80 को अपने प्रार्थना पत्र द्वारा अधीक्षण अभियंता मुरादाबाद व अधिशासी अभियन्ता मुरादाबाद से अपनी लगभग 1 लाख पांच हजार रुपये की जमानत वापस लेने के लिये प्रार्थना दी थी? यदि हां, तो उस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उपरोक्त ठेकेदार की जमानत दिलाने हेतु उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित करेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा, जनपद मुरादाबाद का दिनांक 30-12-80 का संदर्भित प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस कम्पनी का केवल 52,794·25 रुपये की धनराशि जमानत के रूप में सिंचाई विभाग के पास जमा है जिसका भुगतान बिक्री कर विभाग ने रूकवा दिया है।

वाराणसी, झांसी, फैजाबाद, आगरा तथा गढ़वाल मण्डल में राजकीय नलकूपों की संख्या तथा औसत सिंचन

147–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

148–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

झांसी मण्डल में चलित राजकीय नलकूपों की पिछली पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष की संख्या तथा प्रतिवर्ष सिंचाई का औसत विवरण संलग्न है। जनपद जालौन में विश्व-बैंक परियोजना के अन्तर्गत केवल 2 नलकूपों का आधुनिकीकरण वर्ष 1985–86 में होने पर औसतन सींच प्रति नलकूप 56 हेक्टेयर हुई ।

(देखिए नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ 154 पर)

149–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पिछले पांच वर्षों में चलित राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या वर्ष के प्रथम दिन को वर्षवार निम्न प्रकार थी :–

वर्ष	जनपद					
	फैजाबाद	बाराबंकी	गोण्डा	बहराइच	सुल्तान-पुर	प्रता-पगढ़
1981–82	557	101	299	240	335	119
1982–83	591	126	326	258	374	124
1983–84	667	152	362	285	416	125
1984–85	701	181	488	333	462	145
1985–86	746	189	531	406	516	153

इन पांच वर्षों में प्रति नलकूप औसत हेक्टेयर सींच निम्न प्रकार रही :–

वर्ष	जनपद					
	फैजाबाद	बाराबंकी	गोण्डा	बहराइच	सुल्तानपुर	प्रतापगढ़
1981–82	40.46	29.66	34.58	29.14	38.64	30.00
1982–83	41.09	29.71	39.26	40.81	40.92	29.20
1983–84	34.90	21.81	32.61	26.82	30.00	27.30
1984–85	36.54	22.06	29.90	34.97	26.90	26.80
1985–86	22.86	25.15	28.12	28.60	22.92	25.30

150—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपद आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी एवं अलीगढ़ में पिछले पांच वर्षों में राजकीय नलकूपों एवं विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों की संख्या वर्षवार एवं प्रति नलकूप औसतन सिंचाई का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	सामान्य नलकूपों की संख्या	विश्व बैंक से पोषित नलकूपों की संख्या	सामान्य नलकूपों की औसत सिंचाई	विश्व बैंक से पोषित नलकूपों की औसत सिंचाई
1981-82 ..	1781	25	45.91	35.22
1982-83 ..	1879	41	36.22	119.30
1983-84 ..	1907	81	33.63	100.50
1984-85 ..	1948	95	32.27	99.26
1985-86 ..	2036	145	27.82	140.79

151—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप खण्ड बिजनौर में गढ़वाल मण्डल के जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा नलकूप खण्ड, सहारनपुर में गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून में पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में राजकीय नलकूपों की संख्या एवं वर्षवार औसतन सिंचाई प्रति नलकूप निम्न प्रकार है—

वर्ष	राजकीय नलकूपों की संख्या	औसतन वार्षिक सींच (हेक्टेयर) प्रति नलकूप
1981-82	36	94.0
1982-83	38	102.5
1983-84	44	78.2
1984-85	46	101.6
1985-86	49	70.7

गढ़वाल मण्डल में नलकूप विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कोई भी पब्लिक नलकूप सिंचाईरत नहीं है।

अलीगढ़ जनपद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय का भवन

152—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद में जिला ग्राम्य

विकास अभिकरण का कार्यालय अत्यन्त संकीर्ण स्थान पर जिला परिषद् के किराये के भवन में चल रहा है ? यहां स्थान कम होने के कारण कर्मचारियों तथा जनता को विशेष असुविधा होती है? अतः किसी उपयुक्त स्थान पर कार्यालय भवन निर्मित कराने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

अलीगढ़ जनपद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का कार्यालय जिला परिषद् परिसर में स्थित है जो जिला परिषद् से किराये पर लिया गया है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय में उपयोग हेतु काफी सामान उपलब्ध है जिसमें न तो कर्मचारियों को असुविधा है और न ही जनता को।

प्रश्न नहीं उठता।

153–श्री कुशलपाल सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मांट क्षेत्र में राजकीय नलकूप

154–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-9-86 को मांट क्षेत्र में सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल लगवाने के बारे में एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग में मुख्य लिपिक के रिक्त पद तथा लिपिकों की पदोन्नति

155–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में इस समय मुख्य लिपिक के कितने पद रिक्त हैं? क्या वर्ष 1962 में नियुक्त लिपिकों के मुख्य लिपिक के पद पर पदोन्नति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों, जबकि 1962 में नियुक्त लिपिकों ने लगभग 24 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है ? इस सम्बन्ध में नियम क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग में इस समय मुख्य लिपिक के लगभग 150 पद रिक्त हैं । सिंचाई विभाग अनुसचिवीय सेवा नियमावली, 1971 के अनुसार पदोन्नति स्थायी वरिष्ठ सहायकों को ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त कर्मचारियों को अस्वीकार करते हुए चयन द्वारा की जाती है। वर्ष 1962 बैच की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण लिपिकों के ऊपर लगभग 232 लिपिक ऐसे हैं, जिन्हें मुख्य लिपिक पद पर अभी पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी । अतः वर्ष 1962 बैच की प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों को अभी इनका नम्बर आने पर ही पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा।

सिंचाई विभाग प्रथम खण्ड, आजमगढ़ में दैनिक वेतन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

156–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ के सिंचाई विभाग प्रथम खण्ड के मस्टर रोल कर्मचारियों को जो मधुबन घोसी दोहरीघाट किंडिहडापुर में कार्यरत हैं, उन्हें केवल 299.00 मासिक वेतन मिलता है परन्तु उसी प्रकार के मस्टर रोल कर्मचारियों जो द्वितीय तृतीय व चतुर्थ खण्ड में वितरित कार्यरत है उन्हें 437.00 मासिक वेतन मिलता है ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाले मस्टर रोल कर्मचारियों को वेतन में असमानता का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी वेतन में यह असमानता दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन के आदेशानुसार दैनिक वेतन मजदूरी मजदूरों को 299/- मूल वेतन व 138/- विशेष वेतन अर्थात 437/- प्रतिमास देय था । परन्तु अधिशासी अभियन्ता ने नहरों के रखरखाव कार्यों पर **प्रथम उपखण्ड में लगे मजदूरों को 299/-** मूल वेतन ही दिया जब कि अन्य उपखण्डों में शासनादेश के अनुसार भुगतान हुआ ।

तदनुसार शेष भुगतान की कार्यवाही उपरोक्त आदेशानुसार की जा रही है ।

मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी, अमरोहा का पत्र

157–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13-1-86 को सुल्तान एण्ड कम्पनी, अमरोहा का एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता ने अपने कवरिंग लेटर के साथ उप सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को लखनऊ को दिया था? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद में जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति का गठन तथा बैठकें

158–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में जिला परिषद् परामर्श दात्री समिति का गठन सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त समिति कब गठित की गई है तथा समिति की बैठकें कब-कब सम्पन्न हुईं? यदि नहीं, तो उपरोक्त समिति की बैठकें सम्पन्न न होने का क्या कारण रहा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उ0 प्र0 जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–15 सन् 1977) की धारा–2 के अधीन जिला परिषदों के कार्य संचालन में जिला मैजिस्ट्रेट को परामर्श देने के लिये प्रत्येक जिले में सम्बन्धित जिले के प्रभारी मंत्री के सभापतित्व में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त समिति दिनांक 20 अक्टूबर, 1984 को गठित की गई है।

समिति की बैठक हेतु तिथि निश्चित न होने के फलस्वरूप परामर्शदात्री समिति की कोई बैठक अभी तक सम्पन्न नहीं हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्राम भू0 रोजगार गारन्टी कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम तथा सामग्री अंश हेतु निर्धारित धनराशि

159–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्राम भू0 रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रम तथा सामग्री अंश पचास-पचास प्रतिशत निर्धारित है? निर्माण सामग्री के मूल्य बढ़ जाने के कारण अनेक जनहित में आवश्यक कार्य उक्त योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आ पाते हैं ? कार्य न होने के कारण श्रमिक भी रोजगार के अवसर प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं अतः योजनाओं को व्यावहारिक बनाने के लिए श्रमसामग्री के अंश क्रमशः 25 और 75 करने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

भारत सरकार के निर्देश हैं कि 50 प्रतिशत धनराशि श्रम तथा 50 प्रतिशत धनराशि सामग्री अंश पर व्यय की जाये। राज्य सरकार श्रम तथा सामग्री अंश में अपने स्तर से कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है।

आजमगढ़ तथा मऊनाथ भंजन के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का सेवायोजन

160—श्री विष्णु देव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन के रोजगार दफ्तर में अप्रैल, 1985 तक कितने स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों ने रजिस्ट्रेशन कराया था तथा उनमें कितनों को अप्रैल, 1985 से अब तक सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर मिला है तथा इस समय कितने बेरोजगारों का नाम दर्ज है?

श्री सईदुल हसन—

अप्रैल, 1985 तक जिला सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ में 23 तथा नगर सेवायोजन कार्यालय मऊनाथ भंजन में 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पंजीकृत थे।

उपरोक्त में से अब तक जिला सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा सम्प्रेषित एक अभ्यर्थी नौकरी पर लगा है। नगर सेवायोजन कार्यालय, मऊनाथ भंजन द्वारा सम्प्रेषित कोई अभ्यर्थी नौकरी पर नहीं लगा है।

31-1-1987 तक जिला सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ में कुल 44,846 बेरोजगार अभ्यर्थी एवं नगर सेवायोजन कार्यालय, मऊनाथ भंजन में कुल 23,634 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

स्वामी सुखदेवा बन्द ट्रस्ट परमार्थ निकेतन आश्रम तथा गीता भवन के सेवायोजकों और श्रमिकों के मध्य समझौता

161—श्री शारदा प्रताप—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गीता भवन परमार्थ निकेतन, पौड़ी गढ़वाल के कर्मचारियों एवं सेवायोजकों के मध्य दिनांक 8-5-86 तथा 30-5-86 को आपसी समझौते किन-किन शर्तों [illegible] क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि यह समझौते दोनों पक्षों को मान्य है अथवा नहीं? क्या उक्त हुए समझौते का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन—

दिनांक 8-5-86 को स्वामी सुखदेवा नन्द ट्रस्ट परमार्थ निकेतन आश्रम के सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य और दिनांक 30-5-86 को गीता भवन के सेवायोजकों तथा उनके श्रमिकों के मध्य अलग-अलग आपसी समझौते सम्पन्न हुए थे। परमार्थ निकेतन के सेवायोजकों तथा उनके श्रमिकों के मध्य हुए उक्त समझौते में मुख्य रूप से वेतन बढ़ोत्तरी, माह जनवरी, 1986 से तथा कर्मचारियों को आवासीय सुविधा दिये जाने एवं सेवायोजकों के सहयोग से ट्रस्ट में श्रमिकों के पक्ष में खाते खोलने के सम्बन्ध में सहमति हुई थी। इसी प्रकार गीता भवन के उभय पक्षों के मध्य हुए आपसी समझौते में मुख्य रूप से वेतन में दिनांक 1-11-85 से वृद्धि, श्रमिकों को मकान भत्ता दिया जाना तथा श्रमिकों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने पर मकान किराये की कटौती एवं औषधि निर्माण शाला बन्द कर श्रमिकों को वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराने पर सहमति हुई थी।

उक्त आपसी समझौते उभय पक्षों में परस्पर वार्ता द्वारा सम्पन्न हुए थे तथा उन पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे।

उक्त दोनों समझौतों का सेवायोजकों द्वारा पालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए0 पी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड आजमगढ़ के विरुद्ध ज्ञापन

162—श्री शारदानन्द अंचल—

दिनांक 20-2-86 को श्री के0 एम0 लाल संयुक्त सचिव को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने श्री ए0 पी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, पंचम सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ के गलत कार्यों के विरोध में मिल कर कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । उक्त ज्ञापन पर मुख्य अभियन्ता (गण्डक), गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

कुमायूं मण्डल में राजकीय नलकूपों की संख्या तथा औसत सिंचन

163–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कुमायूं मण्डल के अधीनस्थ जनपद नैनीताल के राजकीय नलकूपों की पिछले पांच वर्षों की संख्या तथा औसतन सींच निम्न प्रकार है :–

वर्ष	चालित कूपों की संख्या	औसतन सींच प्रति कूप (हेक्टेयर में)
1981-82	80	151.06
1982-83	85	129.61
1983-84	108	101.48
1984-85	128	106.68
1985-86	135	74.71

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में पिछले पांच वर्षों में कोई भी नलकूप सिंचाईरत नहीं था। वर्ष 1985-86 में खरीफ में 18 एवं रबी में 25 नलकूप सिंचाईरत हुए जिनसे औसतन क्रमशः 28 एवं 57 हेक्टेयर रही ।

नैनीताल जनपद के ग्राम मदनपुर बारा तथा किशनपुर छोई की कृषि भूमि के कोसी नदी से कटाव की रोकथाम

164–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद नैनीताल, तह0 रामनगर के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम मदनपुर बौरा व किशनपुर छोई की कृषि भूमि का कोसी नदी द्वारा कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो शासन ने उपरोक्त ग्रामवासियों तथा उनकी भूमि की नदी के कटाव से बचाने की क्या योजना बनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1977-78 में बाढ़ सुरक्षा योज़ना बनायी थी जिसके फलस्वरूप वर्णित ग्रामों की कृषि योग्य भूमि को कोसी नदी के कटाव से बचाया जाता रहा है। वर्ष 1986 की बाढ़ से कटाव हुआ है जिसको सामयिक राहत में तीन संख्या में ठोकरें बनाकर रोकथाम की गई । योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।

मथुरा जनपद में नवीन पंचायत भवनों की स्वीकृति

165–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में वर्ष 1985 में नवीन पंचायत घर बनाने के लिए कोई स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितने पंचायत घर और कहां पर बनाए जा रहे हैं ? क्या इन पंचा-

यत घरों को बनाने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा ने किसी कमेटी से स्वीकृति ली थी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1985-86 में जनपद मथुरा के लिए स्वीकृत पंचायत भवनों की स्थिति निम्नवत् है :–

ग्राम सभा का नाम	पंचायत भवन की स्थिति
बुढ़ाइच	पूर्ण
कोसी देहात	पूर्ण
महुअन	पूर्ण
कजरौठी	पूर्ण
फौडर	पूर्ण
नवगपुरा	पूर्ण
छरौरा	निर्माणाधीन

जी नहीं ।

इस निमित्त समिति गठन का कोई प्रावधान नहीं है।

मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी, अमरोहा के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का निस्तारण

166–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा द्वारा लिखे गए पत्र एम-4 दिनांक 16-6-80 जो सहायक अभियन्ता द्वितीय बाढ़ खण्ड मुरादाबाद को लिखा गया था, के सन्दर्भ में अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद ने अपने पत्रांक संख्या 4292/सिकाम/ए-5/3/एस0 ई0/79-80 दिनांक 11-12-80 द्वारा सूचित किया था कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा जो बिन्दु पत्र में दिए गए थे उन सब बिन्दुओं को तय कर दिया गया है? क्या वांछित निर्णय की सूचना मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी को दी गई ? यदि हां, तो वह बिन्दु क्या थे और क्या तय किया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मंडल, मुरादाबाद के पत्र संख्या 4292/सिकाम/ए-5/3/एस0 ई0/79-80 का दिनांक 11-12-80 नहीं है बल्कि 11-7-80 है ।

जी हां । विचाराधीन बिन्दु जो तय किए गए उनका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'द' आगे पृष्ठ 155 पर)

167–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को तीन पत्र दिनांक 6-1-86 व 18-2-86 व 21-7-86 तथा तीन पत्र तत्कालीन सचिव सिंचाई विभाग को दिनांक 4-1-86 व 14-2-86 व 22-7-86 तथा एक पत्र तत्कालीन विशेष सचिव सिंचाई विभाग को दिनांक 14-2-86 को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किए गए थे ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी व उनके मुख्य मुद्दे क्या थे और क्या उपरोक्त ठेकेदार को भी सूचित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादूर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुरादाबाद में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु डीजल की आपूर्ति

168–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1979-80 में जब प्रदेश में डीजल की शार्टेज बनी हुई थी उस समय बाढ़ सुरक्षा कार्य मुरादाबाद को कुछ डीजल सुविधा हेतु सप्लाई हुआ था ? यदि हां, तो डीजल की मात्रा कितनी थी ? क्या यह सही है कि वह डीजल विभाग ने अपने ठेकेदारों को सरकारी कार्य के लिए उपलब्ध कराया था ? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी मात्रा में डीजल दिया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह –
सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति

169–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–
क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के संबंध में प्रश्नकर्ता का कृषि उत्पादन आयुक्त को संबोधित कोई अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 3 जुलाई, 86 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–
जी हां ।

इस सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

श्री गौरी शंकर राय, सेवा निवृत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) आजमगढ़ के अवशेषों का भुगतान

170–श्री विष्णु देव–
क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री गौरी शंकर राय, सेवा निवृत सहायक विकास अधिकारी (पं) निवासी ग्राम व पोस्ट सूरजपुर जनपद आजमगढ़ के पत्र दिनांक 27-4-77 के संदर्भ में श्री रघुनाथ सिंह चौहान जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0) कृते निदेशक पंचायत राज उत्तर प्रदेश ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 4/6280/77-683/49 लखनऊ दिनांक 19 जुलाई, 1977 के अनुसार श्री राय को विशेष वेतनमान भविष्य निर्वाह निधि उचंत खाते में जमा धनराशि भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो श्री राय को अवशेषों के भुगतान कराये जाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–
श्री गौरी शंकर राय, सेवा निवृत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), निवासी ग्राम व पोस्ट सूरजपुर, जनपद आजमगढ़ के पत्र दिनांक 27-4-77 नहीं अपितु 27-6-77 के संदर्भ में श्री रघुनाथ सिंह चौहान तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0), कृते निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 4/6280/77-683/49, दिनांक 19-7-77 द्वारा श्री राय को सूचित किया था कि उनके विशेष वेतनमान दिये जाने के संबंध में अभिलेखों की जांच की जा रही है ।

श्री राय के उचंत खाते में जमा तथा उनके भविष्य निर्वाह निधि की धनराशियों का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री राय को सेवा पुस्तिका उन्हें पेंशन और आनुतोषिक की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में महालेखाकार, उ0 प्र0 को भेजे जाने के कारण सेवा पुस्तिका के अभाव में वेतन निर्धारण की कार्यवाही अभी तक संभव नहीं हो सकी ।

डीजल इंजन और उनके उपकरणों के शासकीय मूल्य एवं बाजार मूल्य में अन्तर के सम्बन्ध में पत्र

171– श्री भगवती सिंह विशारद–
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने प्रश्नकर्ता के दिनांक 14-2-86 के प्रश्न के साथ श्री शिव राम चौरसिया प्रधान कांजीरा एवं मंत्री किसान सेल कांग्रेस (ई) उन्नाव को कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि डीजल इंजन और उनके उपकरणों का मूल्य बाजार रेट से शासकीय रेट काफी

अधिक है ? यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

देहरादून में प्राइवेट एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होने से प्रभावित अध्यापक

172–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में प्राइवेट एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होने से कितनी स्थाई अध्यापिकाओं एवं अध्यापकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं ? क्या सरकार इनको सेवा में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री सईदुल हसन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जनपद में तापीय परियोजना रिहन्द नगर (बीजपुर) से मुक्त कराये गये बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन

173– श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर के वृहत तापीय परियोजना रिहन्द नगर (बीजपुर) में रामबली मेट व औंधू सिंह ठेकेदार के यहां से 35 बन्धुआ मजदूर गत वर्ष मुक्त कराए गये थे ? उन बन्धुआ मजदूरों को पुनर्वास के नाम पर क्या दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नोत्तर काल तक सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सदन बहुत दिनों बाद बैठा है और प्रश्नोत्तरकाल के बारे में यह समझता हूं कि सदन का सबसे अहम हिस्सा है । प्रदेश के सारे मामलात प्रश्नों के जरिये यहां आते हैं और हमें यह झूठी ही तसल्ली सही, यह मानकर चलते हैं कि उसका किसी न किसी तरह से समाधान होता है । बड़े ही सोचे समझे ढंग से आज सदन 12.20 तक स्थगित कर दिया गया जिससे प्रश्नों का सारा समय खत्म हो गया । इस पर एतराज जाहिर करते हुए मैं यह मांग करता हूं कि वह सारा समय जो प्रश्नों का था, अब से शुरू किया जाय । यही मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, 2 तारीख से सदन बैठा हुआ है और 10 तारीख तक सदन बैठेगा। इस बीच में दो दिन तक, पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण में चला गया दूसरा दिन शोक प्रस्ताव में चला गया । 7 और 8 तारीख को सदन बैठेगा नहीं, मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं । मान्यवर, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश के अन्दर तमाम समस्याएं हैं । मैं कानून और व्यवस्था की बात उठाना चाहता हूं। माननीय गृहमंत्री जी उन्नाव जनपद के हैं। माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्षेत्र उन्नाव जनपद है और मेरा भी कार्यक्षेत्र उन्नाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद है । उन्नाव जनपद के अन्दर जितनी जुल्म और ज्यादती हुई है पुलिस की, उसको मैंने प्रश्नों के माध्यम से उठाने की कोशिश की थी. . . .

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम 56 के अन्तर्गत इसको तो दे रखा है ।

श्री मनोहर लाल –

मान्यवर, वह दूसरा है, मैं नियम 56 के बारे में नहीं बोल रहा हूं । मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम 56 में दे रखा है तो मैंने व्यवस्था दे दी ।

विधान सभा के तीन सत्र तथा 90 उपवेशन बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मुलायम सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसी के बारे में कह रहा हूं । मान्यवर, इस सरकार के रहते जिस तरीके से जनतांत्रिक मूल्यों तथा जनतांत्रिक संस्थाओं का हनन किया जा रहा है उसी तरह से अब विधान सभा का भी मजाक बनाया जा रहा है । प्रदेश में कितनी गम्भीर समस्यायें हैं और एक हफ्ते का ही सत्र बुलाया गया है । एक बजट सत्र बुलाना चाहिए था । नियमों में भी है कि 3 सत्र बुलाये जायेंगे और 90 दिन सदन चले । मान्यवर, हम लोग यहां पर आयें और भत्ता लेकर चले जायें यही काम है इस तरह से सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है । शामली का मामला उठाया गया था । एक तो बिजली नहीं देंगे और किसान आन्दोलन करें तो गोली चलायी जायेगी । अभी एक रेडियोग्राम भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सुनाया, उसमें था कि सारी पार्टियों को प्रदर्शन करने से रोका जाय । मान्यवर, आप इस सरकार को निर्देशित करें वरना हम लोगों का सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, हैण्डलूम कारपोरेशन बना हुआ है । इस प्रदेश में लाखों बुनकर हैं जिनकी भुखमरी की स्थिति है उनका 6 करोड़ रुपया यूपिका व हैण्डलूम कारपोरेशन पर बाकी है। ऐसे तमाम प्रश्न हैं लेकिन मौका ही नहीं है कि मामले उठाये जायं तो हम लोगों को इस सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मौजूदा सरकार के रहते हुए आज लोकतंत्रीय परम्पराओं और मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है। ऐसी कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां थीं जिसके कारण वोट आन एकाउन्ट 4 महीने का लिया जा रहा है, बजट सेशन लाना चाहिए था। कोई ऐसी परिस्थिति होती, इलेक्शन के बाद कोई ऐसी स्थिति होती कि इतना समय न रहा हो पूरा साल सरकार के पास मौजूद था लेकिन सरकार अपना बजट नहीं बना सकी और न ही कोई विकास के कार्य कर सकी है। पिछले 6 महीने से रत्ती भर काम क्षेत्र और जिलों में नहीं हो रहा है। आज नसबन्दी के आधार पर तमाम कानूनों को ताक पर रख दिया गया है। जो गांव नसबन्दी करायेगा वहां विकास होगा चाहे वहां विकास की आवश्यकता हो या न हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जिलाधिकारियों ने अपने तहत नसबन्दी के कार्यक्रमों को रख लिया है और जो नसबन्दी की जा रही है वह ऐसे परिवारों में की जा रही है जहां परिवार नियोजन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तमाम कानूनों को एस0 डी0 एम0 ने अपने हाथ में ले रखा है। एस0 डी0 एम0 से कुछ लोगों ने कहा कि हम 302 के मुलाजिम हैं, तो उन्होंने कहा कि सब देखा जायेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि अब 302 के मुलजिमों को भी नसबन्दी के आधार पर छोड़ दिया जायेगा। इन सब परिस्थितियों में जब हम अपनी बात कह ही नहीं सकते हैं, तो हमारा यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

इसी तरह से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों को स्थापना दिवस मनाने के लिए मनाही की गई। विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। छात्रों में घोर असन्तोष है। पुलिस निरंकुश हो चुकी है और किसी भी जायज बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी चीज की इजाजत नहीं है कि कोई जुलूस निकाल सके, कोई विरोध प्रदर्शन कर सके, चाहे वह विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो या कोई भी वर्ग हो। इस तरह से लोकतांत्रिक परम्पराओं को तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है। आज जब हम जनता की समस्याओं और परेशानियों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते तो इस विधान सभा के 5 दिन के सत्र को बुलाने का क्या औचित्य है और हम लोगों के यहां बैठने का क्या औचित्य है। हमारे मुख्य मंत्री जी तो इतने उदार हैं कहने के मामले में कि उन्होंने कह दिया कि लगातार सेशन चलेगा, आप लोग बैठिये। नियमों में है कि 90 दिन का अधिवेशन हो, तीन अधिवेशन हों और वोट एण्ड एकाउंट विशिष्ट परिस्थितियों में आना चाहिये। आज हम 6 दिन के अधिवेशन में जनता की समस्याओं को यहां नहीं कह सकते हैं और वोट एण्ड एकाउंट जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में ही आना चाहिए, उसे ये ले आये, यह कोई औचित्य की बात नहीं है।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो प्रस्ताव रखा है औचित्य का, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं, अपनी पार्टी की ओर से। यह बजट सत्र था लेकिन सरकार ने न तो कोई तैयारी की और न ही कार्यवाही। यह 9 दिन का बजट सत्र बुलाकर लोकतंत्र के साथ मजाक के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। आज अनेक समस्यायें हैं। किसानों की समस्या है। बिजली और पानी की तमाम समस्यायें पड़ी हुई हैं। किसान बिजली की मांग करता है तो उसे गोली दी जाती है। दूसरी ओर छात्र आन्दोलन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 3 फरवरी को छात्रों ने स्थापना दिवस के रूप में मनाना चाहा लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। दफा 144 विश्वविद्यालय के परिसर में नहीं थी लेकिन तब भी पुलिस परिसर में पहुंच गई और छात्रों को बुरी तरह से पीटा। ओम प्रकाश सिंह को बुरी तरह से मारकर अधमरा कर दिया गया। आज छात्र और युवा गुस्से से भरा हुआ है और इस सरकार के प्रति उसकी जो धारणा बन गई है वह उचित है। सरकार के रुख से छात्रों को कोई भी समझौता पसन्द नहीं है। दूसरी ओर कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों की मांगें अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं।

वह अपनी जगह पर विडम्बना है इसके अलावा मजदूरों की हालत चिन्ताजनक है, गांव में रहने वाले किसान मजदूर के साथ अन्याय किया जा रहा है, तमाम समस्यायें हैं यह सभी सदन में आनी आवश्यक हैं। नौ दिन के समय में इन सारी समस्याओं पर बहस नहीं हो सकती। और न ही कोई राय बन सकती है। ऐसी स्थिति में जो नौ दिन की बैठक बुलाई गई है, यह लोकतांत्रिक परम्पराओं का उल्लंघन है। नब्बे दिन का अधिवेशन कभी पूरा नहीं किया गया। यह केवल सात दिन का सत्र रहेगा, जो इस सरकार के निकम्मेपन का उदाहरण है। इस सत्र में सम्मिलित होने का कोई औचित्य नहीं है। हम यहां पर आकर भत्ता लेकर चले जायें जनता की गाढ़ी कमाई पर एक बोझ बन जायें, इसके अतिरिक्त इस सदन में और कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह जो औचित्य का प्रश्न आया है, जिस पर मा0 सदस्य इटावा ने नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव रक्खा है, उस पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। नियमावली के नियम-14 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि तीन अधिवेशन होंगे जो कम से कम नब्बे दिन के होंगे। पिछले सत्र में मैंने यह प्रश्न उठाया था कि सरकार नियमों का उल्लंघन करती है, उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि तीसरा अधिवेशन अवश्य बुलायेंगे। लेकिन शरदकालीन अधिवेशन बुलाया नहीं। सरकार यह कह नहीं सकती कि काम नहीं था इसलिये शरदकालीन अधिवेशन नहीं बुलाया था, उसी अवधि में सात अध्यादेश जारी किये गये अयोध्या में दुर्घटना हुई, जाजमऊ में बस दुर्घटना हुई, राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल हुई, फिर भी सरकार ने सदन को विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं समझी। बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, समय से बिजली नहीं दी जाती, आपूर्ति नहीं की जाती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा चूंकि सभी चीजों के रेट बढ़ गये हैं इसलिये रेट बढ़ाने पड़ेंगे। मान्यवर, प्रदेश में 200 मेगावाट से अधिक विद्युत प्रोड्यूस करने वाली जितनी थर्मल पावर यूनिट हैं उनके आंकड़े क्या हैं, मुख्य मंत्री जी बतायेंगे? एक यूनिट बिजली बनाने में कितने पैसे का कोयला लगता है? मान्यवर, किसी स्टेशन पर 3 नये पैसे का तो किसी पर 11 पैसे का फर्नेस आयल भी इसी प्रकार का है जिससे डिफरेन्स है स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को यह सरकार रोक नहीं पाती। आप बिजली की चोरी भी नहीं रोक पाते कटौती भी अघोषित कर देते हैं। केवल निश्चित समय पर ही कटौती नहीं होती। सारे किसानों की फसलें चपेट में हैं। गन्ना किसानों की तमाम समस्यायें हैं। धान और गेहूं के मूल्यों को लेकर किसानों में चारों ओर असंतोष है। आप चर्चा नहीं करना चाहते। छात्रों में असंतोष है उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्षेत्रीय विसंगतियां हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी हमारे यहां 20 सूत्री कार्यक्रम का एसेसमेंट करने गये। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि फैजाबाद मंडल को एक हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं वह सर्वाधिक पिछड़ा मंडल है। पत्रकारों ने प्रश्न उठा दिया मुख्य मंत्री जी से कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एलाटमेंट बतायेंगे। मान्यवर, 750 करोड़ अकेले सुल्तानपुर को दिया गया, शेष 250

करोड़ में पूरे पांच जिले हैं। क्षेत्रीय विसंगतियां दूर करेंगे । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी आजाद भारत के भूष्टतम मुख्य मंत्रियों में से हैं । आज जिस तरह से क्षेत्रीय विसंगतियां दूर कर रहे हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वह सामने हैं । इसीलिये सदन को बुलाना नहीं चाहते हैं । राज्यपाल से कहला दिया कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है इतनी अच्छी है मान्यवर, कि मैं अपने जिले के बारे में जानता हूं आप चाहे जिस मुहल्ले और गली में निकल जाइये हर जगह कट्टे और हथगोले बनाने की लार्ज स्केल पर काटेज इन्डस्ट्री खुल गई है। पुलिस और इनका दल उसको संरक्षण दे रहा है। गांधी के देश में और राम तथा कृष्ण की धरती पर हर जगह **अवैध शराब का उत्पादन हो रहा है,** लेकिन महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक शब्द भी मद्य निषेध के बारे में नहीं कहा। यह प्रदेश की पहली निकम्मी सरकार है जिसने मद्य निषेध के बारे में कुछ नहीं कहा । इन सारी चीजों पर चर्चा होनी है, लेकिन सत्र केवल 9 दिन का बुलाया गया है, जिसमें इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो पायेगी।

यह सरकार अपने द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल को तोड़ती है, वाराणसी में राष्ट्रपति जी की अवमानना माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर किया है। मान्यवर, नियमावली के संरक्षक आप हैं । आप इस सदन की मर्यादा की रक्षा करें। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि शरद-कालीन सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। नियमावली में तीन सत्र बुलाने की व्यवस्था है । यह आय-व्ययक सत्र है इसमें बजट आना चाहिए था लेकिन बजट नहीं पेश किया गया । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप नियमावली की पवित्रता की रक्षा करें । मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहता हूं कि सत्र न बुलाने के लिये आप सरकार को निदेश दे रहे हैं या नहीं ? आपको निर्देशित करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

श्री शतरुद्र प्रकाश . . .

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप इनको किस हैसियत से बुला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह भी विधान सभा के सदस्य हैं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि श्री मुलायम सिंह ने जो औचित्य का प्रश्न करीब 11 बजे रखा है, अच्छा होता कि आप नियमों को निलम्बित कर देते और इस पर चर्चा होती, क्योंकि हो वही रहा है। मैं समझता हूं कि इस समय पूरे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार की मौत हो चुकी है और सरकार की लाश सड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि शर्म की बात है कि वीर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जहां रहते हैं, उनके घर में एक शराबी घुस जाता है और उत्पात मचाता है। जब मुख्य मंत्री अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हैं तो प्रदेश को क्या सम्भालेंगे । इस समय मान्यवर, प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गोपीनाथ दीक्षित, गृह मंत्री के बेटे को दरोगा पीटता है, कृषि मंत्री के बेटे को दरोगा पीटता है, सुरेन्द्र सिंह, राज्य-मंत्री के शैडो को जौनपुर में पुलिस ने पीटा, उसके बाद भी सरकार नाम की चीज रह जाती है।

मैं तीन फरवरी की बात कहना चाहता हूं वाराणसी विश्वविद्यालय के छात्र सांस्कृतिक झांकी निकाल रहे थे। जो लोग वाराणसी विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं और मैं तो वहां का छात्र रहा हूं, मैं जानता हूं कि 1916 को महामना मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी और बसंत पंचमी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। छात्र सांस्कृतिक झांकी निकाल रहे थे, उसमें युवा कांग्रेस शाखा के भी लोग थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव की झांकी निकाल रहे थे । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वह मालवीय भवन के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन छात्रों को लाठी से पीटा । केवल पुलिस ही नहीं बल्कि इनके अफसरों ने, आई0 पी0 एस0 अफसरों ने भी छात्रों को पीटा । श्री हिम्मत सिंह, श्री जावेद अहमद, आई0 पी0 एस0 ने ओम प्रकाश सिंह को लाठियों से बुरी तरह पीटा । जावेद अहमद ने कहा कि मैं भागलपुर का काण्ड कराकर आया हूं, मैं तुम्हारी आंखें फाड़ दूंगा । मान्यवर, 66 चोटें उसके शरीर पर आयी हैं और शरीर का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचा है जिस पर चोटें न आयी हों यही नहीं उसको अंधा बनाने की कोशिश की गयी और वायरलेस का तार उसके कानों में डालकर उसको बहरा बनाने की कोशिश की गयी। यदि तीन फरवरी को मैं थाने पर पहुंच न गया होता तो उसे एस0 पी0 आर0 एस0 बनारस द्वारा जो लंगड़ा बनाने का प्रयास जारी था, वह नहीं बंद होता और मान्यवर, यही नहीं जब माननीय मुख्य मंत्री जी, डी0 आई0 जी0 (एडमिनिस्ट्रेशन), डी0 जी0 तथा माननीय रेवती रमण सिंह आदि लोग वहां पर बैठे थे, जब यह सारी स्थिति उन सबके सामने आयी तो मा0 मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मामले की पूरी-पूरी जांच करा लें, डी0 आई0 जी0 एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले की जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट आ जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी और मान्यवर, यही नहीं इस मामले को लेकर पूरा पूर्वान्चल 7 फरवरी को बंद था, सिर्फ बनारस ही नहीं बंद था। एक दूसरा छात्र नेता, नारदमुनि राय जो उभरता हुआ एक छात्र नेता है, उसको भी मारा गया और जेल में बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार से सैकड़ों विद्यार्थी वहां के जेल में अपराधिक दफाएं उन पर लगाकर बन्द कर दिए गए हैं और उन पर 15-15 व 20-20 दफाएं लगायी गयीं हैं और उन्हें काल कोठरी में बन्द कर दिया गया है। और जब माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में बताया जाता है कि इस समय आपकी पुलिस छात्रों पर जुल्म कर रही है, जैसा कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं होती है जैसे इनके लिए कोई खास बात नहीं हुई इसीलिए इनके पास इस समस्या के लिए कोई समय नहीं है। सात दिन तक यह लखनऊ में नहीं रहे बल्कि दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाते

रहे और इसके लिए यह सदैव तैयार रहते हैं।

मान्यवर, इस समय जिस प्रकार से छात्रों का दमन हो रहा है उन पर आये दिन नये-नये ढंग से अत्याचार किए जा रहे हैं इसलिए मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि इन तमाम मामलों पर सदन में बहस होनी चाहिए और इस समय जो सदन की बैठकें केवल 6–7 दिनों के लिए निर्धारित की गयी हैं, वह कम हैं और समस्याएं बहुत हैं दूसरे शासन अपना नियंत्रण हर स्थान पर खो चुकी है, हर जगह के दरोगा आज राज्य कर रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी को गाली देने वाले दरोगा आज भी बनारस में बैठे हुए हैं, मा0 गृह मंत्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज भी नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न पर जिसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रस्तुत किया है, के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस समय जनतंत्र नाम की कोई बात दिखाई कहीं पर नहीं दे रही है। हर स्थान पर जनतंत्र का ह्रास हो रहा है। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश में केवल पूर्वान्चल में ही नहीं जनतंत्र की व्यापक समस्या है। जैसा कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने अभी कहा कि विद्यार्थियों की ही स्थिति खराब नहीं है, अपितु स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी खतरे में हैं। उन्हें एक शराबी घेरे हुए हैं तथा दूसरे मंत्रीगण व उनके परिवार के लोगों को दरोगा आदि परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरे प्रदेश की स्थिति का निष्कर्ष हमारे सामने है दूसरे उदाहरणों की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री के पास ऐसी कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं थी, जिसकी वजह से यह विधान सभा को बुला नहीं सके, न देश व प्रदेश में कोई आपातकाल स्थिति थी न कोई दूसरी विशिष्ट प्रकार की स्थिति थी, पर इन्होंने सदन को नहीं बुलाया जबकि 6 माह से अधिक समय इसके बुलाये जाने में नहीं लगना चाहिए। जबकि दूसरे प्रदेशों में सदन की बैठकें हुयीं। यह बराबर दूसरे प्रदेशों में जाते रहते हैं, इन्हें भी स्वयं मालूम है, इससे इनको शर्म आनी चाहिए कि जब उन प्रदेशों में सदन की बैठकें हो सकती हैं, तो इनको बुलाने में क्या परेशानी थी और अब तो इन्होंने 6–7 दिन का समय दिया है, वह बड़ी मजबूरीवश दिया है, वरना यह अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थे, इन्हें खासतौर से इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। ये बजट सत्र अभी तक क्यों नहीं बुला रहे हैं। बजट सत्र समय से नहीं बुलाया जायगा तो नौकरशाही उसका दुरुपयोग करेगी। आप चार माह का वोट आन एकाउन्ट क्यों लेने जा रहे हैं। समय से बजट क्यों नहीं तैयार हुआ। इस तरह से देश में भ्रष्ट नौकरशाही को पनपाया जा रहा है। आपने अंग्रेजों से भी बदतर काम शुरू कर दिया है। अंग्रेजों के समय में भी प्रदर्शनों और आवाज उठाने का पूरा मौका दिया जाता था। आज वीर बहादुर सिंह

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जी रैलियों के लिये बसों के परमिट न देने के लिये लिख रहे हैं । अभी कल्यान सिंह जी ने कहा कि उनका उत्पीड़न किया जा है, निरुत्साहित किया जा रहा है । इस तरह से प्रदेश में जो संसदीय व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, उसको नष्ट किया जा रहा है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार की निन्दा करें और यथासमय तीन सत्र बुलाने की व्यवस्था करें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा । अंग्रेजों के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने आजादी का संघर्ष चलाया था तो चम्पारन और बारमोली के आन्दोलन में किसानों के सबसे आगे थे। उन्होंने उस समय कल्पना भी नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी भी निकम्मी और किसान विरोधी सरकार आएगी और उसके वीर बहादुर सिंह जैसे व्यक्ति मुख्य मंत्री बनेंगे, जिनकी सरकार शामली में किसानों पर गोली भी मारेगी और अगर किसानों ने अपनी समस्याओं को उजागर करने की रैली निकालने का प्रयास किया और कहीं इकट्ठा होना चाहा, तो सरकार उसको रोकेगी । मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम जन-विरोधी, किसान विरोधी और जनतंत्र विरोधी कदम है । इसी कारण आज यह स्थिति पैदा हो गयी है कि प्रदेश के अन्दर चारों तरफ आतंक पैदा हो गया है ।

मंत्रिमण्डल बंटा हुआ है । संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं है । विकास के काम रुके पड़े हैं और मखौल की बात है कि 6 मार्च को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक किसान रैली लखनऊ में आयोजित है, तो उसके बारे में यहां से, दिनांक 20 फरवरी, 1987 को एक आदेश जाता है । उस आदेश के बारे में जब मुख्य मंत्री जी से बात की तो वह कहते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, परिवहन मंत्री से बात की तो उनका कहना है कि मेरी जानकारी में नहीं है, मुख्य सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है। बाद में पत्र की प्रतिलिपि मिल जाने पर पता लगा कि होम सेक्रेटरी के यहां से वह पत्र गया था ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में होम सेक्रेटरी मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव से बड़ा हो गया है, यों परिवहन मंत्री जो परमिट देने के अधिकारी हैं, उनसे भी बड़ा हो गया है और क्या पूरी सरकार से गृह सचिव बड़ा हो गया है । क्या उत्तर प्रदेश सरकार केवल माता प्रसाद जी के लिये है या प्रदेश की सरकार केवल गृह सचिव ही चला रहे हैं । क्या इसलिये न केवल बदमाश सामूहिक हत्याएं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस भी कर रही है । यह शासन के लिये शर्म की बात है । मान्यवर, मैंने अभी जो अंग्रेजी का पत्र पढ़ा था, मैं उसका हिन्दी रूपान्तर पढ़ना चाहता हूं । जो इस प्रकार है–

कोड टेलीग्राम संख्या 89/1/22/87-एक्स-2-दि0 20/2/87 द्वारा गृह, उ0 प्र0 जिला मजिस्ट्रेट (फरुखाबाद)

भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधान भवन, लखनऊ के सामने दिनांक 6 मार्च को प्रदेश स्तरीय किसान रैली आयोजित की गयी है। प्रदेश के सभी भागों से भारी संख्या में किसानों के इस रैली में भाग लेने हेतु सम्भावना है । वे विभिन्न प्रकार के वाहनों से लखनऊ की यात्रा करेंगे । चूंकि विधान मण्डल का सत्र चल रहा होगा, कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से यह उपयुक्त न होगा कि लखनऊ में किसानों का भारी जमाव हो । अस्तु लखनऊ रैली में भाग लेने वाले लोगों को हतोत्साहित करें । किसी भी स्थिति परिस्थिति में

लखनऊ रैली में भाग लेने के लिये बसों को जिला मजिस्ट्रेट/आर0 टी0 ओ0 द्वारा परमिट न जारी किये जायं। आयुक्तगण सभी आर0 टी0 ओ0 गण को तदनुसार निर्देशित करें।

समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रैली में भाग लेने वाले संभावित लोगों की संख्या लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग उत्तर प्रदेश तथा मुख्यालय के सतर्कता विभाग को सूचित करेंगे।

मान्यवर, इसमें आगे है, जिला मजिस्ट्रेट नोट कर लें कि भविष्य में भी कोई भी परमिट (रिपीट) कोई भी परमिट किसी भी रैली हेतु जो लखनऊ में किसी भी दल या संगठन द्वारा [illegible] की जायेगी, नहीं दिये जायेगें। **इसी प्रकार के आदेश उन दलों व संगठनों** पर भी लागू होंगे जो भविष्य में प्रदेश के **बाहर भी आयोजित रैलियों में भाग लेने** के लिये जायेंगे।

अब मान्यवर, अगर दिल्ली में कहीं **कोई रैली आयोजित की जाती है**, तो उ0 प्र0 का व्यक्ति भाग नहीं ले सकेगा। इसमें एक लाईन है– लखनऊ रैली में भाग लेने के लिये जो किसान आने वाले **हैं, उनको** हतोत्साहित किया जाय। हतोत्साहित से क्या आशय है। क्या कलेक्टर किसानों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे? उनके पास एक उपाय है लोग आना चाहेंगे तो रास्ते में उनको मारा-पीटा जायेगा, लाठी चलेगी और फिर गोली चलेगी और फिर से इस प्रदेश के अंदर किसानों के खून से होली खेली जायेगी। हतोत्साहित किया जाय, इसका क्या **तात्पर्य है? क्या हम विधान सभा के सामने** से रैली नहीं निकाल सकते। पार्लियामेंट के सामने से जाते हुए वोट क्लब में सभायें की जा सकती हैं लेकिन विधान सभा के सामने से जुलूस नहीं निकाला जा सकता है, यह लोकतंत्र की खुली अवमानना है।

आपकी सरकार के बारे में इतना ही कहना है कि सरकार नाम की चीज उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। श्रीमान्, वीर बहादुर सिंह की सरकार की लाश उ0प्र0 के आंगन में पड़ी-पड़ी सड़ रही है, बदबू उठ रही है। इस सरकार को बर-खास्त किया जाय, विधान सभा को भंग किया जाय। नये सिरे से चुनाव करायें जायं। ताकि जनता की जीवित सरकार को उ0 प्र0 में लाया जा सके। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को न कर्मचारियों का, न अध्यापकों का, न जनता का, न छात्रों का, न व्यवसाइयों का और न किसी अन्य वर्ग का ही कोई विश्वास प्राप्त है। चार वर्ग ऐसे जरूर हैं जिनका समर्थन इन्हें प्राप्त है। यह चार वर्ग है–तस्कर, बदमाश, पुलिस और बड़े-बड़े पैसे वाले धनपति। इन चारों वर्गों के समर्थन पर सरकार चल रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को चला जाना चाहिए। सदन चलाने का इतना **कम समय रखा गया कि हमें अहम मुद्दों को यहां उठाने का मौका नहीं** मिल पा रहा है। हमारी पार्टी की किसान रैली को आयोजित करने में, व्यवधान डालने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं, जो जनतंत्र विरोधी कदम उठाया है, वह अत्यन्त दुःख की बात है। मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करें कि किसी प्रकार का कोई **परमिट कैंसिल नहीं** किया जायेगा। मान्यवर, उस रैली में टाईम बहुत कम रह गया है, मेरे पास टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें कि जो जिस वाहन से आना

चाहें, आयें। आप यहां आर0टी0ओ0 को बिठा दीजिये जो परमिट का खर्चा होता है, उसे हम तत्काल दे देंगे, परमिट उन बसों का बना लिया जायेगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं मा0 मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा सदन में करेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता सदन को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, हमें दो मिनट दें, ऐसे हाउस नहीं चलेगा।

(श्री राम शरण दास व श्री फजलुलबारी के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठें। मैंने नेता सदन को बुला लिया है। नेता सदन खड़े हुए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

2-2 मिनट का मौका दे दें, मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि 4-5 माननीय सदस्यों को और इस विषय पर सुन लें उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री उत्तर दे देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, एक तो नियम तोड़कर यह बात कराई जा रही है। कोई डिबेट कराई जा रही है या क्या कराया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मुलायम सिंह जी और श्री रेवती रमण सिंह जी जो बात तय हुई थी, उसी हिसाब से चलाया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि हम नये माननीय सदस्य यह नहीं समझ पाये कि इस तरह से बाहर निकलकर या इस तरीके से कह कर कि हम सदन नहीं चलने देंगे केवल धमकी देकर सदन में कब तक इस तरह की चर्चा कराई जायेगी। अध्यक्ष पीठ की एक गरिमा होती है और आज उस चेयर पर अंगुली उठाई जा रही है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

केवल राम शरण जी बोलेंगे।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न प्रहर से पहले माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक प्रश्न उठाया था औचित्य के रूप में और उस पर आपने उनको बोलने की अनुमति दे दी। उसके बाद आपने हर दल के माननीय सदस्य को उस पर बोलने की अनुमति दे दी। इस लिए इस पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो सदन की कार्यवाही चलनी मुश्किल हो जायेगी।

(घोर व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं बड़ी नम्रता के साथ–

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरी बात को गौर से सुनिये जरा। अभी यहां एक प्रश्न उठाया गया था श्री मुलायम सिंह जी के द्वारा..

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, ये लोग मुझे बोलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, ये व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके सब बैठें । यह कहां तक मुनासिब है कि इस तरीके से सदन का वातावरण हो ?

(व्यवधान)

यह कतई मुनासिब नहीं है। इस तरीके से चाहे इधर वाले हों या चाहे उधर वाले हों। मैं केवल राम शरण दास जी को बोलने की इजाजत देता हूं उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री फजलुलबारी–

यह अकेले कैसे बोलेंगे, हम लोग भी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुनिये। मान्यवर, यहां अभी एक प्रश्न आया है कि साल में कम से कम 90 दिन असेम्बली चलनी चाहिये । अब 90 दिन क्या ? ये तो 30 दिन भी असेम्बली को नहीं चला पा रहे हैं। यह असेम्बली हमारे लिये नहीं बुलायी गयी है, यह असेम्बली जनता के लिये नहीं बुलायी गयी है, यह असेम्बली तो लेखानुदान पास कराने के लिये बुलायी गयी है। यह [xx] मुख्य मंत्री बारह करोड़ रुपये के सरकारी खजाने पर एक सांप की तरह बैठ गया है। यह [xx] मुख्य मंत्री जिलों में, जहां जाता है वहां अगर लोग इनसे एक सड़क मांगते हैं तो बिना देखे 6 सड़क स्वीकार कर देता है, जहां एक शुगर फैक्ट्री मांगते है तो चार शुगर फैक्ट्री देने की बात करता है। इस तरह से ये राज्य का कार्य कर रहे हैं [xx] बन करके।

श्री जय नारायण तिवारी–

मान्यवर यह [xx] शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि ये बोलते समय बार-बार पीछे क्यों देखते हैं?

श्री राम शरण दास–

मैं कह रहा था कि खजाना जनता का है, इनका नहीं। अरे, आप लोग जरा शान्ति से बैठे । यह कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मान्यवर, इन्हें बैठाइये, ये बार-बार खड़े हो जाते हैं, ये बेकार आदमी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जो-जो शब्द असंसदीय होंगे, वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे।

श्री राम शरण दास–

"ढपोरशंखी" शब्द अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो भी बोल रहे हैं तो आपकी

नोट:–[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ न देख करके बार-बार पीछे की तरफ देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है?

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

ये दोनों मंत्री हमारे यहां गये, मीटिंग किया और (श्री हुकुम सिंह की ओर इशारा करते हुये) इन्होंने वहां पर प्रचार कराया कि संजय सिंह मुख्य मंत्री बनेंगे और तब हुकुम सिंह कैबिनेट में आयेंगे, ज्यादा भीड़ करो, बस चलवा दिया . . .

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह अनावश्यक बात है। इसका कोई मतलब नहीं है, यह अनर्गल बात है और अनावश्यक है। यह बिल्कुल गलत है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, . . .

श्री अध्यक्ष–

श्री राम शरण जी, आपकी बात हो गयी है, अब आप बैठें।

श्री राम शरण दास–

अभी कहां हुई, मैं तो कुछ बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट में समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

शामली में मान्यवर, किसान बिजली के बारे में प्रदर्शन कर रहे थे, यह काण्ड क्यों हुआ। जिस जिले का मंत्री होता है सभी वहां के दरोगा उसके घर के मेम्बर बन जाते हैं। उन्नाव के दरोगा दीक्षित जी के, गोरखपुर के मुख्य मंत्री जी के और मुजफ्फरनगर के हुकुम सिंह के घर के हो गये हैं। उनके [***] हो जाते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

[***] शब्द असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

इसको देख लिया जायेगा और मुनासिब होगा तो निकाल दिया जायेगा।

श्री राम शरण दास–

अगर यह मंत्री न होते तो शामली का काण्ड न होता किसानों पर गोली इन्होंने चलवाई। सुनील शास्त्री जी चले गये, शर्म नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात समाप्त हो गयी है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, अगर आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो हम कहां जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठिये। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री फजलुलबारी–

मान्यवर, क्या यही तय हुआ था?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने नेता सदन को बुला लिया है।

श्री फजलुलबारी–

मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फजलुलबारी सदन त्याग कर चले गये)

श्री वीर बहादुर सिंह–

जब कोई सवाल उठाया जाता है, क्वेश्चन आवर होता है जो, वह सारे सदस्यों का होता है, सारे सदन का होता है। किसी एक का नहीं होता है इस समय बड़े महत्वपूर्ण सवाल किये जाते हैं, जो जनता से संबंधित होते हैं और

नोट:–[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है । सवाल जनता के लिये किये जाते हैं, तो एसे महत्वपूर्ण सवालों के समय कोई चीज उठाकर, औचित्य का सवाल उठाकर, सवालों के समय को समाप्त कर देना मेरी समझ में नहीं आता है ।

(व्यवधान)

अगर माननीय विरोधी दल और अन्य विरोधी दलों के नेता अगर अपने सदस्यों को शांत नहीं रखेंगे, तो कैसे काम चलेगा । जब आप बोले तो हमारे मेम्बर सुनें । उधर हल्ला करायेंगे, तो कौन बोल पायेगा । क्या आप समझते हैं कि उधर के लोगों की आवाज है, इधर के लोगों के आवाज नहीं है ।

(व्यवधान)

जब कोई बात हो तो उसे शांति से कहिये और शांति से सुनिये । सुनने के लिये धैर्य और हिम्मत रखिये । कोई बात कहना बड़ा आसान होता है लेकिन उसका जवाब भी सुनना चाहिये ।

मान्यवर, यहां पर यह बात उठाई गई कि विधान सभा का सत्र कम चलाया जाता है । मेरे पास आंकड़े हैं और उनके अनुसार पिछले वर्षों में कोई एसा साल नहीं है जिसमें विधान सभा का सत्र ज्यादा चला हो । जब इनकी सरकार थी तो यह बता दें कि उस समय एक साल में कितने दिन का सत्र चला । दूसरे से क्यों डिमान्ड करते हैं कि इतने दिन चलायें । हम इस बात का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले । लेकिन यह भी देखना होगा कि अगर कोई काम शासन का होगा, जनता का भी काम करना है, जनता के बीच में प्रतिनिधियों को रहना चाहिये, जनता की समस्याओं का समाधान भी हम करें । यहां पर सरकार का जो काम होता है उसको भी होना चाहिए। लेकिन बार-बार यह कहना कि 90 दिन चले, 90 दिन चले, 90 दिन का सत्र बीसियों वर्षों से नहीं चल रहा है । मैं फिर कह रहा हूं कि हम प्रयास करेंगे कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले ।

दूसरी बात यह कही गई कि पूरा बजट नहीं लाया गया । मान्यवर, जो प्लान हुआ है वह पिछले महीने में ही मंजूर हुआ है और उसी के अनुसार हमको बजट बनाना है । एसा बजट बनाना है जो सही माने में लोगों को फायदा पहुंचा सके । इसलिये बजट पूरा समय देकर बनाना पड़ता है । हम गरीबों के हितों को दृष्टि में रखते हुए और विकास के कामों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो कमियां हैं वह कैसे दूर हो सकें । साथ ही साथ हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो जरूरी काम हैं जिनको क्षेत्रों में प्राथमिकता देनी चाहिये उनको देखने के लिये समय चाहिए । इसीलिये उसमें समय लगा । नहीं तो पूरा बजट लाने में कोई चिन्ता नहीं थी । . . . (व्यवधान) । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बोल रहे थे । वे छात्रों के नेता भी रहे हैं । हमें भी छात्र आन्दोलनों में काम करने का मौका मिला है । हमनें उसमें भी काफी दिनों तक काम किया। लेकिन शतरुद्र प्रकाश जी, हम लोग रचनात्मक कार्य करते हैं और ये डिस्टक्टिव काम करते थे । हम चाहते हैं कि छात्र आन्दोलन एसा हो जो रचनात्मक कामों की तरफ हो । कैसे उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनकी दिक्कतें दूर की जायं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का जो आन्दोलन चल रहा है वह केवल उनकी यूनियन का चुनाव न होने की वजह से चल रहा है । हम इस संबंध में भारत सरकार से बात कर रहे हैं । यूनियन का

चुनाव हो जाय और यह बात खत्म हो जाय। इस बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है, पुलिस में भी कोई बात हो जाती है । तो इस तरह के आन्दोलन न चलें, छात्रों से और उनके नेताओं से इस संबंध में बात हो चुकी है । हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बातें है वह खत्म हों । भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं, छात्र नेताओं से बात कर रहे हैं, उसका समाधान करेंगे और यह बात आगे नहीं बढ़ने दी जायेगी।

माननीय, फैजाबाद के माननीय तिवारी जी बोल रहे थे। ये एक पराने नेता हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन जब वे बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैं वरिष्ठ सदस्य हूं और इस तरह से बोलने लगते हैं, ऐसी बात बोलते लगते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है । यह कहते हैं कि कर्मचारी नाराज हैं । कर्मचारी तो अपनी मांगे मांगेगे और सरकार जितना दे सकती है, देगी । हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जितनी सुविधा मिल सके, उसे मांगने का अधिकार है । सरकार भी चाहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सके, वह उन्हें दे और देना भी चाहिए। कौन सी ऐसी बात आप उठा रहे हैं, कौन सा ऐसा सवाल उठा रहे हैं जिसके समाधान के लिये आपकी मीटिंग हम बुलायें हमने उसका समाधान कर दिया है आपकी जरूरत नहीं है, धन्यवाद । बहुत सी ऐसी बातें हैं हम जानते हैं जिनका समाधान ठीक से हो सकता है, उसमें बहुत से लोगों की राय लेने से काम बिगड़ जायेगा बनेगा नहीं। हमें यह देखना है कि सब काम ठीक से हो।

माननीय कल्याण सिंह जी ने एक बात उठाई थी बसों के परमिट के सम्बन्ध में 6 ता0 को वह कोई यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिये कहा गया कि बसों के परमिट नहीं मिल रहे हैं हमने आज ही कहा । आदेश चले गये हैं कि बसों के परमिट देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, परमिट दिये जायं । ऐसी कोई बात नहीं है कि परमिट न दिये जायं । लेकिन अगर कोई पार्टी या संस्था चाहे कि सरकार उनके प्रदर्शन के लिए व्यवस्था करे तो वह सरकार नहीं करेगी, सरकार का काम यह नहीं है कि वह खुद किसी पार्टी का प्रदर्शन कराये । इसलिये यह देखना है । जो आपको सुविधा मिलनी चाहिये वह पूरी सुविधायें मिलेंगी लेकिन आप ऐसा काम न करें जिससे प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो इसको देखने की जिम्मेदारी आपकी भी है और सरकार की भी है।

यहां पर शामली के बारे में एक बात कही गयी कहा गया कि जो साढ़े 22 से बढ़ा कर 30 रु0 पर हार्सपावर कर दिया गया है, उसे कम किया जाय । बिजली के बारे में मांग उठी कि सब को बिजली मिले तो यह मांग बहुत लोगों ने उठायी हमारी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि यह ज्यादा है किसान दे नहीं पा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले । शायद आपको मालूम भी है कि विद्युत परिषद् से एक प्रस्ताव आया था कि इसे बढ़ा कर 60 रु0 कर दिया जाय उसको हमने 30 रु0 किया । परिषद् का कहना है कि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है । लेकिन हमने उसे 50 परसेंट किया । तो इससे काफी घाटा हुआ है। हम चाहते हैं कि काश्तकारों

को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और हमने फायदा पहुंचाया भी है इतना किसी ने नहीं किया । अभी रबी की फसल में गेहूं के दाम हमने सपोर्ट प्राइस से ज्यादा दिये हैं, इसी तरह खरीफ की फसल में भी 8, 9 रुपये सपोर्ट प्राइस से ज्यादा दिये हैं । गन्ने के किसानों के लिये भी हमने प्रयास किया है कि उसे जल्दी से जल्दी पैसा मिले और हर 15 दिन में उसे कीमत मिले इसका प्रयास किया है एसा कभी नहीं हुआ पहले करोड़ों रुपया उनका बकाया रहता था। मैं कहता हूं कि यह सरकार किसानों को हर तरह की सुविधा देने के लिये तैयार है। उसे ज्यादा से ज्यादा सबसिडी या और कोई सहायता हमें देनी पड़े तो हम देंगे और दे रहे हैं।

तो जो बात माननीय मुलायम सिंह जी ने उठायी है उसकी आवश्यकता नहीं थी जब क्वैश्चन आवर समाप्त हो जाता तो वह अपनी बात उठाते । हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन क्वैश्चन आवर न होने से ज्यादा नुकसान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(नेता विरोधी दल तथा अन्य लोगों के खड़े होने पर) माननीय नेता विरोधी दल, अब कृपया आप बैठें। मुझे एक घोषणा करनी है।

श्री कल्याण सिंह–

केवल एक स्पष्टीकरण करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष–

मैं अब खड़ा हो गया हूं (व्यवधान) जरा सुन लीजिये ।

लोकदल के विभाजन के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्ष–

लोकदल के मामले में एक निर्णय देना है। आदेश दिनांक 10-2-1987 द्वारा श्री मुलायम सिंह यादव को नेता, विरोधी दल के रूप में दी गयी मान्यता को मैंने वापस ले लिया था, और लोकदल के 48 सदस्यों की सशरीर उपस्थिति तथा कतिपय अन्य सदस्यों के लिखित समर्थन के आधार पर आदेश दिनांक 21-2-1987 द्वारा श्री सत्यपाल सिंह को नेता, विरोधी दल के रूप में अभिज्ञात किया था।

उपरोक्त निर्णयों के उपरान्त श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुझे यह सूचित किया कि श्री सत्यपाल सिंह को लोकदल की केन्द्रीय पार्लियामेन्टरी बोर्ड द्वारा निष्कासित कर दिया गया है । अतः श्री सत्यपाल सिंह को निर्दलीय सदस्य घोषित किया जाये ।

इसके विपरीत श्री सत्यपाल सिंह ने कहा है कि वे लोकदल के विधान मंडल दल के नियमानुसार चुने हुए नेता हैं, तथा उनका निष्कासन अवैध है। श्री सत्यपाल सिंह ने यह भी कहा है कि श्री बेनी प्रसाद वर्मा लोकदल विधान मण्डल दल के उपनेता के पद से मुक्त कर दिये गये हैं। अतः उनके तथा पार्टी के ऐसे नेताओं द्वारा जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, लिखित पत्रों पर कोई कार्यवाही न की जाय।

दिनांक 28-2-87 को रात में मुझे पुनः सूचित किया गया कि लोकदल विधान मंडल दल की बैठक उसी दिन 3 बजे अपराह्न आयोजित की गयी थी जिसमें 35 विधायक उपस्थित थे। इस बैठक में श्री मुलायम सिंह यादव को लोकदल विधान मंडल दल का नेता चुना गया। दिनांक 1-3-1987 को श्री सत्यपाल सिंह यादव ने मुझे लिखित सूचना भेजी कि श्री मुलायम सिंह यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा को विधान मंडल लोकदल से 3 वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया गया

है। दिनांक 2-3-87 को श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुझे सूचित किया कि दिनांक 28-2-1987 की बैठक में श्री मुलायम सिंह यादव को लोकदल विधान मंडल दल का नेता चुना गया है।

दिनांक 3 मार्च, 1987 को श्री मुलायम सिंह यादव ने मुझे विधान सभा के उन 32 सदस्यों की सूची दी जिन्होंने उन्हें दिनांक 28-2-1987 को अपना नेता चुना था। उक्त सूची में कुछ ऐसे सदस्यों के भी नाम शामिल हैं जो कुछ दिन पूर्व श्री सत्यपाल सिंह के समर्थन में मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे अथवा जिन्होंने श्री सत्यपाल सिंह के समर्थन में लिखित सूचना भेजी थी। यदि श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत सूची के 32 सदस्यों में से उपरोक्त सदस्यों के नामों को नजरअन्दाज भी कर दिया जाय तो यह जाहिर होगा कि श्री मुलायम सिंह यादव को कम से कम 28 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक इस सदन के सदस्यों का सवाल है, लोकदल दो धड़ों में विभाजित हो गया है। एक धड़ के नेता श्री सत्यपाल सिंह हैं तथा दूसरे धड़ के नेता श्री मुलायम सिंह यादव हैं। मेरे लिये यह निर्णय करना मुनासिब नहीं है कि असली लोकदल कौन है और जिन-जिन सदस्यों को निष्कासित किया गया है उनका निष्कासन कानूनी दृष्टिकोण से सही है अथवा गलत। यह लोकदल के आन्तरिक विवाद का मामला है और इस विवाद का निपटारा सदन के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए।

सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए इतना पर्याप्त है कि श्री सत्यपाल सिंह के नेतृत्व वाले धड़ को लोकदल (अ) तथा श्री मुलायम सिंह यादव वाले धड़ को लोकदल (ब) की संज्ञा प्रदान की जाय और अग्रिम आदेशों तक इसी नाम से उन्हें अभिज्ञात किया जाय।

चूंकि श्री सत्यपाल सिंह को 43 से अधिक सदस्यों का समर्थन अभी भी प्राप्त है, अतः उन्हें निर्दलीय सदस्य घोषित करने अथवा उनसे नेता, विरोधी दल की मान्यता वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता। उपरोक्त कारणों से ही श्री मुलायम सिंह यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा को भी निर्दलीय सदस्य घोषित करना समीचीन न होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में आपने .....

श्री अध्यक्ष–

मेरा निर्णय हो गया। उस विषय पर मैं सुनना नहीं चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं निर्णय पर नहीं बोल रहा हूं। मैं निर्णय से आगे जाकर अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में भेज दीजिये। मैं उसे देख लूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में भेज दीजिये, मैं देख लूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें। आपने मुझे समय देने के लिए कहा था।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात सुनूंगा, मैंने मा0 नेता विरोधी दल को बुलाया है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी भावनाओं का निरादर किया है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आपने माननीय राजेन्द्र सिंह को नहीं सुना और इनको सुन रहे हैं। आप उनको भी सुनिये।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं भी इस विधान सभा के अन्दर लोकदल के टिकट पर निर्वाचित होकर आया था। आपने पिछले दिनों नेता विरोधी दल और नेता लोकदल श्री मुलायम सिंह यादव के लेटर पर मुझे अगले आदेश तक निर्दलीय घोषित किया। मान्यवर, इसी बीच मैंने आपको एक बयान हल्फी (एफीडेविट) दिया जिसमें मैंने आपसे निवेदन किया कि आदरणीय चौधरी साहब जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा निष्कासन रद्द कर दिया है। पार्टी के अन्दर उस समय भी इसी तरह का द्वंद चल रहा था जो आज आपके सामने स्पष्ट रूप से आ गया है। क्योंकि अब लोकदल 2 भागों में बंट गया है, "ए" अजीत सिंह गुट और "बी" बहुगुणा गुट, चौधरी साहब का यहां कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, वह आज भी लोकदल के राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने मेरा निष्कासन रद्द कर दिया है और उस एफीडेविट के खिलाफ कोई आपके संज्ञान में यह नहीं लाया कि मेरा निष्कासन रद्द नहीं किया गया है। आपने मुझे अगले आदेश तक निर्दलीय घोषित किया था तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे लोकदल "सी", यानी चरन सिंह गुट का सदस्य घोषित करें।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मुझे लोकदल "सी" का सदस्य आप घोषित करें।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने सुझाव को भेज दें, मैं उस पर गौर करूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने लोकदल–अ तथा लोकदल–ब के बारे में फैसला किया है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि लोकदल "अ" में कौन-कौन से सदस्य हैं और लोकदल "ब" में कौन-कौन से सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपको सूचना दे दी जायगी।

विधान सभा के तीन सत्र तथा 90 उपवेशन बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी सभी विपक्ष के और पूरे सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए आज घोषणा करेंगे कि कम से कम 90 दिन का सदन चलायेंगे और तीन सत्र अवश्य बुलायेंगे। लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में यह घोषणा न करके माननीय सदन के समस्त सदस्यों की भावनाओं का आदर नहीं किया और प्रदेश की समस्याओं के बारे में जो माननीय नेताओं ने जिक्र किया था, उसका भी उत्तर नहीं दिया और शामली के किसानों पर किये गये जुल्म के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इससे माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति कोई आशा नहीं की जा सकती कि उनका जनतंत्रीय आस्था में विश्वास नहीं रह गया है।

आज पूरे प्रदेश में छात्रों के साथ ज्यादती की जा रही है और यह लगातार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। किया।]

ज्यादती जारी है। छात्रों पर जुर्म ढाहा जा रहा है, उनके आन्दोलन को कुचलने के लिए साजिश की जा रही है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। तहेवर जिला आजमगढ़ के छात्रों पर 18 फरवरी, 1987 को जुर्म ढाहा गया। उनको अमानुषिक तरीके से मारा पीटा गया और छात्रों के परिवार के लोगों को मारा-पीटा गया। पुलिस ने पेशबन्दी में स्वयं झोपड़ी जला कर अपराधिक दफाओं में चालान किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। शामली की समस्या के बारे में पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों को दी जाने वाली बिजली के बढ़ते हुए दामों के बारे में कुछ नहीं कहा।

मेरी मांग है कि छात्रों पर जो मुकदमा है, उसे वापस लिया जाय और छात्रों को रिहा किया जाय। यह सरकार किसान विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है। इसलिए हम लोग समझते हैं कि इस सदन में हम सब लोगों के लिए बैठना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम अपने दल के साथ आज से पूरे सत्र के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

(श्री सत्यपाल सिंह के पुकारे जाने पर)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने और माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने जो औचित्य का सवाल उठाया था, उस पर आपने क्या निर्णय दिया था?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुला लिया है, आप बैठिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने और माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया था, उस पर आपका क्या निर्णय हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, इसलिए मैंने उसे निरस्त कर दिया।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस शासन में छात्रों का, शिक्षकों का, किसानों का, गन्ना किसानों का राजनैतिक पार्टियों का उत्पीड़न हो रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि बलिया के एक छात्र नेता का हाथ तोड़ दिया गया। ओम प्रकाश सिंह पर 76 चोटें हैं। कमलेश तिवारी, अध्यक्ष, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन का हाथ तोड़ दिया गया। इसलिए हम अपने दल के साथ सदन का पूरे सत्र के लिए बहिष्कार करते हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, 90 दिन तक इस सदन को चलना चाहिए एक विषय तो यह है और दूसरा यह है कि मान्यवर, 20 जनवरी, 1987 को गृह सचिव की ओर से एक टेलेक्स गया था बसों के परमिट के बारे में कि 6 मार्च को रैली में किसानों को भाग न लेने दिया जाय। एक का उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया कि बसों के परमिट रोके नहीं जायेंगे जो मांगेंगे उनको परमिट दे दिये जायेंगे। मान्यवर, मैं एक बात की ओर आपका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उसमें एक बात यह भी कही गयी है कि लखनऊ में 6 मार्च को भाग लेने के लिए आने वाले किसानों को हतोत्साहित किया जाय डिसकरेज किया जाय। मेरे पास सूचना आ रही है, टेलीफोन भी आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

उसका निर्णय हो गया है।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, जिले-जिले के अन्दर पुलिस के अधिकारी और डी0 एम0 हमारे इन किसानों को परेशान कर रहे हैं जो इस रैली में भाग लेना चाहते हैं। हमने जो किसान संघर्ष समितियों का गठन किया है, इन समितियों के लोगों को तो वह ढूंढ़ कर पूंछ रहे हैं और उनका उत्पीड़न प्रारम्भ हो गया है। इस सम्बन्ध में इनका कोई आश्वासन नहीं आया है कि उनका उत्पीड़न नहीं होगा। इसलिए शेष सत्र के लिए मैं, और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कल्यान सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई भी इस तरह का आश्वासन नहीं दिया कि कोई ऐसी आशा की किरण जगती कि जो लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन हो रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म की जा रही है जानबूझकर, उनका निराकरण करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोकतांत्रिक परम्पराएं पुष्ट हों। मान्यवर, ऐसा कोई आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सत्र के लिए सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री कौशिक रमाशंकर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, पहले तो मुझे आपकी व्यवस्था के विषय में कहना है कि जब मैं खड़ा हुआ तो आपने क्यों दूसरे माननीय सदस्य को इजाजत दे दी। मैं समझता हूं कि आप कोई व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और उस व्यवस्था के अन्दर आप बुलवाया करें।

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आप इनको रोकेंगे नहीं?

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, एक बड़ी साजिश है और वह साजिश यह है कि हमारे नये नेता विरोधी दल इस सदन में अपने विचारों को न रख सकें और उसी की कामयाबी के लिए मुलायम सिंह जी यहां से चले गये।

श्री सत्यपाल सिंह–

अगर किसी तरह की साजिश होगी हमारे पक्ष में अथवा सत्ता पक्ष में, उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं, उसमें हमें आपके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री शारदा नन्द अंचल, गया प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य विपक्ष के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए "पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी", कहते हुए सदन के बाहर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

अंचल जी, आप लोग कृपया नारे न लगायें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से जब यह कहा गया कि 90 दिन का सदन चलना चाहिए और तीन बार चलना चाहिए तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप पहले अपने को नहीं देख रहे हैं, हमसे 90 दिन सदन चलाने की बात करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि यह सदन 90 दिन कभी नहीं चला है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, पहली विधान सभा जो बुलायी गयी 92 दिन चली, दूसरी विधान सभा जो बुलायी गयी 84 दिन चली, तीसरी विधान सभा जो बुलायी गयी 80 दिन चली और चौथी विधान सभा जिसमें संविद सरकार थी उसमें चूंकि पूरा समय नहीं मिल पाया इसलिए 43 दिन चली। अब इसके बाद में पांचवीं विधान सभा 52 दिन चली। छठी विधान सभा 51 दिन चली। सातवीं विधान सभा 57 दिन चली और आठवीं विधान सभा 47 दिन चली। मुझे कहना यह है कि आप अपने समय को देख लीजिये, सन् 83 में 48 दिन चली, सन् 84 में 45 दिन चली, सन् 85 में 41 दिन चली और सन् 86 में 46 दिन चली। आपने ही यह परम्परा डाली है जब कि अन्य विधान सभाओं के अधिवेशन 90 दिन या 90 दिन से कुछ कम चले। अब अगर आपने कोई परम्परा गलत डाली है और आपको यह दृष्टिकोण उचित लगता है कि इसे चलते रहना चाहिए तो मैं समझता हूं कि यह कोई समुचित उत्तर नहीं हुआ कि आप अपनी गलती को सुधारने का कोई प्रयास न करें।

मान्यवर, अगर विरोधी दल का कोई प्रदर्शन होता है या सम्मेलन होता है तो सरकार उसका इन्तजाम नहीं करेगी। लेकिन अगर सत्ता पक्ष का कोई सम्मेलन होता है, तो उनके लिए तो आप व्यवस्था करेंगे। हमारे किसी विरोधी पक्ष के सदस्य ने आपसे यह मांग तो नहीं की थी कि आप व्यवस्था कर दीजिये। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि 5 मार्च के लिए दिल्ली में जो लोकदल का कंवेंशन है, वह हमारा कानूनी अधिकार है और उस प्रदर्शन में, सम्मेलन में लोगों को ले जाने के लिए हम आपसे कोई सहायता नहीं मांग रहे थे, परन्तु आपने सब परमिट बंद कर दिये। आपने आर0 टी0 ओ0 और अपने जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया परमिट न दिये जायं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने अधिकारियों को यह आदेश दिये कि परमिट न दिये जायं। कल 5 तारीख को कंवेंशन है और आज 4 तारीख को हमारे पास जगह-जगह से सूचना आ रही है कि हम लोगों को परमिट नहीं मिल रहे हैं।

इस तरह से आपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है और आपने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है और आपके इस रवैये को उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसके बाद आपने जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर काण्ड देखा उससे विद्यार्थियों का आक्रोश

उभरा । आपके कार्यकाल में बहुत ही समस्यायें आयीं चाहे वह कर्मचारियों की हों, किसानों की हों, विद्यार्थियों की हों या डाक्टरों की हों, किसी भी प्रकार का आन्दोलन रहा हो, किसी भी आन्दोलन को आप आज तक निपटा पाये हैं । हर आन्दोलन में हम देख रहे हैं कि जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है तब आपकी आंख खुलती है। अगर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर छात्र समारोह मनाने जा रहे थे तो कौन सी ऐसी बड़ी बात थी कि आपके एस0 पी0 और एडीशनल एस0 पी0 ने उन विद्यार्थियों के ऊपर आक्रमण कर दिया और जिसका अंजाम आज आप देख रहे हैं।

कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जो केवल घटनायें रह जाती हैं और कुछ घटनायें आन्दोलन का रूप ले लेती हैं। छात्रों की इस घटना ने आज सारे उत्तर प्रदेश में आन्दोलन का रूप ले लिया। इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ हर बड़े-बड़े जिले के अन्दर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में आज आन्दोलन की ज्वाला भड़क रही है। अच्छा होता यदि आपका दृष्टिकोण यह होता कि इन मांगों का आप समाधान करें, इनको निपटा दें। मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इतना बड़ा, इस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ, आपका क्षेत्राधिकारी मारा गया लखनऊ के अन्दर, बसें जलाई गईं, लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर, तोड़-फोड़ हुई लेकिन सारी घटनाओं को मूक-दर्शक बनकर आप देखते रहे । हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का यह क्या कर्तव्य नहीं था कि इन्हें देखने का । आप अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते रहे । पुलिस अधिकारी की गलती की वजह से अदूरदर्शिता की वजह से, अत्याचारों की वजह से उत्तर प्रदेश के अन्दर विद्यार्थी आन्दोलन पनपा । विद्यार्थी महसूस करता है कि उसके खिलाफ दमन चक्र चल रहा है। दमनचक्र को कुचलने के लिये वह आन्दोलन में शरीक होता है । यह आन्दोलन हर जिले में पहुंच रहा है। मेरा कहना है कि बनारस के अधिकारियों को सजा दिलाइये जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । आपने किया क्या है उत्तर प्रदेश के कर्मचारी असंतुष्ट हैं, डाक्टर असन्तुष्ट हैं, जनता असन्तुष्ट है, विद्यार्थी असन्तुष्ट है सभी ओर असंतोष है। ऐसे असन्तोष के बीच आप अपनी कुरसी पर नहीं बैठ पायेंगे । मैं मांग करता हूं कि क्षेत्राधिकारियों को निलम्बित करें, उन्हें सजा दिलायें । विद्यार्थियों की मांगों को मानकर कार्यवाही करें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मान्यवर, बनारस विश्वविद्यालय के लिए डी0 आई0 जी0 प्रशासन को जांच के लिये भेजा गया वह लौट आये हैं। जिन्होंने ओम प्रकाश सिंह को मारा था उनको निलम्बित करने की बात थी। आपने कहा था कि जैसे ही जांच हो जायेगी, उनको हटा देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें हटाने के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

यह मांग थी कि पुलिस से जांच न कराई जाय, किसी अन्य से जांच कराई जाय । मैंने बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से जांच कराये जाने के आदेश कर दिये हैं। रिपोर्ट आ जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह अधूरी बात है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा .....

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात साफ कर दी है। चेम्बर में जाकर बात कर लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

चेम्बर क्या होता है, चेम्बर केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है।

(शोर)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री भोपाल सिंह लगातार शोर करते रहे)

(लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब नम्बर आयेगा तो बोलियेगा। आप लोग बैठें।

[किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए लोक दल (अ) के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर के पास आ गये]

(घोर व्यवधान)

(श्री भोपाल सिंह द्वारा कार्यवृत्त लेखक की मेज पर खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, इन्हें मौका आप क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो कह रहा हूं कि मैं बुलवाऊंगा लेकिन यह तो यहां पर खड़े हुए हैं, यहां से कैसे बोलेंगे।

(कार्यवृत्त लेखक के मेज के पास सर्वश्री मनोहर लाल, भगवान दीन कुशवाहा, सुन्दर लाल, अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री शतरुद्र प्रकाश आदि मा0 सदस्यगण माननीय शारदा प्रताप द्वारा निम्नलिखित नारों को दुहरा रहे थे :–

छात्रों की है यह ललकार, बदलो-बदलो यह सरकार, छात्रों पर जो सरकार गोली बरसावे, वह सरकार निकम्मी है, छात्रों पर जो डंडा बरसावे, वह सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, वह सरकार निकम्मी है।)

(श्री भोपाल सिंह कार्यवृत्त लेखक की मेज पर खड़े होकर बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांति से बैठिये, मैं सभी को बुलवाऊंगा।

(घोर व्यवधान)

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शारदा प्रताप, श्री मनोहर लाल, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री भगवान दीन कुशवाहा, श्री जागन सिंह, डा0 बंगाली सिंह आदि अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये।)

(श्री भोपाल सिंह सदन की मेज पर खड़े होकर कहते रहे कि डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 को बदल दो और जांच करवा दो।)

(सदन के फ्लोर पर बैठे मा0 सदस्य "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी," "देश बदल दो, तख्त बदल दो, बेइमानों का राज बदल दो" "नौजवानों किसानों की है ललकार, बदलो बदलो यह सरकार", "शासन है कि बाज है, तानाशाही राज है" आदि नारे लगाते रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोगों से निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करें। मैं आपको बुलवा रहा हूं।

(सर्वश्री दिवाकर बिक्रम सिंह, शारदा प्रताप,

अनुग्रह नारायण सिंह, डा0 बंगाली सिंह, श्री भगवानदीन कुशवाहा आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहे और यह नारा लगाने लगे "ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज्य बदल दो")

श्री उपाध्यक्ष –

माननीय भोपाल सिंह जी, आप कृपया अपने स्थान पर जायं । और भी माननीय सदस्य जो सदन के फ्लोर पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्य पुनः यह नारा लगाने लगे कि "लाठी-गोली की सरकार, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी")

श्री उपाध्यक्ष –

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई । 2 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने यह सूचना दी कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ाया है । 2 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ाया है ।

तदुपरान्त 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही मा0 उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

आज की कार्यसूची की मद संख्या 4 को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 4 में अगले दिन के लिए स्थगित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी –

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समित का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद जौनपुर के बदलापुर को तहसील बनाये जाने विषयक याचिका

श्री जंग बहादुर सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी आज्ञा से जौनपुर के बदलापुर को तहसील बनाये जाने विषयक श्री राम राज पान्डेय, निवासी ग्राम पुरानी बाजार, बदलापुर, जिला जौनपुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 को वापस लिए जाने के संबंध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष –

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 पुरःस्थापित किया गया था और दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को उन्होंने उस पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । विधेयक पर विचार व्यक्त करने के उपरान्त श्री तिवारी ने अपने भाषण के अन्त में विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा मांग ली । विधेयक की वापसी हेतु सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए जब मैंने प्रश्न उपस्थित करना चाहा तो माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने इस आधार पर आपत्ति प्रकट किया कि विधेयक पर शासन को

†छापा नहीं गया ।

अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है । अतः 4 सितम्बर, 1986 को मैंने अपनी रूलिंग आरक्षित कर ली थी ।

इस मामले में विवादित बिन्दु मात्र इतना है कि विधेयक की वापसी हेतु प्रश्न उपस्थित करने के पूर्व सत्तापक्ष को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय अथवा नहीं ।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 171 के अनुसार विधेयक का भारसाधक सदस्य विधेयक को किसी प्रक्रम पर वापस लेने की अनुमति हेतु प्रस्ताव पेश कर सकता है। उक्त नियम में शब्द "किसी प्रक्रम पर" महत्वपूर्ण है। अतः यदि भार साधक सदस्य ने पहले विचार का प्रस्ताव रखा और उस पर मतदान के पूर्व विधेयक को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा मांग ली, तो विधेयक की वापसी हेतु प्रश्न उपस्थित करने में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती किन्तु यह भी निर्विवाद है कि दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को सदन के समक्ष दो प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये गये । पहला प्रस्ताव विधेयक पर विचार करने से संबंधित था और दूसरा प्रस्ताव विधेयक की वापसी हेतु सदन की अनुज्ञा मांगने से संबंधित था । विधेयक की वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर देने मात्र से, उस पर विचार का प्रस्ताव, स्वयमेव निरस्त नहीं हो जाता। चूंकि सदन के समक्ष विधेयक के विचार और उसकी वापसी से संबंधित दोनों प्रस्ताव लम्बित थे, अतः सत्तापक्ष को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती ।

कतिपय माननीय सदस्यों ने नियम 172 के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया था कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, शासन का दृष्टिकोण तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब वह विधेयक की वापसी के प्रस्ताव का विरोध करें । जैसा कि मैंने ऊपर कहा है सदन के समक्ष दोनों प्रस्ताव लम्बित थे और प्रथम प्रस्ताव के लम्बित होने की दशा में सत्तापक्ष अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकारी है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं इस मत का हूं कि विधेयक की वापसी हेतु प्रश्न प्रस्तुत करने के पूर्व सत्तापक्ष को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर प्रदान करना नियमानुकूल होगा ।

नियम 301 की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री अभिताभ अनिल दुबे ,श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राज किशोर सिंह तथा श्री मनोहर लाल की सूचनायें स्वीकृत हुई हैं । शेष 7 सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

(उपर्युक्त सात स्वीकृत सूचनाओं में श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री अमिताभ अनिल दुबे, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राज किशोर सिंह का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए वे सूचनाएं पढ़ी नहीं गयी ।)

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर के समक्ष श्रमिक महिलाओं पर बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज से श्रमिकों में असंतोष होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल –

मान्यवर, दिनांक 27 फरवरी, 1987 को अनशन पर बैठी श्रमिक महिलायें जो कि अपनी मांगों को लेकर श्रमायुक्त कार्या-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लय, कानपुर से वापस आ रही थीं हैलेट अस्पताल के पास चारों तरफ से पुलिस ने घेरकर लाठी चार्ज कर दिया । इस लाठी-चार्ज से सैकड़ों श्रमिक महिलाओं एवं श्रमिकों को चोटें आयी, महिलाओं के कपड़े फटे व घायल हुई । मैसर्स एम0 के0 जे0 कारपोरेशन में लगभग 900 श्रमिक काम करते हैं जिसमें 600 महिलायें हैं । मालिकों ने बिना कारण दिनांक 22-1-87 को 25 महिला कर्मचारियों को बल पूर्वक कारखाने से बाहर कर दिया था, जिसके विरोध में श्रमिकों में अशांति फैल गई थी और वह लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन व अनशन कर रहे थे। श्रम कार्यालय तथा जिला प्रशासन मालिकों पर कोई दबाव नहीं डाल रहा था । इस लाठी चार्ज से कानपुर के श्रमिकों के अन्दर काफी अशान्ति व भय का वातावरण फैल गया है तथा किसी भी दिन यह आक्रोश भड़क सकता है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन को निर्देश देने का कष्ट करें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई . . .

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

बीच के रह गये हैं, उनका क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है यह बाद में होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

नियम 56 पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह बाद में आयेगा । **अब मद संख्या 11 लेते हैं।**

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मद संख्या 8 में मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी है । उस पर या तो आज सुन लीजिए या फिर 7 ता0 को सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

7 ता0 को शून्य प्रहर नहीं रहेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

विशेषाधिकार के प्रश्न तो रहेंगे । अगर नहीं होता है तो जब हो तब सुन लीजिए। या 6 ता0 को सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह देखा जायेगा 6 तारीख को ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो क्या यह व्यवस्था हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष –

नहीं व्यवस्था नहीं पहले उसका परीक्षण होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

परीक्षण बाद में होगा पहले सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम आगे बढ़ते हैं मद संख्या 11 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्यसूची की मद संख्या 13 व 14 को बाद में लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, एक प्रस्ताव है कि मद संख्या 13 और 14 को बाद में ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, बाद में ले लेंगे।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदम की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करती हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत आज 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार है :–

1–प्रदेश में व्याप्त छात्र आन्दोलन। इसे श्री जनार्दन प्रसाद आभा ने दिया है। इसी सूचना को श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री गौरी शंकर भइया, श्री विष्णुदेव, श्री विक्रमादित्य पांडेय, श्री कमल किशन पांडेय, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री हर्षवर्धन, श्री राजबहादुर सिंह, श्री रमाशंकर कौशिक ने दिया। इसे श्री कल्यान सिंह, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रामजनम यादव, श्री फागू चौहान, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद, श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री राजकिशोर सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री राय लक्ष्मी नारायण और श्री शारदा नन्द अंचल ने भी दिया है। इस प्रकार एक ही विषय पर 8 सूचनायें प्राप्त हुई।

9–शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में बिजली की मांग करते किसानों पर पुलिस द्वारा गोली वर्षा की सूचना श्री

राम शरण दास ने दिया है। इसी विषय पर श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री रघुबर दयाल वर्मा ने भी अलग-अलग सूचनायें दी हैं।

सूचना नं0 12–यूपिका व यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन पर बुनकरों का 6 करोड़ रुपये का बकाया के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और श्री मित्रसेन ने सूचना दिया है।

13–अचलगंज, उन्नाव की पुलिस द्वारा छोटेलाल की हत्या की सूचना श्री मनोहर लाल और श्री सुन्दर लाल ने दिया है।

14–लखनऊ की हरिजन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं का अभाव की सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर ने दिया है।

15–प्रदेश के महानगरों में प्रदूषण की समस्या की सूचना श्री बाबू राम यादव ने दिया है।

16–प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षण समय में परिवर्तन की सूचना श्री गया प्रसाद वर्मा ने दिया है।

17–इलाहाबाद में पुलिस द्वारा तीन लोगों की हत्या की सूचना श्री राम सजीवन और श्री यदुनाथ सिंह ने दिया है।

18–तराई क्षेत्र में बिना बन्दोबस्त किए ही चकबन्दी आरम्भ किए जाने की सूचना श्री काशी सिंह ऐरी ने दिया है।

19–शीतगृह बिन्दकी रोड, फतेहपुर द्वारा आलू के प्रतिकर का भुगतान की सूचना श्री अचल सिंह ने दिया है।

अब कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं पहली सूचना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि विगत दो महीनों से पूरे उत्तर प्रदेश छात्र आन्दोलन की लपेट में है। पूरा प्रदेश आज छात्र आन्दोलन के कारण अशांत है। इस प्रकार छात्र आन्दोलन जो माह अक्टूबर में सर सुन्दर लाल अस्पताल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर से शुरू हुआ, जिसमें डाक्टर ने एक गांव की महिला के साथ बलात्कार किया और उसके विरोध में छात्र नेताओं ने इस डाक्टर के खिलाफ जेहाद बोला तो डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही तो दूर रही उल्टे उन छात्रों को निकाला गया। उन छात्रों के निष्कासन के खिलाफ जब वहां के छात्र अपनी बात कहने के लिये जनतांत्रिक ढंग से इकट्ठे हुए, तो विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रस्तोगी ने उन छात्र नेताओं को भी निलम्बित कर दिया। इस चीज को समय रहते सरकार ने ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे आग बढ़ती रही और आज स्थिति है कि प्रदेश के आधे जिलों में छात्र आन्दोलन तेज है। मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ आदि छात्र आन्दोलन की लपेट में हैं। सैकड़ों छात्र जेलों में हैं और उन पर फर्जी मुकदमें चलाये गये हैं। छात्रों को पकड़कर लाठियों और बन्दूकों के कुन्दों से पीटा गया है। श्री ओम प्रकाश सिंह वाराणसी तथा श्री गोपाल जी मिश्र गम्भीर रूप से घायल होकर अस्पताल में हैं। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को प्रताड़ित करने का काम किया है और व्यक्तिगत दुश्मनी से उनको पीटा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है।

मान्यवर, छात्र आन्दोलन बढ़ता जा रहा है। मार्च-अप्रैल में इण्टरमीडिएट की

परीक्षायें होने वाली हैं, इसलिये इस आन्दोलन से परीक्षायें प्रभावित होंगी । कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। केवल छात्रों को ही चोटें नहीं आयी हैं बल्कि एक पुलिस अधिकारी की भी मृत्यु हुई है जिससे पुलिसबल में तनाव है। मान्यवर, आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि इस बढ़ते हुए छात्र आन्दोलन को तत्काल समाधान नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों को दंडित नहीं किया गया, फर्जी मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो आगे आने वाला शिक्षा सत्र भी प्रभावित हो जायेगा और उससे हम सभी प्रभावित होंगे । इसलिये सदन की कार्यवाही को रोक कर इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या आप भी बोलेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप कहें तो 2 मिनट मैं भी बोल दूं।

श्री उपाध्यक्ष–

बोलिये ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों का जो असंतोष है वह पूरे प्रदेश में इस समय फैला हुआ है । सरकार को छात्र असंतोष के समाधान के लिये जिस तत्परता के साथ कम करना चाहिये था, सरकार उस तरह से काम करने में विफल रही है। 3 फरवरी को, बसंत पंचमी को जब छात्र विश्वविद्यालय के स्थापना स्थल की ओर जा रहे थे, तो वहां पर पुलिस ने छात्रों को पकड़कर बेरहमी से मारा । ओम प्रकाश सिंह जो छात्रसंघ के महामंत्री थे उनको बनारस विश्वविद्यालय से गिरफ्तार करने के बाद कैंट थाने में बड़ी बुरी तरह मारा गया । इस मार के फलस्वरूप उनके शरीर पर 66 चोटें आयीं । उनकी आंखों को फोड़ने की कोशिश की गयी और उनकी टांगों को तोड़ने की कोशिश की गयी । उनके साथ जो करीब 23 विद्यार्थी बन्द थे हर विद्यार्थी के ऊपर 20-20, 15-15 दफायें लगायी गयी हैं। जो विद्यार्थी छात्रावास में थे उनको वहां से पकड़कर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जो विद्यार्थी पकड़े गये हैं उनको 30 घंटे तक कैंट थाने में बन्द रखा गया जबकि नियम यह है कि 24 घंटे के अन्दर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिये था। कानून को तोड़ने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। बड़े पैमाने पर पुलिस दमन जारी है। 7 फरवरी को बनारस के साथ-साथ पूरे पूर्वान्चल को बन्द रखने का आह्वान किया गया था । 18 फरवरी को पूरे प्रदेश को बन्द रखने का आह्वान किया गया और छात्रों ने पूरे प्रदेश को बन्द कराया । इसके बावजूद भी छात्र समस्या का समाधान नहीं किया गया और छात्र आन्दोलन का पुलिस के बल पर दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह थी कि इसमें एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गयी । मेरा विश्वास है कि अगर सरकार स्वयं नियंत्रण में रहकर परिस्थिति की देखभाल करती तो आज यह गम्भीर परिस्थिति न पैदा होती । मैं कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराने का काम करें और सरकार को इस सारे के सारे सवाल पर एक बयान देना चाहिये, यही मेरी आपसे मांग है।

*वक्ता ने भाषज का तुनवीक्षण नहीं किया।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, पुलिस दमन आज पूरे प्रदेश में फैल गया है। यह जो छात्र आन्दोलन है, गृह मंत्री ने ही स्वीकार किया है कि वह 42 जिलों में फैल गया है। प्रदेश के 57 जिलों में से 42 जिलों में छात्र आन्दोलन, किसान आन्दोलन हो रहे हैं। एक बार मैंने इस विधान सभा में "पुलिस मन ठीक करो" की बात कही थी। बनारस में बसंत पंचमी के दिन, 3 फरवरी को सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थियों का जुलूस निकला। महामना मालवीय जी ने बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी की स्थापना 1916 में बसंत पंचमी के दिन की थी। बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी का रोल स्वतंत्राता संग्राम आंदोलन में रहा है। हमें तकलीफ होती है जब वीर बहादुर सिंह की सरकार छात्र आंदोलन को मजाक के रूप में देखती है। किसान आन्दोलन को मजाक के रूप में देखती है। आसाम में छात्र आन्दोलन की बदौलत प्रफुल्ल कुमार महंत की सरकार बन गयी। छात्र आन्दोलन के कारण कमलापति जी को सरकार गिर चुकी है। थानु पिल्लई की सरकार के समय छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और सरकार को डा0 लोहिया जी के निर्देश पर गिरा दिया गया। लेकिन आज जगह-जगह पुलिस छात्रों का दमन कर रही है। छात्र एकता जिन्दाबाद के नाम पर ऐसी स्थिति भी हो रही है कि कुछ अवांछनीय तत्व भी घुसकर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। अभी शामली में जिस समय किसान आन्दोलन हो रहा था, उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान केवल एकतरफा आया और पुलिस की रिपोर्ट पर आया उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता ही रहता है। कभी-कभी हम लोग विधान सभा में कितनी महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बनारस से लेकर पीलीभीत, बरेली तक, 42 जिलों तक छात्र आन्दोलन हुआ। बनारस यूनिवर्सिटी के हर छात्र जो 18 वर्ष के हैं, वे बालिग हो जाते हैं और वे मताधिकार के योग्य माने जाते हैं। दूसरी बात यह कि मई में चुनाव कराने की बात कही गयी, जबकि विद्यार्थियों का इम्तहान समाप्त हो जाता है। ऐसे समय में कौन मतदान देने आवेगा? उस समय चुनाव कराना मात्र खिलवाड़ ही रहेगा। इस तरीके से तनाव बढ़ता ही जा रहा है। मेरा सुझाव है कि पुलिस की ओवरहालिंग करने के लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की जरूरत है।

*श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। जब कभी यह सरकार चाहती है, तो किसानों पर टैक्स के रूप में कुछ न कुछ थोप देती है। इस देश में हर वर्ग के लोगों की यूनियन है। विद्यार्थी की यूनियन है, मजदूर की यूनियन है, लेकिन किसान की कोई यूनियन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले विद्युत बोर्ड के लोगों ने सरकार को धौंस दिया कि हम लोग हड़ताल करेंगे। सरकार को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो सरकार ने किसानों पर विद्युत का दाम 22 रु0 से बढ़ा कर 30 रु0 कर दिया। जो किसान कच्चा माल पैदा करता है, और अपने माल के दाम बढ़ाने की बात करता है, तो यह सरकार कहती है कि इसका दाम केन्द्र सरकार बढ़ाती है। लेकिन जो फैक्टरियों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा माल तैयार होता है, उसका दाम यह सरकार बढ़ाने में सक्षम है। अभी कुछ दिन पहले बिजली के दाम बढ़ाये गये, उसके विरोध में एक प्रदर्शन शामली में हुआ। वहां पर मेरे क्षेत्र के किसान, छपरौली के किसान मेरठ आदि स्थानों के किसान यूनियन के माध्यम से इकट्ठा हुए। जिलाधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि हम सरकार से बात करेंगे और आप लोग साढ़े 22 रु0 बिजली का दाम जमा कर दें, तब किसानों ने जिलाधिकारी के आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, लेकिन किसानों ने कहा कि अगर पहली तारीख तक तय नहीं हुआ, तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। परन्तु डी0 एम0 साहब ने पहली तारीख से 4 दिन पहले यह कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और किसानों पर पैनाल्टी लगा दी गयी। जो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गईं। उन्हें मारा-पीटा गया। वहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय पशुपालन मंत्री भी गये। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वहां के लोगों को शान्त करके चले आये। वहां की घटना के बारे में न्यायिक जांच के लिए आदेश दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं कि न्यायिक जांच में कुछ नहीं होता है। जो न्यायिक जांच होती है, वह सरकार के इशारे पर होती है।

मान्यवर, जो दोषी अधिकारी हैं, वे जब तक वहां से हटाये नहीं जायेंगे, तब तक सही जांच कैसे हो सकती है? वे लोग तो जांच को प्रभावित करेंगे, जिससे सही जांच नहीं हो पायेगी। मेरे क्षेत्र में कोई भी सब्सीडी बिजली पर नहीं है। बुन्देलखण्ड में बिजली पर सब्सीडी दी जाती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई सब्सीडी बिजली पर नहीं है। वहां पर पेय जल के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय और जिन अधिकारियों ने गोली चलवाई है, लाठी चलवाई है, उनके विरुद्ध तुरन्त सख्त कार्यवाही की जाय और किसानों को एक लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिलवाया जाय।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह मेरे पास पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें माननीय गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित जी ने यह निकलवा दिया है कि अगले मुख्यमंत्री गोपीनाथ दीक्षित जी हो रहे हैं। जब से यह अखबारों में निकल गया है, उन्नाव की पुलिस तब से निरंकुश हो गयी है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो उन्नाव जिले की है। मान्यवर, हरईपुर थाना बांगरमऊ में वासन्ती नामक एक 28 वर्षीय विधवा के साथ पुलिस ने रात भर बलात्कार किया और उल्टे गांव के प्रधान व 6 अन्य लोगों को झूठी दफाओं में जेल में बन्द कर दिया गया जो आज तक बन्द हैं। मान्यवर, यह गृहमंत्री जी का क्षेत्र है और गृह मंत्री जी वहां नहीं गये।

मान्यवर, 27 तारीख को 8 बजे थाना अचलगंज की पुलिस छोटे लाल, उसके भांजे और भतीजे को पकड़ लाई और 28 तारीख को तीनों को मारना शुरू किया और उसके बाद 2 बजे तीनों को दफा 25 में

*वक्ता ने भाषज का तुनवीक्षण नहीं किया।

चालान करके उन्नाव जेल ले गयी। दो लोगों को तो जेलर ने ले लिया लेकिन छोटे लाल को यह कहकर वापस कर दिया कि उसकी दशा बहुत गम्भीर है। जैसे ही पुलिस उसको वापस लेकर चली, वह मर गया। छोटे लाल के मरते ही पुलिस हरकत में आ गयी और उसकी लाश को थाना गंगाघाट शुक्लागंज में लावारिस करार करके जला दिया और उसके घर वालों को खबर भी नहीं दी । इस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख-कर दिया था जिस पर कृपापूर्वक उन्होंने सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दिये हैं।

मान्यवर, अभी 2 माह पहले ही थाना अचलगंज की पुलिस ने बद्रूद्दीन नामक व्यक्ति को पकड़ा और उसको थाने में ही बिजली का करेन्ट लगाया और 2 घंटे में ही उसे मार डाला। मान्यवर, इस तरह से उन्नाव जनपद में पुलिस की ज्यादती बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को रोककर चाहे वह हरई-पुर कांड हो, चाहे वह बदल का पुरवा कांड हो, चाहे हड़हा कांड हो, हसनगंज या अचलगंज का कांड हो, इस पर चर्चा की जाय। इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि जो पत्रों में निकलवा दिया है कि मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उसका भी खंडन होना चाहिए।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जो बुनकर वाली समस्या है, अगर आप कहें तो दुबारा लिखकर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आज छोड़िये, अभी मित्रसेन जी भी नहीं हैं।

श्री बाबू सिंह–

मान्यवर, मैं एक मिनट आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं . .

श्री उपाध्यक्ष–

बाबू सिंह जी, आप कृपया बैठें।

सभी सूचनाएं नियम 56 के अंतर्गत अस्वीकार की जाती हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि " यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 2 मार्च, 1987 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्रीमन्, मुझे खुशी है कि कम से कम कुछ हमारे विरोधी दल के साथी विराजमान हैं। इस सदन में कम से कम उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का निर्वहन करने का प्रयास किया है. .

श्रीमन् 1974 से मैं इस सदन का सदस्य हूं और आज जो मैं देख रहा हूं, वह बड़ा अभूतपूर्व है और पहली बार ऐसा हुआ है । प्रत्येक सत्र में दो ऐसे अवसर आते हैं चाहे सत्ता तक्ष के लोग हों अथवा विरोध पक्ष के लोग हों . . .

श्री उपाध्यक्ष–

डाक्टर साहब, एक मिनट, जरा मैं समय की घोषणा कर दूं । राज्यपाल के अभि-

भाषण पर चर्चा के लिए प्रस्तावक को 25 मिनट, नेता सदन कोई समय सीमा नहीं। नेता विरोधी दल, कोई समय सीमा नहीं। दलीय नेता, 15 मिनट और अन्य सदस्यों के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, प्रस्तावक के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है और इस विषय के लिए यदि 4 दिन लगातार मुझे दे दिये जायं तब भी समय कम होगा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि बहुत सूक्ष्म में अपनी उपलब्धियां रख सकूं। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि दो अवसर ऐसे होते हैं जब माननीय सदस्य, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों, उन्हें अपनी बात कहने का, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अवसर मिलता है। लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि हमारे कुछ साथियों को छोड़कर बाकी लोगों ने ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर सदन का बहिष्कार किया। मैं इसको एक अच्छी परम्परा नहीं मानता।

श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश युवा प्रधान-मंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्य-मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी के सबल नेतृत्व में जिस प्रकार उन्नति कर रहा है और सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए अग्रसर है और जिस प्रकार विगत दो वर्षों में हम लोग प्रगति की ओर अग्रसर हुए हैं, वह अपने आप में एक बेमिसाल बात है। श्रीमन्, पिछले वर्षों में जो कुछ हमारे कार्य कलाप रहे, उसका सिंहावलोकन किया जाय, उस पर दृष्टिपात किया जाय तो एक बड़ी उभरती हुई तस्वीर हमारे सामने आयेगी, इस प्रदेश के सामने आयेगी। गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए, आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हमने जो प्रयास किये हैं, उसमें हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है और जो सफलता हमको मिली है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी हमको और उन्नति करनी है, और आगे जाना है, और तेजी से विकास करना है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले वर्षों में हमने जो प्रगति की, प्रदेश में बीस सूत्रीय कार्यक्रम को अपनाया और उसे गरीबी को समूल रूप से नष्ट करने का यंत्र माना। इसी कारण हमने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को, उनके मंत्रि-मण्डल के सह-योगियों को और सभी हमारे इस पक्ष के विधायक बन्धुओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन सबके सहयोग से हमने यह कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे देश के **अन्दर मैं आपको भी (विरोध पक्ष) बधाई** देना चाहता हूं। हमारे बहुत से साथियों ने उसमें रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है।

श्रीमन्, जो हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, उसमें और प्रगति करनी है। उसमें हमको सबका सहयोग लेना है। मुख्य मंत्री जी ने कार्यभार ग्रहण करते ही विकास को नई गति देने के लिये "कार्य-संस्कृति" को जन्म दिया। "वर्क कल्चर" पैदा किया। अधिकारियों और कर्मचारियों में भावना पैदा हुई काम करने की। डर भी पैदा हुआ कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। जिन्होंने ईमानदारी से योगदान दिया इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, हमारे मुख्य मंत्री जी ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया।

आज पूरे प्रदेश में नया वातावरण अर्जित हो चुका है आगे बढ़ने के लिये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने नई रणनीति तय की है,

(रिजल्ट ओरियेन्टेड)–''कार्य परक'' । उसमें जो अच्छे कर्मचारी होंगे उनको पुरस्कृत किया जायेगा और जो अक्षम होंगे उन्हें दंडित करने में भी यह शासन हिचकेगा नहीं। इस रणनीति का विकसित रूप अपनाया गया–जन आकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की जवाबदेही ।

मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जहां सातवीं योजना काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का औसत 1956 था वहीं उत्तर प्रदेश का 942 था । प्रदेश फिर भी विचलित नहीं हुआ, उसने संकल्प किया कि हम इसका मुकाबला करेंगे । आज औसत आय बढ़कर 486 से 572 हो हो गयी है । उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छी हो चुकी है । उत्तर प्रदेश की विकास दर पांचवीं योजना काल में 5.7 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय दर थी 5.3 प्रतिशत । छठीं योजना काल में 8.1 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय दर थी 5.3 प्रतिशत । सातवीं योजना काल में हमें इससे और आगे बढ़ना है । यह तभी संभव है जब हम सब मिल कर गरीबी के प्रति जेहाद छेड़े । आज जो सामाजिक, आर्थिक स्तर पर विषमतायें हैं उनको समाप्त करें। 77-78 के आंकड़ों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी सीमा से नीचे जीवन-यापन करती थी। छठवीं योजना में यह घटकर 41.08 हो गयी अब शासन का लक्ष्य है कि सातवीं योजना में यह प्रतिशत 30.22 तक किया जा सके । मुझे आशा है कि जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं यह लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे ।

श्रीमन्, हमने गरीबी को दूर करने के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपनाया है । श्रीमन्, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6-02 लाख परिवार इस कार्यक्रम में लाभान्वित किये जावेंगे । गत वर्ष वह संख्या 5.81 लाख परिवारों की थी । आगामी वर्ष में 6 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जायेगी। ग्रामीण श्रमिकों को पूरक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हमारी सरकार ने प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मान्यवर 2,418.60 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये गये और आगामी वर्ष में 440 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है।

मान्यवर, ग्रामीण भूमिहीनों द्वारा 390 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हेतु एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आगामी वर्ष में भी इसी के समतुल्य रोजगार सृजन का लक्ष्य है। लघु व सीमान्त जोत वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड को 5 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है । श्रीमन्, अनुसूचित जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिये शासन ने कई कार्यक्रम चलाये हैं । अल्प आयवर्गीय सोपान के अद्योतम छोर का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुसूचित जातियों का राज्य की कुल जन संख्या का 21 प्रतिशत है । सरकार ने इनके दुखों के निवारण हेतु विशेष समन्वित योजना का क्रियान्वयन किया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3457 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। 4500 बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था की गई है और 2447 बस्तियों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया है। 96 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है, 30,000 व्यक्तियों को आवास स्थल का आवंटन किया गया है और 12,120 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है ।

आगामी 5 वर्षों में 15 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायगा । **सातवीं योजना में इस हेतु 11 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।** 1987-88 में 3-5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है । शासन ने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है । वर्तमान **वित्तीय वर्ष में 50,000 नये परिवारों को और 10,000 पुराने परिवारों को रोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी गई है।** आगामी वर्ष में 10000 परिवारों को **आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।** श्रीमन्, अनुसूचित जाति के सदस्यों को **20,000 दुकानें बनाकर आवंटित की** गई है । उन्हें हमने 5 हजार एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया है । लघु **एवं सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान** वर्ष में 5,430 बोरिंग की गई है, यही हमारी सरकार का लक्ष्य था और हमने इसको पूरा किया । आगामी वर्ष में 6 हजार बोरिंग करने का प्रस्ताव है । श्रीमन्, इसी श्रृंखला में 87-88 के दौरान सहकारी संस्थाओं द्वारा 60 करोड़ रु0 का अल्पकालीन ऋण, 10 करोड़ का मध्य कालीन ऋण और 15 करोड़ का दीर्घ कालीन ऋण वितरित किया गया है । **श्रीमन्, इसी के साथ साथ व्यापारिक बैंकों द्वारा 150 करोड़ रुपये की धनराशि** ऋण के रूप में वितरित की गई है ।

श्रीमन्, हमारे संविधान में धर्म के नाम पर भेद भाव को समाप्त करने का स्पष्ट निर्देश है ।

मान्यवर, यही नहीं हमारे संविधान में **धर्म के आधार पर भेद-भाव समाप्त कर ने** हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं । आज की दुनिया में पड़ोसी के जलते घर से हाथ सेंकने वालों की कमी नहीं है । आज भी हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे तत्व **विराजमान हैं, जो हमारी साम्प्रदायिक** सद्भावना को नष्ट करना चाहते हैं । स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अल्प-संख्यकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना **भरने के लिए एक 15-सूत्रीय** कार्यक्रम राष्ट्र को दिया था । और इस दिशा में **उत्तर प्रदेश में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। यह शासन की सजगता से ही** सम्भव हो सका है कि राज्य में शान्ति **कायम रखने व अशान्ति होने तर तत्काल** काबू पा लिया गया और यही नहीं अल्प संख्यकों की आर्थिक बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए गए । मान्यवर, यही नहीं राज्य में सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर एकीकरण समितियां व परिषदें आदि बनाई गई हैं । **राज्य स्तरीय परिषद् की अध्यक्षता** माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं कर रहे हैं ।

स्व0 इन्दिरा गांधी जी के बलिदान दिवस को राष्ट्रीय एकता के संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया । उनके जन्म दिवस पर जनता ने यह संकल्प किया कि वह कभी भी धर्म, भाषा, क्षेत्रीय या किसी भी प्रकार के विवाद पर हिंसा का आश्रय नहीं लेगी । यही नहीं श्रीमन्, साम्प्रदायिकता तनाव व हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी शासन ने कड़ा रुख अपनाया और 257 व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन नजरबन्द भी किया गया । साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पुलिस में अल्प संख्यकों की भर्ती के लिए चयन समितियों को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया गया है । अल्प **संख्यकों में सुरक्षा भावना पैदा** करने हेतु सशस्त्र पुलिस की 5 नई बटालियन बनाई गई हैं । अल्प संख्यकों की धार्मिक मान्यताओं के प्रति भी संवेदनशील हैं । इसके लिए हमने विशेष प्रशिक्षण **निगमों व अन्य संगठनों में भरती हेतु चयन समितियों में अल्प संख्यक अधि-**

कारियों को शामिल किया है। साथ ही रोजगार कार्यालयों में अल्प संख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के पंजीकरण में भेदभाव न हो यह सुनिश्चित कर लिया गया है। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए विशेष परीक्षण हेतु आगरा, गोरखपुर व इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में तथा शाहजहांपुर के फैंजे-ए-आम कालेज में ऐसे कोचिंग सेन्टर्स खोल दिए हैं, जिनमें वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सफल हो सके और कुछ हुए भी हैं और ऐसी ही कोचिंग कक्षाए हम निकट भविष्य में मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी तथा आजमगढ़ आदि में खोलने जा रहे हैं। इन कोचिंग सेन्टर्स से अब तक श्रीमन्, 500 छात्र लाभ भी उठा सके हैं व परीक्षाओं में सफल भी हुए हैं जैसा कि मैं पहले भी इस संबंध में कह चुका हूं। साथ ही श्रीमन्, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इनके समुचित विकास के लिए चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार सुलभ करने, व्यापार व व्यवसाय आदि के लिए ऋण व्यवस्था व इसके लिए सलाह मशविरा आदि के कार्यों के लिए एक वित्त विकास निगम की भी स्थापना की गयी है। और इस निगम द्वारा अब तक अल्प संख्यकों को 71 लाख रु0 ऋण बैंकों से दिलाया जा चुका है। एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत सहारनपुर में 23,758, मुरादाबाद में 14,370, बरेली में 19,347 तथा आजमगढ़ में 40,434 अल्पसंख्यक लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में उर्दू माध्यम के 2142 विद्यालय चल रहे हैं, उनमें पौने 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में 5 हजार उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति का बीड़ा उठाया और आज 5 हजार उर्दू के अध्यापक काम कर रहे हैं, जो आज से पहले कभी सम्भव नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी, जो उनके हितों की रक्षा करने में समर्थ हो सके। हमने उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए उर्दू अकादमी को 27 लाख रुपये वार्षिक का सालाना अनुदान दिया। **मौलाना आजाद मेमोरियल एकादमी को एक लाख रुपयों का सालाना अनुदान दिया** फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी को उर्दू की विशेष कृतियों के प्रकाशन के लिए 5 लाख रुपये सालाना का अनुदान दिया। अंजुमन तरक्की उर्दू को एक लाख रुपये सालाना का अनुदान दिया। हथकरघा उद्योग, जिसमें हमारे बहुत से मुसलमान भाई लगे हुए हैं, 16 लाख मुसलमान भाई लगे हुए हैं, उनका उत्पादन भी चारगुना बढ़ा है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता रही है, एक परम्परा रही है कि यहां सदियों से हर धर्म, हर जाति और भाषा के मानने वाले लोग भाई चारे की भावना से एक दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हुए एक भाई की तरह रहते आए हैं। हमें यकीन है कि आज शासन की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके द्वारा हम इस संस्कृति और विरासत को कायम रखने में सक्षम हो सकेंगे। मान्यवर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित किये जाने हेतु सातवीं योजना में परिव्यय 13.2 प्रतिशत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है। पांच मिनट में बात समाप्त करें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सारे मुद्दों पर बोलना है, 10 मिनट का समय और दे दें। श्रीमन्, हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय का 13.2 प्रतिशत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया है। इसके लिए वर्तमान वर्ष में 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और आगामी वर्ष में 387 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य रखा है। हमने **चालू वर्ष में 3437 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा 496 लाख पौधों को वितरण हेतु उगाया है। आगामी वर्ष में 66 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है।**

मान्यवर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2500 लाख रुपये का प्राविधान हमने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए किया है। पूर्ववर्ती वर्ष में 1800 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था, जबकि आगामी वर्ष में 300 लाख रुपया अतिरिक्त व्यय किया जायगा। ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो सके। इस वर्ष में 3660 ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। मान्यवर, हमने चालू वर्ष में 6 से 11 वर्ष की आयु के 126.56 लाख बच्चों तथा 11 से 14 वर्ष आयु के 40.92 लाख बच्चों में प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार का लक्ष्य रखा है। आगामी वर्ष में उपरोक्तानुसार आयु वर्ग के क्रमशः 133.37 लाख तथा 41.20 लाख बच्चों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में हमने वर्तमान वर्ष में 336 लाख रु0 के अनुमोदित व्यय के विपरीत, 374.81 लाख रु0 का व्यय इस वर्ष में किया है। 7वीं योजना के प्रथम दो वर्ष में 1877 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 19,173 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 128 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी। श्रीमन्, इस पर करीब हमने 57.95 करोड़ रुपये व्यय किये हैं, आगामी वर्ष इस क्षेत्र में 32.30 करोड़ रु0 का प्राविधान रखा गया है।

मान्यवर, पिछले वर्षों में हमने कृषि एवं संबर्गीय क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं 1984–85 में चावल एवं गेहूं की उत्पादकता बढ़कर क्रमशः 12.92 कुन्तल तथा 13.14 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गयी। जबकि 1979-80 में यह क्रमशः 5.06 और 13.14 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी। 1985-86 में 313.38 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हमने प्राप्त किया। आगामी वर्ष में 367.50 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य हमने रखा है। सिंचन के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। बीज में, खाद में किसानों को जो सहायता दी गयी है, उसके द्वारा ही हम लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो सके हैं।

मान्यवर, तिलहन व दलहन के उत्पादन वृद्धि में विशेष प्रयास किये गये हैं। 1.15 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को उच्च उत्पादकता के बीजों से आच्छादित किया जा रहा है। मान्यवर, हमने चार मण्डलों में ट्रेनिंग और विजिट व्यवस्था का प्रोग्राम चालू किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की शोध सूचनाओं को खेतों तक ले जाना और खेतों की सूचना उन संस्थानों को पहुंचाना है।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना भी चालू की है। मान्यवर, हमने

गन्ने की खेती में भी काफी प्रगति की है। हमने उत्पादकता बढ़ाकर, 49.50 टन प्रति हैक्टेयर की उपज का लक्ष्य प्राप्त किया है। आगामी वर्ष में 57.50 टन प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य हमने सामने रखा है। चीनी उत्पादन इस वर्ष 18.5 लाख टन होने की आशा है, जो गत वर्ष से 2 लाख टन ज्यादा है। मान्यवर, राज्य सरकार गन्ना कृषकों के हितों के प्रति विशेष रूप से सचेष्ट है। चालू गन्ना सत्र में किसानों द्वारा गन्ना आपूर्ति के विपरीत त्वरित भुगतान करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। श्रीमन्, हमने सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है। सहकारिता के माध्यम से जहां गत वर्ष 234.45 करोड़ रु0 के अल्पकालीन ऋण वितरित किये थे, इस वर्ष 243.60 करोड़ रु0 वितरित किये गये। मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के रूप में गत वर्ष क्रमशः 30.98 तथा 70 करोड़ रु0 दिये थे। वहीं इस वर्ष यह धनराशि क्रमशः 25.12 करोड़ रु0 तथा 75 करोड़ रु0 दी गयी है। आगामी वर्ष में अल्पकालीन ऋण 400 करोड़ रु0, मध्यकालीन ऋण 55 करोड़ रु0 और दीर्घकालीन ऋण 90 करोड़ रु0 देने का लक्ष्य हमने रखा है। सिंचाई के क्षेत्र में मान्यवर, जो हमने उपलब्धियां अर्जित की हैं उनके बारे में मैं यहां विस्तार से उल्लेख करना चाहता था, लेकिन समय कम है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस अवसर पर अपने एवं प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को, जिनके प्रयासों से, टेहरी बांध परियोजना, जो पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी थी, सोवियत नेता श्री मिखाइल गोर्बाचोव जो योजना के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है और हम आशा करते हैं कि पिछले दिनों भारतवर्ष में पधारे थे उनके सहयोग से हमारे प्रदेश की इस बृहद निकट भविष्य में जब यह योजना तैयार हो जायेगी तो इससे न केवल हमको बिजली मिलेगी अपितु कई दूरगामी लाभ हमें मिलेंगे। समस्त राजकीय सिंचाई साधनों से 104 लाख हैक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता का सृजन किया गया, निजी साधनों से 6.80 लाख हैक्टेयर सिंचन क्षमता उपलब्ध है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से सिंचन क्षेत्र अब बढ़ कर लगभग 59 प्रतिशत हो गया है तथा सिंचन की प्रगाढ़ता अनुमानित 123 प्रतिशत है।

मान्यवर, ऊर्जा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा के बिना न कृषि और न उद्योग का विकास सम्भव है इसलिये हमने ऊर्जा को शीर्षस्थ प्राथमिकता प्रदान की है। सातवीं योजना काल के प्रारम्भ में कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता 4136 मेगावाट थी, जिसमें से 1422 मेगावाट जल विद्युत तथा 2714 मेगावाट ताप विद्युत है। 1985-87, इन दो वर्षों में हमने 420 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि की है और 1987-88 में हम 850 मेगावाट वृद्धि की आशा करते हैं। 1985-87, इन दो वर्षों में 1240 करोड़ रुपए हमने व्यय किए और 1987-88 में 801.18 करोड़ रु0 व्यय किये जाने की सम्भावना है। ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। गत वर्ष हमने चोरी पकड़ने के लिए व अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक सक्रिय अभियान छेड़ा। इसी अभियान के तहत गत वर्ष 3382 विद्युत चोरी के मामले पकड़े और 2465 दोषी लोगों को गिरफ्तार किया।

श्रीमन्, हमारे प्रधान मंत्री जी ने नारा दिया था कि 2000 तक सबको स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी। उसी के अनुरूप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए बृहद स्तर पर बहुत सी योजनायें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 19153 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1872 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 102 सामूहिक केन्द्रों की स्थापना की गई और 7वीं योजना के दौरान 559 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1591 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 132 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का हमारा लक्ष्य है।

विशिष्ट सेवाओं का विस्तार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में हमने हृदय शल्य चिकित्सा व गुर्दा रोपण की सुविधायें उपलब्ध कराई हैं। 34 अस्पतालों में इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना की गई है। तपेदिक, मलेरिया, फाइलेरिया, कुष्ठ, अन्धेपन और अन्य रोगों के नियंत्रण व उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान कार्यों में गुणात्मक सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश ने एक और तोहफा इस प्रदेश को दिया है और वह है संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। जब यह बन जायेगा तो पूरे एशिया में इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। इस संस्थान में 21 क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने का प्राविधान है। जिसमें जापान द्वारा 34 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी। परिवार कल्याण के कार्यक्रम को हमने उच्च प्राथमिकता दी है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। गत वर्ष हमारी इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि रही है, जिसके कारण हमें इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। चालू वर्ष में 6.5 लाख नसबन्दी और 7.5 लाख गर्भ निरोधक उपायों के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी उद्देश्य के लिए हमने ग्रीन कार्ड व अन्य सुविधायें भी प्रदान की हैं।

श्रीमन्, कानून-व्यवस्था के बारे में भी मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। हमने इस क्षेत्र में जो कार्य किया है, श्रीमन्, छुटपुट उत्तेजनाओं के बावजूद राज्य की बेहतर और शान्तिपूर्ण कानून व्यवस्था से विकास कार्यकलापों को निरन्तर बल मिला है। कुछ लोगों ने शान्ति व कानून व्यवस्था भंग किये जाने का प्रयास तो बहुत किया लेकिन शासन ने त्वरित रूप से उस पर कार्यवाही की और ऐसे तत्व कामयाब नहीं हो पाये।

अपराध की घटनाओं में कमी आयी है। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष डकैतियों में 10 प्रतिशत, लूट में 7.68 प्रतिशत, दंगे में 2.19 प्रतिशत, नकबजनी में 5.76 प्रतिशत की कमी आयी है।

उ0 प्र0 गिरोह बन्द तथा समाज विरोधी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम के अन्तर्गत 1618 विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं। थाना और क्षेत्राधिकारियों को जीप उपलब्ध करायी गयी हैं। पुलिस थानों, चौकियों, कार्यालयों व वाहनों के बीच सम्पर्क स्थापित करने हेतु संचार व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है। पी0 ए0 सी0 की दो अतिरिक्त बटालियन गठित की गयी हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में 200 जीपों में वायरलेस सेट उपलब्ध

कराये गये हैं । उप पुलिस अधीक्षकों के 156 अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं। 28 नये थाने स्थापित किये गये हैं। डाकूग्रस्त क्षेत्रों में 48 थाने खोले गये । कांस्टेबिल के प्रशिक्षण हेतु गोरखपुर में एक केन्द्र खोला गया है। पांच हजार महिला कांस्टेबिलों की भर्ती हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

दुर्बल वर्ग पर अत्याचारों को रोकने के लिए एक पुलिस महानिरीक्षक के अधीन एक स्पेशल सेल की स्थापना की गयी है। श्रीमन्, यह तो बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने शासन की उपलब्धियां रखी हैं। यदि आप मुझे थोड़ा और अवसर देते तो विस्तार से मैं अन्य उपलब्धियों के बारे में यहां पर बतलाता। वैसे इस प्रदेश की जनता शासन की उपलब्धियों से अच्छी तरह परिचित है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में शासन और तेज गति से कार्य करे । गत वर्ष हमारे प्रदेश ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में और मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के बल पर और हमारे विधायकगण चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के, सबसे उन्हें रचनात्मक सुझाव प्राप्त होंगे जिससे कि हम लोग अपने प्रदेश को 21वीं शताब्दी की ओर तेजी से ले जा सकेंगे । हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का यही स्वप्न है और हमारे मुख्य मंत्री जी इस ओर प्रदेश को आगे ले जाने में प्रयत्नशील हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, अभी डाक्टर साहेब ने जो प्रस्ताव रखा कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 2 मार्च, 1987 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, बहुत विस्तार से हमारे बड़े भाई कौशल साहब इस पर प्रकाश डाल चुके हैं कि हमारे शासन की क्या उपलब्धियां हैं । यह तो विशेष बात है कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमने शासनतंत्र में 'वर्क कलचर' और रेजल्ट ओरियेन्टेड अंदाज में काम शुरू किया है। इससे इस प्रदेश में 'ला एण्ड आर्डर' सुनिश्चित हुआ है इसमें कोई शक नहीं है और यह प्रशंसनीय है।

मान्यवर, हमने गरीबी की सतह से ऊपर उठाने के लिये लगातार प्रयत्न किया है और पांचवीं, छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं कि गरीबी की सतह से लोग ऊपर उठ रहे हैं जो कि किसी भी जम्हूरियत के लिये, प्रजातांत्रिक देश के लिये बहुत जरूरी है। हरिजन और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये विस्तार से कार्यक्रम बनाये गये हैं जिससे दिनों दिन बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं । उनके रहने के लिये मकान, शिक्षा की व्यवस्था, हर स्तर पर उनको ऊपर उठाने की बात की गयी है और 1985-86 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। इस वर्ष भी 'सीलिंग की भूमि के आवंटन में', 'आवास व्यवस्था' में, 'वृक्षारोपण कार्यक्रम' में लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हो चुकी है। मान्यवर, यदि हम देखें बहुत से विभागों में इस प्रदेश का जो लक्ष्य था, उसमें यह आगे हो चुका है और हमें यकीन और विश्वास है कि हम अपने प्रधान मंत्री और अपने मुख्य

मंत्री के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम हैं, उसको पूरा कर लेंगे । वर्ष 1985-86 की तरह इस बार भी हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे । अभी हमारे विरोध पक्ष के कुछ लोगों ने बात कही कि कर्मचारियों ने सरकार का विरोध किया है, वह सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक अवसर आया था कि कुछ हड़ताल का सिलसिला चल रहा था, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको बड़ी धैर्यता से सम्भाला और कर्मचारियों को 15 प्रतिशत की अन्तरिम सहायता देकर एक ऐसा हल निकाला जिसके कारण इस सरकार को काम चलाने और काम करने में आसानी हुई और अपने दिये हुए आश्वासनों को पूरा किया है। वर्ष 1985-86 में हमारी सरकार ने 313.38 लाख मी0 टन खाद्यान्नों का उत्पादन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है । यह उन लोगों के लिये एक जबाब है, जो कहते हैं कि किसानों की तरक्की के लिये और अनाज की पैदावार की तरक्की में, यह सरकार कुछ नहीं करता है ।

मैं इस सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि जो उत्पादन का लक्ष्य था, उसमें केवल 3 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और अपने लक्ष्य से आगे भी चले गये हैं । ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1986 तक 62 हजार परिवारों को सुविधा दी जा चुकी है । मान्यवर, गन्ना विकास के बारे में, कौशल साहेब बता ही चुके हैं, इसलिये मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । केवल यह कहना है कि किसानों का बकाया भुगतान 99 प्रतिशत दिया जा चुका है ।

मान्यवर, एक बात जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है, उसके बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश में जो हालात हैं, जिनसे हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है, ऐसी दशा में राज्यपाल महोदय ने जो गुजारिश की है और बहुत सही गुजारिश की है कि हम सभी लोगों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर जन-जन के मन में जागृति पैदा करना चाहिये और सभी लोगों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर देश की एकता को कायम रखना चाहिये ।

हमारी सरकार ने इस सिलसिले में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किये हैं। राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रखना और जनता की हिफाजत करना, सरकारी सम्पत्ति की हिफाजत करना जो इस सरकार का खास फर्ज था, उसमें हमारी सरकार ने बड़ी तत्परता से काम किया है, जो प्रशंसनीय है। हमारी सरकार ने इस सिलसिले में सभी त्योहारों के मौकों पर अच्छा इन्तजाम किया है, इस कारण सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये गये हैं और किसी किस्म के दंगे या फसाद का मौका नहीं आया। हम यह देखते हैं कि देश या प्रदेश में धर्म के नाम पर कुछ ऐसे मुद्दे उठाये जाते हैं, जिनकी ओर सभी को सोचना चाहिये और अपने को तैयार रहना चाहिये, चाहे वह विरोधी पक्ष के हों या इस पक्ष के हों। उस पक्ष के लोगों को विरोध के चक्कर में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिये । जो लोग इस किस्म

का माहौल इस सूबे में बनाना चाहते हैं, जिससे किसी किस्म की शांति में, किसी किस्म के अमन में एक व्यवधान उत्पन्न हो । मान्यवर, मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जो 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिये बनाया है, उनके लिये हर जिले के लेबुल पर सेकुलर अफसरों को मुकर्रर किया है। अल्पसंख्यक अफसरों को वहां भेजकर हर महीने जिला मजिस्ट्रेट से एक नोट मंगवाकर वहां की सभी संवेदनशील बातों को ध्यान में रखकर एक सिलसिला चलाया है जिससे प्रदेश में अमन और कानून व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। मान्यवर, हमारी सरकार ने सबसे पहले यह एलान किया कि जो संवेदनशील इलाके हैं जहां कहीं भी फिरकावराना फसाद होते हैं वहां जो जिम्मेदार अफसर ऐसा पाया जायेगा जिसका उससे ताल्लुक हो, उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही होगी और सख्त से सख्त कदम उसके खिलाफ उठाये जायेंगे । यह बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण बात है।

मान्यवर, यू0 पी0 में जो माइनोरिटीज फाइनेन्शियल कारपोरेशन बनाया गया है उसके माध्यम से कुछ खास काम किये गये हैं । जो यहां पर समय-समय पर आवाजें उठायी जाती हैं, दौर लाये जाते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है उन लोगों ने अपने समय में कभी यह नहीं किया था कि इस प्रदेश के अल्प संख्यकों को नौकरी के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किये जायं । मान्यवर, अक्टूबर से दिसम्बर तक इसके अन्तर्गत ऐसे 2421 लोगों को जगह-जगह पर रोजगार मुहैय्या किया गया है।

मान्यवर, एक विशेष बात और यह बताना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन के माध्यम से पहली दफा पुलिस में, फौज में और दूसरी जगहों पर भर्ती करने के लिए लोगों के लिए एक ट्रेनिंग कैम्प चलाया गया और जितने अल्प संख्यक भाइयों को प्रशिक्षण दिया गया उनमें 50 में से 49 और 80 में से 78 लोग मिलीटरी और पुलिस सेवाओं में चुन लिये गये । मान्यवर, इस मौके पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, चाहे इधर के हों या उधर के लोग हों, जब तक रचनात्मक कार्य नहीं किए जायेंगे, जो लोग मंदिर, मस्जिद और मजहब की आड़ में नारा देते हैं और देश के रहनुमा बनकर सामने आते हैं, जब तक वे रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे तब तक यहां की समस्यायें हल होने वाली नहीं हैं, देश की तरक्की नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, इस सदन के संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूं । जितने भी आन्दोलन चलाए जाते हैं, आप देखिए, उनमें उस तबके के अल्प संख्यकों के दुख और आर्थिक उन्नति के लिए कोई बात नहीं कही जाती है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । फिरकावाराना फसाद मान्यवर, दरअसल सबको बुरे लगते हैं और उसकी रोकथाम के लिए, जैसा मैंने पाया, हमारी सरकार बहुत कुछ काम कर रही है। हम सब लोगों को चाहे किसी भी पार्टी से वे ताल्लुक रखते हों, इसमें काम करना चाहिए । इस प्रदेश की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर साम्प्रदायिकता के खिलाफ एक

मोहब्बत की शमा जलानी होगी और इसकी लौ बढ़ानी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

फिरकापरियत के खिलाफ मिल कर लड़ना होगा। इस समय हम और हमारी सरकार इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हम लोग महसूस करते हैं कि उजाले में बैठकर उनको आगे ले जा रहे हैं उनको उजाला दिखा रहे हैं लेकिन दूसरे वह विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं उनके लिए कल भी रात थी और आज भी रात है और आगे भी रात रहेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित और जोड़ दिया जाय–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति इस कदर बिगड़ गयी है कि कानून की रक्षक पुलिस संपूर्ण प्रदेश में सामूहिक नरसंहार कर रही है और प्रदेश में लाखों बेगुनाह नागरिक पुलिस दरिंदगी का बिला वजह शिकार हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सत्यपाल सिंह–

[2–प्रदेश में बिजली के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि करके बिजली को मंहगा तो बना दिया गया लेकिन जन विरोधी कटौती और परिषद् द्वारा घोषित बिजली की आपूर्ति न हो पाने से प्रदेश का जन जीवन एवं आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया ।

3–प्रदेश में होने वाले उप चुनाव में बड़े पैमाने पर सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग कर चुनाव की निष्पक्षता को समाप्त किया जा रहा है और विरोधी दलों के उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों को पुलिस उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है ।

4–बार-बार घोषणा करने के बाद भी जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये गये ।

5–सरकार छात्रों की दुश्मन हो गयी है उनकी शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण करने के बजाये सरकार ने बनारस यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महामंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह सहित प्रदेश के हजारों छात्रों को अमानवीय यातना देकर छात्र दमन करने का शर्मनाक काम किया है ।

6–सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में असफल रही है ।

7–यह सरकार प्रदेश में समान शिक्षा नीति को लागू नहीं कर सकी है ।

8–कृषि उत्पादों का उचित मूल्य यह सरकार किसानों को नहीं दिला सकी है।

9–यह सरकार प्रदेश में व्याप्त गरीबी को दूर करने तथा जन साधारण के स्तर को ऊपर उठाने में अक्षम रही है ।

10–खाद्य पदार्थों की त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था को यह सरकार सुधारने में अक्षम रही है ।

11–यह सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों का समुचित विकास नहीं कर सकी है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

12—सरकार की गलत नीतियों के कारण सभी सरकारी अस्पताल प्राइवेट नर्सिंग होम के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

13—प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को यह सरकार रोक पाने में असमर्थ रही है ।

14—बढ़ती हुई अप्रत्याशित मंहगाई को यह सरकार रोक पाने में असमर्थ रही है ।

15—गन्ना किसानों के उत्पीड़न को यह सरकार रोक पाने में असमर्थ रही है ।

16—खेतिहर मजदूरों को उचित पारिश्रमिक दिला पाने में यह सरकार असमर्थ रही है ।

17—अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है एवं मण्डल आयोग की रिपोर्ट को यह सरकार लागू नहीं कर सकी है ।]

मान्यवर, राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो माननीय राज्यपाल महोदय ने संबोधन किया है उस पर जो मैंने संशोधन पेश किये हैं उनके विषय में मैं विस्तार में जाने से पूर्व आपका ध्यान इस अभिभाषण की पुस्तिका की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें सबसे पहले लिखा है "माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1987 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ।आपको सम्बोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है । इस वर्ष हमारे प्रदेश के दो कर्मठ नेता और विधान सभा सदस्य प्रोफेसर वासुदेव सिंह एवं श्री जय राम वर्मा का निधन हो गया ।

मुझे इस संबंध में यह कहना है कि इसमें जिस भाषा और शैली का प्रयोग किया गया है उससे ऐसा परिलक्षित होता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रदेश के दो कर्मठ नेता प्रोफेसर वासुदेव सिंह और माननीय जयराम वर्मा का निधन हो गया है । काश इसमें यह जुड़ा होता कि मुझे संबोधन करते हुये प्रसन्नता हो रही है परन्तु अत्यन्त दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश के दो कर्मठ नेता नहीं रहे । हमारा अनुरोध है कि इस अभिभाषण में कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये और सरकार के जिन लोगों ने इस पुस्तिका को छापा है इस बात को विशेषकर ध्यान में रखना चाहिये ।

मान्यवर, हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यपाल महोदय का यह अधिकार और यह कर्तव्य है कि वह अपने सहयोग के लिये मंत्रिमंडल का गठन करें । अनुच्छेद 163 में मुख्य मंत्री और अनुच्छेद 164 में मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गयी है । मुख्य मंत्री के गठन में वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने 24 सितम्बर, 1985 को कार्यभार संभाला और उसके बाद दो बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया पहली बार 9 कैबिनेट स्तर के सदस्य बनाये और दूसरी बार 3 कैबिनेट स्तर के सदस्य, इस प्रकार 12 कैबिनेट, 21 स्टेट मिनिस्टर्स और एक डिप्टी मिनिस्टर, इस प्रकार 34 सदस्य मंत्रि मंडल में हैं । मान्यवर आज मुख्य मंत्री जी के पास 60 विभाग हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—
60 नहीं 34 विभाग हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

34 नहीं 60 विभाग हैं। मान्यवर, बहुगुणा जी जब यहां मुख्य मंत्री थे तो वह समय था जबकि एक मुख्य मंत्री के पास इतने अधिक विभाग हों । मान्यवर, आज श्री वीर बहादुर सिंह सक्षम नहीं हैं । वह अपने मंत्रि मंडल में विश्वास करें और इतना करें कि उनके ऊपर बोझा न रहे ताकि कैबिनेट में चर्चा हो तो आपके मंत्री उसको अच्छी तरह से पेश कर सकें। कैबिनेट स्तर के जितने निर्णय होते हैं कैबिनेट मंत्री ही वहां प्रवेश करते हैं और निर्णय लेते हैं । लेकिन यह सारे के सारे 60 विभाग अपने जिम्मे लिये हैं जिससे उनमें न्याय नहीं हो पा रहा है चूंकि आपके पास भारी बोझा है । इसलिए या तो यह समझें कि आप विकेन्द्रीकरण की नीति के खिलाफ हैं या दल के अन्दर गुटबाजी है जिसके तहत इस मंत्रिमंडल का विश्वास उस हद तक नहीं करते हैं जितना करना चाहिये । मान्यवर, आज तक इतने कम मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं रहे जितने कि कम आज मंत्री मौजूद हैं ।

जहां तक आप हमारे विषय में कह रहे हैं यह सही है कि आज हमारे कुछ विवादों के ऊपर आपको खुशी हो रही होगी । लेकिन कहना है कि–हमारी बरबादियों पर मुस्कराते हो चमन वालों, चमन में आ गयी गर खिजा तो क्या होगा।

इस पर विचार कर लें। हमारे ऊपर हंस रहे हो लेकिन इस पर भी विचार कर लें कि आगे क्या स्थिति होगी।

मान्यवर, दूसरी बात इस समय जो सामान्य परिस्थितियां हमारे प्रदेश में चल रही हैं, उसमें आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना और बजट पेश न किया जाना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रदेश में कोई भी ऐसी स्थिति होती जैसे चुनाव होकर लौटे होते, विधान सभा देर से गठित होती या प्रदेश में कुछ संकट होता, आन्तरिक संकट होता या दैवी आपदा होती, लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति प्रदेश में आज नहीं है जिसके तहत मुख्य मंत्री जी न्यायपूर्वक कह सकते कि आज वह बजट नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसका यह तर्क है।

मान्यवर, इस समय आप एक ही बात कह सकते थे कि आपके जो वित्त सचिव थे उनका निधन हो गया था लेकिन उनका निधन 29 दिसम्बर, 1986 को हुआ । तो तबसे दो महीने हो रहे हैं । ऐसी भी उम्मीद नहीं की जाती कि वित्त सचिव ने सारी तैयारी कर ली हो और बजट के लिये आकस्मिक निधन हो गया, इसलिये बजट पेश नहीं कर पाये । मान्यवर, उनकी मृत्यु पर हम सभी को खेद है लेकिन मैं समझता हूं कि आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसके अंतर्गत आपने इस बजट को पेश करने में देर की । लेकिन इसमें मैं यह जरूर कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने अपनी कुर्सी को पक्का किया है। एक महीने या दो महीने पहले चर्चा चल रही थी कि मुख्य मंत्री अपने पद से हटाये जाने वाले हैं।

मैं समझता हूं कि इस वक्त पार्लियामेन्ट चल रही है और जब पार्लियामेंट चल रही है तो इन दिनों कोई परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अन्दर करना केन्द्र सरकार मुनासिब नहीं समझेगी। केन्द्र से परिवर्तन नहीं होगा और जब परिवर्तन नहीं होगा तो आपने जो 4 महीने के लिये लेखानुदान मांगा है उसके माध्यम से आप अपना समय व्यतीत करेंगे । उसके बाद आप बजट सेशन ले आयेंगे और जब बजट सेशन

ले आयेंगे तो मुख्य मंत्री को हटाने का कोई प्रश्न नहीं होगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

उसके बाद 6 महीने चलायेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

इसलिये आपने बजट पेश नहीं किया। क्या आपने बजट पेश न करने के दूसरे पहलू पर विचार किया है ? मेरे ख्याल से नहीं किया है। जुलाई में बजट पूरा होगा और उसके बाद पैसा रिलीज होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने की आप कोशिश करेंगे। जुलाई में वर्षा हो रही होगी । सारे हिन्दुस्तान में वर्षा हो रही होगी और उस वर्षा के दौरान मैं समझता हूं कि फिर अक्तूबर तक कोई काम प्रगति का हमारे प्रदेश के अन्दर नहीं हो सकता है। इसलिये 1987-88 का बजट आप जिस भावना से लाना चाहते हैं, वह पूरी नहीं होगी । यह हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। मैं समझता हूं आप बाकी 5 महीनों में इस प्रदेश का विकास नहीं कर पायेंगे। आपके साथी जो माननीय सदस्य बोलते हैं उनकी भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल राम राज्य कायम हो गया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आपका उद्देश्य था, जो टारगेट थे वह सारे के सारे आपने प्राप्त कर लिये हैं। ऐसा आपके भाषणों से और आपके दल के माननीय सदस्यों के भाषणों से प्रतीत होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो भावनायें हैं, आपका जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पायेगा चूंकि आप इतना लेट अपने बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं, बजट को इस समय प्रस्तुत करना चाहिये। यह प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि आप इस बजट को सही समय पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं।

मुझे याद है कि जब माननीय राम नरेश यादव जी का मंत्रि मंडल बना था, 1977 में तो उस समय कटौती का प्रस्ताव इधर से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने पेश किया था। राम नरेश यादव जी को केवल एक महीना लग गया था विभागों को बांटने में और मंत्रि मंडल के समस्त सदस्यों को पूरा करने में। उस समय तिवारी जी ने बड़ा खेद व्यक्त किया था और इसे सरकार की असफलता बताया था कि एक महीना हो गया है और राम नरेश यादव जी मंत्रि मंडल के सदस्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और विभागों का वितरण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी को डेढ़ साल होने जा रहा है फिर भी सारे के सारे विभागों पर वह कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और किसी दूसरे की हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं और विकेन्द्रीकरण की नीति की खिलाफत करते, अकेले इतने विभाग अपने पास रखे हैं।

मान्यवर, मैं अब विधान सभा की बैठकों के बारे में, जिनके विषय में आज सुबह चर्चा उठायी गयी, कहना चाहता हूं। इस संबंध में बहस हर सत्र में किसी न किसी रूप में उठायी जाती रही है कि बैठकें कम होती हैं और बैठकें 90 दिन होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट का सत्र काफी लम्बे समय तक चलता है। विधान सभा का सत्र बहुत कम समय तक चलता है, इस परम्परा में आप भी अग्रणी हैं । सदन चलाने की जो परम्परा है मैं समझता हूं कि आपको भी उसका उल्लंघन करने में कोई संकोच नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पहली विधान सभा 92 दिन चली, दूसरी विधान सभा 84 दिन चली, तीसरी विधान सभा 80 दिन चली और चौथी विधान सभा 43 दिन चली, पांचवीं

विधान सभा 52 दिन चली, छठी विधान सभा 51 दिन चली और 7वीं विधान सभा 57 दिन चली तथा आठवीं विधान सभा 47 दिन चली। जब विधान सभा 57 दिन चली तो उस समय हमारे प्रदेश के अंदर जनता पार्टी और लोकदल की सरकार थी। जहां तक आपके कार्यकाल का प्रश्न है और आपसे पहले के कार्यकाल का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 83 के अन्दर मात्र 40 दिन सदन को आपने चलाया है। सन् 1984 के अन्दर 43 दिन, 1985 में 41 दिन, 1986 में 46 दिन चलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं, उनकी भावनाएं प्रदर्शित होती है। अगर सदन नहीं चलेगा, तो यह बात सामने नहीं आ सकेगी कि आपकी पुलिस जनता के ऊपर कितना जुल्म ढा रही है, वह उजागर नहीं हो सकेगा। इसलिए इस परम्परा को कायम रखने के लिए वर्तमान मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि जो प्राविधान है कि 90 दिन का सदन चले, उसकी घोषणा करें। यह जो 41 दिन, 44 दिन और 45 दिन तक सदन चलाये जाते हैं, इस पर आपको अफसोस करना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं यह समझूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं को सदन में उजागर नहीं होने देना चाहते हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैंने यह पहले भी कहा है कि मेरा यह प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा दिन विधान सभा की बैठक हो और आने वाला जो हमारा बजट सत्र होगा, उसे मैं ज्यादा दिन तक चलाऊंगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

देखिये अगले बजट सत्र तक माननीय मुख्य मंत्री जी तब तक इस कुर्सी पर बिराजमान रहेंगे या नहीं। मान्यवर, हमारे केन्द्र के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने कहा था भारत के युवा प्रधान मंत्री के संबंध में कि मैंने बहैसियत एक पदाधिकारी सेवा की हो या न की हो, लेकिन मैंने तीन तरह का काम तो अवश्य किया है। पहला काम भारत के प्रधान मंत्री को मैंने महा सचिव बनाया। दूसरा काम भारत के प्रधान मंत्री को भारत का प्रधान मंत्री बनाया। तीसरा काम प्रधान मंत्री को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको एतराज करने का मौका न मिले, उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं। प्रदेश की तरक्की के नाम पर माननीय मुख्य मंत्री जी का जब इतिहास लिखा जायगा, तो उसमें यह चीज अवश्य लिखी जायगी, जिसे इन्होंने प्रदेश के लिए किया है। जहां तक प्रदेश के विकास के जो आंकड़े हैं, उसके बारे में आपको मालूम है कि वे आंकड़े कहां तक सही हैं? इसलिए मैं उन आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो कुछ आपने काम किया अपने कार्यकाल में, आपके उस कार्य काल को याद किया जायेगा कि प्रदेश की हालत कितनी बिगड़ी है। आप इससे सहमत नहीं होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह महसूस कर रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। आज आपकी पुलिस कितना जुल्म ढा रही है। आपके शासन काल में सारे प्रदेश के अन्दर आज नरसंहार हो रहा है। कितना नरसंहार आपके शासन काल में आपकी पुलिस ने किया है? इस पुलिस का धर्म है कि जनता की सेवा करे। लेकिन ब्रिटिश काल में जो पुलिस का मकसद था, वह यह था कि अंग्रेजी राज्य के खिलाफ बगा-

वत करने वालों को कैसे कुचला जाय। आपकी पुलिस आज वही रवैया अख्तियार कर रही है। पुलिस का धर्म है कि वह जनता की सेवा करे। उन गरीब देहात के रहने वाले लोगों के प्रति हमदर्दी रखें। ऐसा आप नहीं कर पाये हैं, उसके लिए आप ही दोषी नहीं है बल्कि आपका पूरा शासन सन् 47 से लेकर आज तक, दोषी है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जस्टिस मुल्ला ने कहा था कि पुलिस के लोग आज वर्दीधारी गिरोहबन्द बदमाश के रूप में दिखाई देते हैं। अभी रंगनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें देखें, हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर ही, दिल्ली के अन्दर ही उस रंगनाथन रिपोर्ट में यह साबित कर दिया गया है कि इसमें पुलिस दोषी है। पुलिस ने सक्रियता, निष्पक्षता से काम नहीं किया अगर वह सक्रियता, निष्पक्षता से काम करती होती तो कोई कारण नहीं था कि इतनी बड़ी हिंसा की वारदात हो जाती। लेकिन इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि जो पुलिस का रवैया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, पुलिस से जनता को कहीं भी राहत नहीं मिल पाई है और पुलिस जनता का संहार ही कर रही है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर, जिला हरदोई के थाना मल्लावां के गांव लकड़हारा में 27 जनवरी की रात की बात है जब कि 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ के अन्दर बोल रहे थे और पुलिस की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हमें पुलिस पर बहुत बड़ा गर्व है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जिन्होंने बहुत बड़े डाकुओं का संहार किया है, जिन्होंने बहुत बड़ी जनता की सुरक्षा की है। जिस समय आप तारीफ कर रहे थे उस समय आपकी पुलिस भयंकर अपराध कर रही थी। जिला हरदोई के अन्दर कितनी बड़ी गलती थी उनकी, इस बात का आपने विचार किया। लकड़हारा गांव पिछड़े वर्ग के लोगों का गांव है और जिसकी आबादी 400 के करीब है। उस गांव में चन्द लोग, कहा जाता है कि जुआ खेल रहे थे उस वक्त पुलिस के सिपाही और दारोगा वहां आते हैं और उनको ललकारते हैं, उसके बाद घेरते हैं और घेरने के बाद वह लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं चन्द लोग भागकर पिटते हुए अपने घरों में गये और 8 लोग उस तालाब में कूद पड़े जो वहीं पड़ोस में था। लेकिन हत्यारे पुलिस वालों को रहम नहीं आया। वह कूद ही नहीं पड़े बल्कि इन पुलिस वालों ने कुछ लोगों को इतना पीटा और जब उन लोगों ने देख लिया कि वह मरणासन्न हो रहे हैं, उनकी हालत बेकाबू हो रही है और वह शायद जीवित न रह पाये तो अपनी वर्दी को बचाने के लिए, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उन पुलिस वालों ने इन जुआ खेलने वाले चन्द लोगों को उसी तालाब में डाल दिया। इस बात के प्रमाण मिले हैं। जो लोग पिटकर अपने घरों में पहुंचे हैं उन लोगों ने बताया है कि हमने पिटते हुए देखा है।

मान्यवर, जनवरी का महीना था और ठंड पड़ रही थी उस ठंड के दिनों में उन गरीब लोगों ने जब तालाब के बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया और इसकी सूचना भी नहीं दी। जब वहां का चौकीदार पहुंचा है और थानाध्यक्ष को बताया है तो वह मौके पर जाते हैं तो 7 लाशें एक दिन निकलती है और एक लाश दूसरे दिन निकलती है। 8 लोगों की हत्या की गयी है।

इस हत्या से लकड़हारा गांव व हरदोई जिला ही नहीं सारे अड़ोस-पड़ोस के जिलों में आतंक व्याप्त हो गया है। जिस पुलिस की तारीफ आप एक दिन पहले कर रहे थे, आप हमेशा उसी पुलिस की तारीफ करते है। मेरा आपसे कहना है कि आपकी पुलिस निरंकुश हो गयी है, उसे रोकिये। पुलिस अगर शिष्ट है तो उसका सदुपयोग भी हो सकता है और उपयोग भी हो सकता है। अगर यही पुलिस ददुआ गैंग के लिए तत्पर है तो इसका स्वागत होता है। मैं समझता हूं कि आज देहात का अवाम देहात का व्यक्ति पुलिस का पूरी तरह से स्वागत करने के लिए तैयार है, उसी तरह से जिस तरह से हमारे मुल्क का चायना से युद्ध हो रहा था जब हमारा मुल्क पर आक्रमण हुआ था और हमारे नवजवान लड़ने के लिए जा रहे थे तो बहनों और बेटियों ने उनकी झोलियों में रोटियां और मिठाई डालीं और रोली और अक्षत से उनका टीका किया और उनसे कहा कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे कन्धों पर है। मैं समझता हूं कि यदि आज पुलिस का दरोगा और सिपाही गांवों में घूमें और रक्षा करें, तो गांव की बेटी और बहू समझे कि यह सिपाही हमारा रक्षक है, हमारा भाई है। मैं समझता हूं कि आज पुलिस वालों की जनता के साथ वही हालत है, जैसी ब्रिटिश जमाने के अन्दर हुआ करती थी। उनकी वही नीति है, उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मान्यवर, यदि उदाहरण दिये जायं तो मैं समझता हूं कि एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण होंगे जो एक साल के कार्यकाल के अन्दर पुलिस के अत्याचारों की कहानी बताने वाले काण्ड हैं। शामली काण्ड हुआ।

मैं पूछना चाहता हूं कि शामली के अन्दर निहत्थे किसानों के साथ क्या सुलूक किया गया। उनका कसूर क्या था, सिर्फ इतना कि वे अधिकारियों के पास यह जानने के लिए गये थे कि क्या बिजली के चार्जेज बढ़ा दिये गये हैं, क्या पेनाल्टी लगा दी गई है। उनके लिए बिजली पूरे समय के लिए क्यों नहीं दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों 2 तारीख को जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनता ने पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी को घेर लिया। मान्यवर, जनता निहत्थी थी और आपकी पी0 ए0 सी0 आधुनिक हथियारों से लैस थी तो क्या जनता यह हिम्मत कर सकती है कि वह पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी को घेर ले। एक सिपाही या दरोगा के साथ तो जनता के दुर्व्यवहार की बात मानी जा सकती है, लेकिन जहां तक पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी को घेरने की बात है, यह विश्वास करने की बात नहीं है। कोई इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकता है कि जनता ने पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी को घेर लिया। शामली के अन्दर अखबारों से यही प्रतीत हुआ कि 5 लोग मारे गये और उसमें एक पुलिस का अधिकारी भी मारा गया। पी0 ए0 सी0 का एक अधिकारी मारा गया।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी घटनायें हो रही हैं उन घटनाओं के लिए आपकी सरकार और आपका प्रशासन इसलिए दोषी हैं कि यदि आज पुलिस की कुछ कमियां हैं और उनकी कुछ न्यायिक मांगे हैं तो उन पर आपका प्रशासन विचार कर ले ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी घटना पर तभी विचार करते हैं जब कोई भी घटना आन्दोलन का रूप ले लेती है, हिंसा पर उतारू हो जाती है, तब तक मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंगती।

इसी तरह से शाहजहांपुर जिले के अन्दर 3-4 महीने पहले एक परिवार के 8 सदस्यों, बच्चे, औरतों और आदमियों का कत्ल कर दिया गया । उनके परिवार की कुछ रंजिश थी और उन लोगों ने दरख्वास्त लगा रखी थी कि उनको खतरा है । अगर आपके अधिकारियों ने सही माने में काम किया होता और उनकी प्रार्थना पर गौर किया होता तो पूरा का पूरा 8 व्यक्तियों का परिवार तबाह और बरबाद न हुआ होता । जब कोई घर या परिवार तबाह होता है तो केवल उस परिवार में ही नहीं, गांव में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश की जनता पर उसका असर पड़ता है । आज जिस पुलिस प्रशासन की आप बहुत बड़ी घोषणा करते हैं चुस्त और दुरुस्त नहीं है जैसी कि आप महसूस करते हैं ।

मान्यवर, इसी तरीके से गाजीपुर जिले के अन्दर गहमर गांव में कुछ लोगों ने अपनी जायज मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर 6 जनवरी, 87 को धरना दिया । आपकी पुलिस पहुंच गयी उनको हटाने । उन व्यक्तियों को आपकी पुलिस ने इतना पीटा कि लगभग दो दर्जन आदमी अस्पताल में भर्ती हुये । वे हजारों में तो थे नहीं 10, 20, 50 आदमी धरना दे रहे थे । अगर आपके प्रशासन ने दूरदर्शिता से काम लिया होता तो उन्हें घायल करने का, मार डालने का उनको मौका नहीं मिलता । **करहना कांड हुआ। मान्यवर, सी0आई0** डी0 से जांच करा रहे हैं । 11 आदमियों का पुलिस द्वारा बर्बर नर संहार किया गया । सी0आई0डी0 की जांच बैठाई गयी ।

मैं समझता हूं कि सी0 आई 0डी0 की जांच आ गयी होगी । अगर नहीं आयी तो सी0 आई0 डी0 गफलत में है, सतर्कता से काम नहीं कर रही है । इतने दिनों बाद भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी । अगर प्रस्तुत की गयी होती तो सदन के पटल पर रखना चाहिये था, रिपोर्ट की घोषणा करनी चाहिये थी । दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिये था । सारे प्रदेश की पुलिस समझती कि गल्ती करेंगे तो सजा मिलेगी। जब किसी घटना की छानबीन में अधिक दिन लग जाते हैं तो घटना क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, इस पर विचार करना बन्द हो जाता है ।

मान्यवर, एक और मिसाल देना चाहूंगा । उन्नाव जिले में थाना बांगरमऊ के अन्तर्गत हरईपुर गांव में 12/13 जनवरी को दो सिपाही गए और 28 वर्षीया विधवा बसन्ती के साथ जबरन रात भर बलात्कार किया । पुलिस ने गांव के प्रधान राधेलाल को विभिन्न दफाओं में बन्द किया। आई0 पी0 सी0 पुलिस के हाथ में है, रपट लिखना पुलिस के हाथ में है, सी0 डी0 पुलिस के हाथ में है । सभी कुछ पुलिस के हाथ में है—उसने बलात्कार किया । जब गांव के प्रधान ने आवाज उठाई जो रक्षक है भक्षक के रूप में क्या कर रहे थे—तो 60-70 आदमियों को मारापीटा । काफी लोगों को बन्द कर दिया गया । प्रधान को बन्द कर दिया । क्या कसूर था उसका—यही कि उसने आवाज उठायी कि पुलिस विधवाओं के साथ बलात्कार कर रही है ।

मान्यवर, एक और घटना बताता हूं अचलगंज थाने के वहरुद्दीन नाम व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले गयी, मारा-पीटा । उसके विषय में कोई भी जांच नहीं किया । थाने के अन्दर ले गये सारी जनता ने देखा । अगले दिन लाश को जला

दिया । लाश को वापस भी किया जा सकता था । कारणों का पता न चले, इसलिये जला दिया गया । इसी थाने के अंतर्गत 27 फरवरी, 87 को छोटेलाल तथा अन्य कई लोगों को पकड़ ले गये । 28 को मार कर जला दिया । जब वह व्यक्ति जेल में जा रहा था, जेल के अन्दर प्रवेश करते ही उसकी मृत्यु हो गयी । आपकी पुलिस ने इतनी पिटाई की। केवल उन्नाव की ही यह बात नहीं है, जनपद शाहजहांपुर में थाना कटरा के अन्दर एक हरिजन चौकीदार को पुलिस पकड़ ले गई और इतना मारा की उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराना पड़ा, वहां पुलिस ने उसकी बहुत सेवा की लेकिन वह बचा नहीं उसकी मृत्यु हो गई । केवल उन्नाव या शाहजहांपुर में नहीं अनेकानेक ऐसी घटनायें है, जिनके तहत मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि पुलिस का रवैया सीमा से बाहर होता जा रहा है । पुलिस आपके कन्ट्रोल में नहीं है । जहां तक अपराधों की बात कही गई । अभी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये जिनके द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि अपराध कम हुए है । लेकिन मेरा कहना है जनवरी, 85 से दिसम्बर तक हत्याओं की स्थिति इस प्रकार रही है—पंजाब 636, बिहार 3,164 और उत्तर प्रदेश में 5,576, सन् 86 में इसी कार्यकाल में जनवरी से नवम्बर तक पंजाब में 433, बिहार में 3,893 और उत्तर प्रदेश में 5,888 हत्यायें हुई हैं। यह हत्याओं का आंकड़ा है ।

इसी प्रकार अन्य अपराधों में डकैती, चोरी, राहजनी में भी वृद्धि हुई है । जहां तक आपका कहना है कि हमने बदमाशों के गिरोह का सफाया कराया है। मैं कहना चाहता हूं ददुआ जैसा गिरोह जो आज सक्रिय होता जा रहा है और सारा आवाम उससे परेशान है । आपने वहां पर प्रत्येक जिले से पुलिस बल लेकर महीनों-महीनों के लिये भेजा लेकिन आपकी पुलिस सफल नहीं हुई । क्योंकि पुलिस के लोग उस गिरोह से मिले हुये हैं । पुलिस का संरक्षण ऐसे गिरोहों को प्राप्त है । जो भी डकैतियां या हत्यायें हो रही हैं उसमें पुलिस का सहयोग रहता है ।

आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने मंत्रियों की सुरक्षा के लिये बुलेट प्रूफ जैकेट मंगा लिये लेकिन आपने नहीं मंगाये हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहीं मंगाये हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

चलिये आप कहते हैं, तो मान लेता हूं कि नहीं मंगाया । आपने मेटल डिडेक्टर मांगा लिये। प्रदेश का लाखों लाख रुपया आपने बर्बाद कर दिया आज वह मशीनें बेकार पड़ी है, उनका कोई उपयोग नही है । आपने बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाने का विचार किया, तो क्या आप के मन में यह बात आयी की हमारे मंत्री तो इसको पहन लेंगे लेकिन जनता कहां जायेगी । आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। खुशी की बात तो तब होती जब वीर बहादुर सिंह के जमाने में प्रदेश की जनता अपनी जिन्दगी और सम्पत्ति को सुरक्षित समझती । लेकिन आज असुरक्षा की भावना व्याप्त होती जा रही है । आज जब हम विधान सभा में आते हैं तो आपके एस0 पी0 और डी0 एम0 घूमते मिलते है और हम विधायकों पर विधान सभा के अन्दर हमला होता है ।

†छापी नहीं गयी ।

श्री हीरा सिंह विष्ट–

मुलायम सिंह ने करवाया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

किसी ने करवाया । यह विवाद कोई नया नहीं था इसके पहले भी विवाद हुये हैं आपके दल में भी इस प्रकार की बात रही है । हो सकता है भविष्य में फिर हों । आज हम विधान सभा के अन्दर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । मान्यवर, विधान सभा के अन्दर किसी महिला सदस्य की साड़ी नोची जाय और मुख्यमंत्री जी उसे कानून व्यवस्था कहें यह अफसोस की बात है । पहले से इस बात की सूचना दी गई थी कि इस प्रकार के हालात हैं आपके प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह का व्यवहार होता है तो मैं समझता कि आप कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से अच्छा हक नहीं अदा कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

(माननीय नेता विरोधी दल को संबोधित करते हुए) अब आप अपना भाषण कृपया समाप्त करें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, पूरी सुरक्षा व्यवस्था तो हम लोगों ने कर दी थी, लेकिन हमें इतना नहीं मालूम था कि आपस में ही इतनी अधिक बात बढ़ सकती है, हमारी इस सुरक्षा-व्यवस्था के कारण ही वहां पर कुछ घटना घटित न हो सकी। (जोर की हंसी)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, पूरी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी और इनकी पूरी फोर्स के मौजूद रहने के बाद भी आज मान्यवर, पूरा प्रदेश असुरक्षा की भावना से व्याप्त है और नामी -नामी डाकू जेल से भाग रहे हैं, जिन पर इनाम भी घोषित हुए लेकिन इनकी सुरक्षा व्यवस्था हर स्थान पर आज फेल है और मैं ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता अब इस बात को महसूस कर रही है कि जिस सुरक्षा-व्यवस्था की आज आप हर जगह तारीफ करते हैं, गुण गाते हैं, वह सारी सुरक्षा व्यवस्था आपकी नाकाम है और नाकामी साबित हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया अपना भाषण अगले दिन के लिए जारी रखें ।

सदन की दिनांक 5 मार्च, 1987 की बैठक को स्थगित किए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि यह सदन अपनी 5 तारीख की बैठक को स्थगित करता है और 5 तारीख के कार्य के लिये 7 तारीख को अब सदन की बैठक होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 5 मार्च, 1987 के कार्य के लिये 7 तारीख को सदन बैठे, यदि यह सभी को स्वीकार हो, तो कृपया हां कहें । उस दिन प्रश्न काल नहीं होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय स्नातक महाविद्यालय में स्थित पुस्तकालय में प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उसे आधुनिकतम पुस्तकालय सामग्री से युक्त किए जाने विषयक याचिका†

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय स्नातक

†छापी नहीं गई

महाविद्यालय में स्थित पुस्तकालय में प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उसे आधुनिकतम पुस्तकालय सामग्री से युक्त किये जाने विषयक श्री दिनेश चन्द्र पाठक निवासी ग्राम थल, पत्रालय-थल, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987

*ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसमें मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं कहना है केवल इतनी बात है कि जो कमांड एरियाज में परियोजनाएं हैं, जैसे गंडक परियोजना, राम गंगा परियोजना आदि इनके डेवलपमेंट के कार्यों के लिए जो समितियां गठित होती हैं, उनमें कलेक्टर्स सदस्य अब तक नहीं होते थे । अब इसके डबल ख की धारा 4 के ख में केवल इतना संशोधन कर दिया गया है कि जो क्षेत्र के अन्दर आने वाले जिला कलेक्टर्स हैं या और जो भी इनके स्थान पर अथारिटीज हों, वह भी इसके सदस्य होंगे, केवल इतना सा संशोधन इसमें और जोड़ा गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव मैं इसलिये कर रहा हूं कि आई0 ए0 एस0 अफसर कमांड एरिया में सब जगह हुआ करते हैं, तो कलेक्टर को समन्वयक नियुक्त करने की जो बात है, अगर उसकी जगह किसी सम्बन्धित जन प्रतिनिधि के लिए कहा गया होता तो ठीक था । सारे के सारे कलेक्टर इन समितियों में भरते चले जा रहे हैं, इसीलिये पूरे प्रदेश में आई0 ए0 एस0 लाबी हाबी होती जा रही है । इसीलिये हमारा जनतांत्रिक स्वरूप बदलता जा रहा है, इसीलिये मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 19 दिसम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51 सन् 1976 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(खख) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों के कलक्टर।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, सन् 1986

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र

विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत" मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम के सम्बन्ध में संकल्प

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)– मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत" मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम" के नियम–1 के खण्ड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची में :–

(क) क्रम संख्या–12 पर शब्द "कृषि तथा पशुपालन" के स्थान पर शब्द "कृषि" रख दिया जाय, और

(ख) क्रम संख्या–30 के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि संबंधित स्तम्भों के अन्तर्गत बढ़ा दी जाय, अर्थात :–

"31–पशुपालन ....16....4"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत" मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम" के नियम–1 के खण्ड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची में :–

(क) क्रम संख्या–12 पर शब्द "कृषि तथा पशुपालन" के स्थान पर "कृषि" रख दिया जाय, और

(ख) क्रम संख्या–30 के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि संबंधित स्तम्भों के अंतर्गत बढ़ा दी जाय, अर्थात्

"31–पशुपालन ....16....4"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत कुल चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सबको अस्वीकार किया गया। अब हम उठते हैं, 6 तारीख को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 42 मिनट पर शुक्रवार दि0 6 मार्च, 1987 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

4 मार्च, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदनाम	पटल/अनुभाग में तैनाती की तिथि
1	2	3	4
		अ--लेखानुभाग	
1	श्री जी0 के0 बाजपेई	.. लेखाकार	.. जनवरी, 1971 से
2	श्री सी0पी0 मिश्र	.. वरिष्ठ सहायक	.. जून, 1966 से
3	श्री मुक्तिनाथ सिंह	.. वरिष्ठ सहायक	.. जनवरी, 1971 से
4	श्री पी0 के0 राय	.. वरिष्ठ लिपिक	.. जून, 1970 से
5	श्री ए0 के0 गुप्ता	.. वरिष्ठ लिपिक	.. जनवरी, 1971 से
6	श्री वी0 एन0 पाण्डेय	.. वरिष्ठ सहायक	.. जनवरी, 1983 से
7	श्री आर0 एन0 सिंह	.. वरिष्ठ सहायक	.. मार्च, 1984 से
8	श्री राधा मोहन	.. वरिष्ठ लिपिक	.. जून, 1983 से
9	श्री एस0 सी0 सक्सेना	.. कनिष्ठ लिपिक	.. जुलाई, 1982 से
10	श्रीमती राममूर्ति रस्तोगी	.. कनिष्ठ लिपिक	.. वर्ष 1983 से
11	श्री सन्तोष कुमार त्रिपाठी	. कनिष्ठ लिपिक	.. जून, 1983 से
12	श्री चन्द्रमान सिंह	.. कनिष्ठ लिपिक	.. अप्रैल, 1983 से
13	श्री आर0 एन0 वर्मा	.. वरिष्ठ सहायक	सितम्बर, 1984 से
		ब--अधिष्ठान अनुभाग	
1	श्री बनारसी सिंह	.. प्राविधिक अधिकारी	अगस्त, 1981 से
2	श्री के0 पी0 मिश्र	.. सहायक निदेशक (सेवायोजन)	जनवरी, 1983 से
3	श्री अयूब हुसैन	.. वरिष्ठ सहायक	.. दिसम्बर, 1983 से
4	श्री एस0 एन0 वर्मा	.. वरिष्ठ सहायक	.. अप्रैल, 1983 से
5	श्री के0 राम	.. वरिष्ठ सहायक	.. दिसम्बर, 1983 से
6	श्री बी0 बी0 एल0 श्रीवास्तव	.. वरिष्ठ लिपिक	.. जून, 1982 से
7	श्री एस0 एन0 श्रीवास्तव	.. वरिष्ठ लिपिक	.. अगस्त, 1978 से
8	श्री गिरीश चन्द पन्त	कनिष्ठ लिपिक	.. नवम्बर, 1982 से
9	श्री के0 एन0 तिवारी	.. वरिष्ठ लिपिक	मई, 1983 से
10	श्री राम प्रसाद	. कनिष्ठ लिपिक	. अप्रैल, 1983 से

नत्थी 'ख'

(देखिए ता 0प्र 0सं 0 12 का उत्तर पीछे पृ 0 11 पर)

संलग्नक–एक

क्रम-सं 0	कार्य का नाम	इकाई	कार्य की कुल मात्रा	30-6-86 तक किए गए कार्य की मात्रा	30-6-86 को अवशेष कार्य की मात्रा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सरयूलिंक नहर (47.135 कि 0मी 0, 360 क्यूसेक्स क्षमता)					
	क–भूमि कार्य	हेक्टेयर	1396.30	1377.59	18.71	
	ख–मिट्टी का काय	ला 0घ 0 मी 0	177.00	166.90	10.10	
	ग–पक्के कार्य	अदद	30	22	8	5 प्रगति पर है।
2	सरयू बैराज					
	क–भूमि कार्य	हेक्टेयर	625	625	..	
	ख–पक्के कार्य	अदद	1	1	..	
	ग–गाइड बांध	,,	1	1	..	
	घ–एफलक्स बांध	,,	1	1 प्रतिशत	99 प्रतिशत	
3	सरयू मुख्य नहर (63 150 कि 0मी 0)					
	क–भूमि कार्य	हेक्टेयर	1782.00	1323.00	459 00	
	ख–मिट्टी का कार्य	ला 0घ 0 मी 0	309	269.00	40.00	
	ग–पक्के कार्य	अदद	45	23	22	7 प्रगति पर ह।
4	राप्ती लिंक नहर (21·45 कि 0मी 0)					
	क–भूमि कार्य	हेक्टेयर	388.00	130 00	158.00	
	ख–मिट्टी का कार्य	ला 0घ 0मी 0।	62	6.79	55.21	
	ग–पक्के कार्य	अदद	11	2	9	
5	राप्ती बैराज					
	क–भूमि काय	हेक्टेयर	51.20	47.75	3.45	
	ख–मिट्टी का कार्य	ला 0घ 0 मी 0।	2.75	2.69	0.06	
	प–पक्के कार्य	अदद	1	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	
	घ–गाइड बांध	,,	1	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत	
	च–एफलक्स बांध	,,	1	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
6	राप्ती मुख्य नहर (125.60 कि0मी)					
	क–भूमि कार्य	हेक्टेयर	1530	750	780	
	ख–मिटटी का कार्य	ला0घ0 मी0।	191.00	11.90	179.10	
	ग–पक्के कार्य	अदद	102	..	102	2 पुल आंशिक बने
7	शाखाएं (680 कि0मी0)					
	क–मिट्टी का कार्य	मी0 ला0घ0	400.00	107 00	293.00	
	ख–पक्के कार्य	अदद	340	173	167	
8	वितरण प्रणाली	कि0मी0	8266	158	8108	
9	गूलें	हेक्टेयर	12,00,000	..	12,00,000	
10	ड्रेन्स	कि0मी0	9000	..	9000	
11	नए नलकूप	अदद	2000	. ,	2000	
12	पम्प नहरें					
	क–उतरौला पम्प गृह (29.75 क्यूसेक्स क्षमता)।	अदद	1	73 प्रतिशत	27 प्रतिशत	
	ख–डुमरियागंज पम्प गृह (25.50 क्यूसेक्स)	अदद	1	48 प्रतिशत	52 प्रतिशत	
	ग–आयोध्या पम्प गृह (17 क्यूमेक्स क्षमता)	अदद	1	68 प्रतिशत	32 प्रतिशत	
	घ–गोला पम्प गृह (8.50 क्यूसेक्स क्षमता)	अदद	1	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	
	वित्तीय योग––					
	निर्माण कार्य		575.86	153.22	422.64	
	ओवर हेड		120.14	40.88	89.26	
	कुल योग करोड़:रु0 में।		696.00	184.10	511.90	

अनुसूची 'ग'

(देखिए ता0प्र0सं0-13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर।)

कटेहरी ब्लाक के उन ग्रामों की सूची जहां सिंचाई के समुचित साधन नहीं हैं :—

1—परतीबीपुर	.. ..	115 हेक्टेयर रकबा
2—बीबीपुर रुदौली	.. ..	112 ,,
3—आशाजीतपुर कला	.. ..	115 ,,
4—सखौनापीरपुर	.. ..	120 ,,
5—पारूदेवा	.. ..	110 ,,
6 खोजदपुर	.. ..	119 ,,
7—पीथापुर आशजोतपुर	.. ..	108 ,,
8—वेहदपुर	.. ..	112 ,,
9—बहोरिकपुर	.. ..	115 ,,
	योग ..	1026

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

उन्नाव जनपद के विकास खण्ड असोहा की न्याय पंचायत समाधा से माह जनवरी, 1985 से माह फरवरी, 1987 तक चीनी विक्रेताओं द्वारा चीनी उठाने का विवरण

क्रम-सं0	माह का नाम	चीनी विक्रेता का नाम	विक्रेताओं द्वारा उठाई गई चीनी की मात्रा (कुन्तल)
1	2	3	4
1	जनवरी, 1985	—	..
2	फरवरी, 1985	श्री छोटे लाल	14
3	मार्च, 1985	श्री छोटे लाल	21
4	अप्रैल, 1985	श्री छोटे लाल	14
5	मई, 1985	श्री छोटे लाल	14
6	जून, 1985	श्री छोटे लाल	14
7	जुलाई, 1985	श्री गुरु प्रसाद असावर	18
8	अगस्त, 1985	(1) श्री गुरुप्रसाद असावर	17
		(2) श्री कमला शंकर चौपई	10
9	सितम्बर, 1985	श्री गुरु प्रसाद असावर	18
10	अक्तूबर, 1985	—	..
11	नवम्बर, 1985	—	..
12	दिसम्बर, 1985	—	..
13	जनवरी, 1986	(1) साधन सहकारी समिति, समाधा	12
		(2) श्री गुरु प्रसाद असावर	18
14	फरवरी, 1986	साधन सहकारी समिति, समाधा	26
15	मार्च, 1986	(1) श्री रामेश्वर	14
		(2) श्री पुरवी	12
16	अप्रैल, 1986	(1) श्री रामेश्वर	14
		(2) श्री पुरवी	12

1	2	3	4
17	मई, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा ..	8
18	जून, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	8
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा	8
19	जुलाई, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा ..	8
20	अगस्त, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा ..	8
21	सितम्बर, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, सामाधा ..	8
22	अक्तूबर, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	11
		(2) श्री पुरवी ..	10
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा ..	10
23	नवम्बर, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	6
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा ..	8
24	दिसम्बर, 1986	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, सामाधा ..	8
25	जनवरी, 1987	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा ..	8

1	2	3	4
26	फरवरी, 1987	(1) श्री रामेश्वर ..	9
		(2) श्री पुरवी ..	8
		(3) साधन सहकारी समिति, समाधा ..	8

नोट--(1) न्याय पंचायत समाधा में वितरण हेतु माह जनवरी, अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1985 में कोटेदारों द्वारा चीनी की उठान नहीं की गयी ।

(2) माह जनवरी, 1985 में साधन सहकारी समिति, समाधा व श्री छोटे लाल चीनी के कोटदार थे। साधन सहकारी समिति में सेल्समैन नियुक्त न होने के कारण चीनी नहीं उठाई गयी। श्री छोटे लाल को न्याय पंचायत समाधा की माह जनवरी, 1985 की पूरी चीनी आवंटित की गयी थी लेकिन उनके अस्वस्थ्य हो जान के कारण चीनी की उठान नहीं की जा सकी।

(3) माह अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1985 में केवल साधन सहकारी समिति, सामाधा कार्यरत थी। उक्त समिति को चीनी का आवंटन किया गया था, लेकिन सेल्समैन नियुक्त न होने के कारण समिति द्वारा चीनी की उठान/वितरण नहीं किया गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर।)

क्रम-सं 0	नाम योजना	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ में	घोषित धनराशि	कृषकों की संख्या	वितरित धनराशि/ कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	वीरपुर पम्प नहर	वीरपुर	1.54	10545.59	28	10328.70/23
2	वीरपुर पम्प नहर की उपशाखा तरांव माइनर	चक भागों	3.97	35436.03	69	27026.74/60
3	तदैव	नसीरुद्दीनपुर	1.60	15489.43	48	13150.44/44
4	तदैव	बलवाटप्पे-शाहपुर	3.96	42745.32	54	42253.78/53
5	तदैव	तरांव	2.71	इस ग्राम में प्रस्तावित नम्बरान चक वितरण की कार्यवाही नहीं की गयी। दिया गया है।		
6	तदैव	जगहतपुर	1.18	1304.79	24	1304.79/24
7	तदैव	निकरोजपुर	3.31	27936.23	28	22114.51/20
8	वीरपुर पम्प वहर	इनहुवां	3.09	41732.69	48	37083.98/40
9	तदैव	घनेठा	4.79	64827.14	22	64615.76/2

संलग्नक

आर0डी0 मद में जमा धनराशि/ कृषकों की संख्या	आर0डी0 मद से वितरित धनराशि/ कृषकों की संख्या	आर0 डी0 मद में जमा धनराशि, जो मुगतान हेतु शेष है। कृषकों के नाम एवं धनराशि सहित	धनराश का नाम
8	9	10	11
216.89/ 5	46.26/ 2	1--शिवपूजन पुत्र जोग नरायन	34.69
		2--जितेन्द्र नाथ पुत्र राजेन्द्र प्रताप	67.39
		3--नगीना पुत्र सुखा नन्दन	66.55
8409.29/ 9	8369.32/ 8	1--विश्वनाथ पुत्र जतनू	38.97
2338.99/4	2272.60/ 3	1--विश्वनाथ पुत्र राम लेखावन	66.39
451.54/ 1	491.54/ 1		..

नम्बर से प्रस्तावित किए गए थे, जो चकबन्दी बाद बदल गए। इसमें प्रतिकर विभाग को पत्र संख्या 181 दिनांक 8-7-81 द्वारा स्थिति से अवगत कराया

..	..	..	..
5821.72/ 8	2971.60/ 3	1--शिव नन्दन पुत्र नगेश्वर	625.06
		2--केशव पुत्र नगेश्वर	625.06
		3--अभय नरायन पुत्र नगेश्वर	625.07
		4--जगरनाथ पुत्र राज नरायन	477.46
		5--शम्भू नरायन पुत्र राज नरायन	477.47
4648.71/ 8	..	1--राम अवतार पुत्र शिवपूजन	68.85
		2--मुक्तेश्वर पुत्र रामराज	472.84
		3--गामा पुत्र रामराज	472.83
		4--राम बदन पुत्र हरदेव	198.93
		5--शिव बदन पुत्र हरदेव	198.92
		6--अनिल प्रसाद पुत्र सीताराम	1078.78
		7--केसरी पुत्र विंध्याचल	1078.78
		8--सीताराम पुत्र विंध्याचल	1078.78
211.38/ 1	..	1--राम चन्दर पुत्र ठग	212.38

1	2	3	4	5	6	7
10	वीरपुर नहर	वाठा	1.35	19802.91	12	धन उपलब्ध नहीं है ।
11	तदैव	नरसिंहपुर करइल	2.26	25375.97	16	1225.39/3

8	9	10	11

धनाभाव में अवशेष कृषक

	1--राधेश्याम पुत्र राम नरेश	1883.70
	2--बजरंगी पुत्र राम नरेश	1883.70
	3--बलराम पुत्र वसगित	3767.40
	4--राम बदन पुत्र देवमुनि	3767.40
	5--शिव शंकर पुत्र कबले	3767.40
	6--मु0 प्रेमा कुंवर स्त्री राम सागर	3767.40
	7--मौली पुत्र सुखारी	149.50
	8--बेचू पुत्र सुखारी	149.50
	9--राधा पुत्र शिव धारी	110.99
	10--नन्दकिशोर पुत्र शिवधारी	110.89
	11--परिखन पुत्र शिवधारी	110.89
	12--नगीना पुत्र दमरी	332.95
	1--गयानाथ पुत्र जगदीश	408.47
	2--रामलखन पुत्र जगदीश	408.47
	3--चन्द्रिका पुत्र जगदीश	408.48
	4--शिवपूजन पुत्र मुखराम	1225.40
	5--बरमदेव पुत्र दमरी राय	1225.39
	6--जंगी पुत्र महावीर	5676.19
	7--विश्वनाथ पुत्र बासदेव	1297.86
	8--राजेन्द्र पुत्र वासदेव	1297.86
	9--कालिका पुत्र राम जतन राय	2595.71
	10--महावीर पुत्र राम जतन राय	2362.21
	11--शंकर दयाल पुत्र राम जतन	2362.21
	12--राज नरायन पुत्र छोटू	3395.68
	13--सुभाष पुत्र रक्षपाल	1686.67

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20पर।)

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड जोया, अमरोहा एवं छजलैट में विभागवार निर्मित कच्चे तालाबों का विवरण :--

क्रम सं0	विभाग	विकास खण्ड	क्रम सं0	ग्राम का नाम जहां तालाब निर्मित हुआ	कुल व्यय की धनराशि
1	2	3		4	5
1	ग्राम्य विकास	जोया		1--जगुआ खुर्द	49,314.00
				2--फरीदपुर	64,383.00
				3--रामपुर	48,506.00
				4--नाइपुरा	34,129.00
				5--चक्कालीलेट	5,105.00
				6--फयाजनगर	78,056.00
				7--चोटीपुरा	58,392.00
				8--मजूरपुरा	85,941.00
				9--चांदनगर	56,590.00
				10--खालकपुर	78,545.00
				11--नारंगपुर	45,747.00
		अमरोहा		शून्य	
		छजलैट		12--वैरमपुर	19,450.00
				13--फूलपुर बिठनपुर	62,541.00
				14--मुंगला	1,150.00
				15--करनपुर	38,893.00
				16--आवीहफीजपुर	12,000.00
2	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	जोया		शून्य	
		अमरोहा		शून्य	
		छजलैट		17--अहमदपुर	40,000.00
				18--सदरपुर मतलबपुर	25,000.00
				19--फूलपुर सीकरी	13,000.00
				20--खलील मजरा	10,000.00
3	भूमि संरक्षण	जोया		21--मझौली	10,027.00
				22--रसूलपुर	13,183.00
				23--पवीपुरा	12,353.00
				24--रसूलपुर/शेखूपुरा	9,330.00
				25--सिवारा	9,699.00
				26--रसूलपुर	11,086.00
				27--शेखूपुर	11,944.00

1	2	3	4	5
			28—नौरंगो	11,087.00
			29—कटाई	16,566.00
			30—मिल कटाई	7,197.00
		समरोहा	31—मकंदमपुर	3,816.00
			32—मकदूमपुर	9,637.00
			33—रामपुर जमारदार	8,354.00
			34—ढक्का	9,786.00
			35—पीला कुण्ड	14,384.00
			36—ढक्का	10,121.00
		छजलैट	37—चौरा रसूलपुर	13,710.00
			38—बठोदी वीरान	6,148.00
			39—रसूलपुर गूजर	8,987.00
			40—मोढी हजरतपुर	5,734.00
			41—कासमपुर	14,468.00
			42—पोटा	6,385.00
			43—समदपुर	9,855.00
			44—मोढी हजरतपुर	4,950.00
			45—पेली विश्नोई	14,980.00
			46—निधि	12,899.00
			47—पीली	13,327.00
			कुल योग :	11,06,81.00

अनुसूची 'छ'

तालिका 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर।)

(देशी शराब का उपभोग)

वर्ष	मात्रा (बल्क लीटर में)
1980–81	3,27,07,989
1981–82	4,35,51,364
1982–83	4,60,09,853
1983–84	5,46,38,042
1984–85	6,42,00,574
1985–86	8,40,70,583

तालिका 'ख'

(विदेशी मदिरा का उपभोग)

वर्ष	मात्रा बोतल में (बियर सहित)
1980–81	57,56,992 (एफ0एल0 6/7 को छोड़कर)
1981–82	61,40,490
1982–83	68,22,049
1983–84 .	1,14,86,576
1984–85	1,26,67,519
1985–86	1,74,08 257

अनुबंध 'ज'

(देखिए अता0प्र0सं0 33 का उत्तर पांच पृष्ठ 27 पर।)

शारदा नहर खण्ड, सीतापुर के सिधौली प्रथम उपखण्ड के क्षेत्र में नहरों की पटरियों, डौला, बक इत्यादि पर कराए गए कार्यों का वर्षवार विवरण।

क्रम-सं0	नहर का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	नहर की पटरियों (सेवा मार्गों) पर मरम्मत का कार्य डौला एवं बक इत्यादि की मरम्मत के साथ व्यय (रुपयों में)	
			वर्ष 1984-85	वर्ष 1985-86
1	2	3	4	5
1	खोरी शाखा	34.4	84,620.00	37,026.00
2	हरियाबाद शाखा	43.4	32,729.00	69,680.00
3	इटौंजा राजवाहा	29.1	69,428.50	31,009.00
4	सरौरा राजवहा	21.3	12,986.00	52,413.00
5	कुर्सी राजवहा	17.6	3,398.00	12,130.00
6	टिकतगंज राजवहा	9.7	9,696.00	4,995.00
7	सिधौली राजवहा	9.0	4,990.00	..
8	डालीगंज राजवहा	16.4	4,732.00	..
9	अमानीगंज राजवहा	10.4	2,869.00	25,635.00
10	मण्डिया राजवहा	23.9	4,870.00	10,919.00
11	चन्दनापुर राजवहा	16.0	27,977.00	21,969.00
12	मुजफ्फरपुर राजवहा	9.7	14,497.00	..
13	गाजीपुर राजवहा	12.2	10,013.00	..
14	कमलापुर राजवहा	8.0	475.00	..
15	बरेठी माइनर	7.9	4,999.00	4,986.00
16	सोनवा माइनर	8.4	5,624.00	..
17	मानपुर माइनर	8.3	2,977.00	..
18	अकोहरी माइनर	2.5	1,796.00	..
19	अहमदनगर माइनर	3.5	1,127.00	..
20	जिन्दपुर माइनर	3.2	908.00	..
21	जैपालपुर माइनर	9.5	1,747.00	12,863.00
22	बहटा माइनर	4.1	280.00	..
23	खलीलाबाद माइनर	3.6	208.00	..
24	कोण्डरिया माइनर	3.0	..	6,180.00
25	कोनोरा माइनर	2.2	..	2,130.00
26	रायपुर माइनर	4.6	..	709.00
27	कुंवरपुर माइनर	3.2	..	960.00
28	पिरथीपुर माइनर	2.6	..	2,903.00
29	महोना माइनर	1.8	..	1,976.00
30	पिपरी माइनर	2.6	..	2,910.00
31	अटेसुवा माइनर	2.9	..	1,904.00
32	इरवा माइनर	1.7	..	2,012.00
33	अटरिया स्केप	8.0	..	5,000.00

नत्थी 'ब'

(देखिए अता० प्र० सं० 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

प्रथम उपखण्ड शिवौलो की समस्त नहरों की वर्ष 1984–85 व 1985–86 में किए गए सिल्ट सफाई के कार्यों का वर्षवार व्यय।

क्रम-सं०	नाम नहर	लम्बाई कि०मी०	सिल्ट सफाई पर व्यय	
			वर्ष 1984–85	वर्ष 1985–86
1	2	3	4	5
1	विक्रमपुर मा०	3.2	5,360.00	7,780.00
2	मिठौला मा०	2.5	4,080.00	7,192.00
3	सनन्दपुर मा०	2.7	3,112.00	4,666.00
4	कमलापुर राज०	8.0	20,160.00	25,001.00
5	बसन्तपुर मा०	5.1	7,840.00	21,941.00
6	शिवौलो राज०	9.0	18,000.00	10,717.00
7	बहादुरपुर मा०	3 6	3,451.00	6,538.00
8	मुजफ्फरपुर राज०	9.7	22,864.00	25,001.00
9	किरतापुर मा०	1.8	3,360.00	3,972.00
10	अटरिया मा०	4.8	6,256.00	8,187.00
11	कसिण्डा मा०	4.1	6,863.00	11,234.00
12	ऊंचखेर मा०	2.9	4,480.00	6,647.00
13	गाजीपुर राज०	12.2	10,216.00	32,598.00
14	कठवा मा०	5.9	8,145.00	4,959.00
15	टिकौलो मा०	3.6	5,600.00	9,777.00
16	भण्डिया राज०	23.9	33,600.00	1,02,683.50
17	बरेठो मा०	7.9	17,920.00	34,945.00
18	चौड़िया मा०	1.6	2,656.00	2,929.00
19	सरौरा राज०	21.5	..	2,97,812.47
20	अहमदनगर मा०	3.5	5,745.00	8,450.60
21	पलिया मा०	5.6	7,947.00	18,304.20
22	त्रिजौलो मा०	1.9	1,012.00	4,802.20
23	अटेहरा मा०	4.6	7,052.00	16,894.80
24	जिन्दपुर मा०	3.2	3,048.00	6,065.40
25	परेवाजाल मा०	1.9	1,520.00	1,894.00
26	कुर्सी राज०	17.6	37,037.00	70,214.60
27	चकिया मा०	1.6	1,595,00	3,130.40
28	सुभाष नगर मा०	2.0	1,759.00	3,154.00
29	कुर्सी मा०	1.8	1,348.00	4,453.00
30	टिकारो मा० (सरौरा अनु०)	0.9	3,445.00	..
31	उचरा मा०	4.2	4,582.00	11,574.60
32	टिकैतगंज राज०	9.7	24,791.00	59,141.50

1	2	3	4	5
33	मोहम्मन्द मा0	3.4	2,449.00	4,460.00
34	मदोनपुर मा0	2.4	1,914.00	5,177.00
35	इन्दार मा0	2.4	3,182.00	5,715.00
36	मुस्तिपपरो मा0	2.4	1,764.00	2,308.00
37	इटौंजा राज0	29.1	10,563.00	41,475.80
38	जैपालपुर मा0	9.5	27,282.00	22,951.00
39	कुंम्बरपुर मा0	3.2	3,648.00	4,250.00
40	अमानीगंज राज0	10.4	8,335.00	48,592.60
41	अमानीगंज मा0	3.8	5,015.00	1,451.00
42	रायपुर मा0	4.6	7,362.00	6,567.00
43	डरवा मा0	1.7	1,362.00	1,937.00
44	अटेसुवा मा0	1.9	1,945.00	4,837.00
45	महोत मा0	1.8	2,386.00	2,394.00
46	पिरथेपुर मा0	2.6	3,096.00	.
47	कोण्डरिया मा0	3.0	4,451.00	8,891.00
48	पिपरो मा0	2.6	2,871.00	3,564.00
49	चन्दरपुर राज0	16.0	34,293.00	62,503.85
50	डलोगंज राज0	16.4	2,119.00	4,427.00
51	सोनवा मा0	8.4	14,878.00	17,711.00
52	नगवामऊ मा0	3.3	2,762.00	. .
53	टिकरो मा0(दौलतपुर अनु0)	2.2	377.00	3,090.00
54	अकोहरो मा0	2.5	3,825.00	3,318.00
55	खलीलाबाद मा0	3.6	2,893.00	2,282.00
56	मिर्जापुर मा0	2.2	2,382.00	. .
57	अजरौरा मा0	1.8	3,275.00	. .
58	बराखमपुर मा0	1.5	1,648.00	1,778.00
59	मानपुर मा0	8.3	15,189.00	2,480.60
60	न्यामतपुर मा0	1.3	1,785.00	4,351.90
61	बेहटा मा0	4.1	5,805.00	. .
62	सेहारा मा0	2.7	2,438.00	5,416.80
63	कोनोरा मा0	2.2	. .	3,413.40
64	दरियाबाद शाखा	13.2	. .	84,017.40

मील 19–0–0 से टेल तक।

स्केप (खारजा)

1	बेहटा स्केप	2.0	. .	5,057.20

नत्थी 'ञ'

(देखिए अता0प्र0सं0 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

क्रम-सं0	नाम दुकानदार	निलम्बन की तिथि	बहाली की तिथि
1	2	3	4
1	श्री मथुरा प्रसाद, सहजनवां	30-1-86	5-3-86
2	श्री राम नरायन	30-1-86	8-4-86
3	श्री राम सेवक, जंगल मातादीन	12-2-86	12-3-86
4	श्री काशी प्रसाद, पिपराइच	12-2-86	12-3-86
5	श्री राम प्रीत, पिपराइच	12-2-86	12-3-86
6	श्री राम चन्द्र, पिपराइच	12-2-86	12-3-86
7	श्री मुमताज, भटहट	12-2-86	..
8	श्री रघुनाथ	12-2-86	..
9	श्री रवीन्द्र जैसवाल, फरदहनी	19-2-86	7-3-86
10	केन्द्रीय उप0म0, अलहदादपुर	12-2-86	आयुक्त महोदय के स्टे पर चल रही है।
11	श्रीमती लक्ष्मी देवी, शाहपुर	25-2-86	10-3-86
12	श्री छटठी लाल, सिंघवा बाजार	21-2-86	पुलिस विवेचना में
13	श्रीमती कलावती देवी, सहजनवां	31-3-86	..
14	श्रीमती कुरेशा बेगम, गोला	25-4-86	29-8-86
15	श्री बसन्त लाल, पिपरौली	21-5-86	11-6-86
16	श्री जगदम्बा प्रसाद	21-5-86	11-6-86
17	शाहबगंज क्रय-विक्रय समिति	4-4-86	8-8-86
18	मुरारी लाल जैसवाल, मियां बाजार	9-6-86	9-7-86
19	बदरुद्दीन अन्सारी, मियां बाजार	9-6-86	9-7-86
20	चाचा नेहरू जाफरी बाजार	9-6-86	31-7-86
21	श्रीमती तरन्नुम निशां	9-6-86	16-7-86
22	बरशाती, परमेश्वरपुर	18-6-86	पुलिस विवेचना में
23	माधव प्रसाद, गौरीमंगलपुर	28-7-86	15-10-86
24	विश्वनाथ प्रसाद	28-7-86	15-10-86
25	ध्रुव चन्द्र	28-7-86	15-10-86
26	श्री विश्वनाथ यादव	28-7-86	28-10-86
27	डी0सी0एफ0 गांधी नगर	30-4-86	5-7-86
28	श्री राम लाल, बेलघाट	29-7-86	9-9-86

नत्थो 'ट'

(देखिए अता0प्र0सं0 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

संलग्नक

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	ग्राम सभा का नाम	नलकूप संख्या व समूह
1	2	3	4
1	मोटो	मोटो	340 ए0जो0
2	,,	मंझनपुर	341 ए0जो0
3	,,	वनगांव	342 ए0जो0
4	,,	उमराव प्रथम	343 ए0जो0
5	,,	उमराव द्वितोय	344 ए0जो0
6	,,	उघरना	345 ए0जो0
7	,,	परिवा खुर्द	346 ए0जो0
8	,,	परवर भरो	347 ए0जो0
9	,,	दिलावरपुर	348 ए0जो0
10	,,	चतुरो पट्टो	349 ए0जो0
11	,,	जलालपुर रामपुर	350 ए0जो0
12	,,	पकड़ो डल्लापुर	351 ए0जो0
13	,,	चायिकपुर	352 ए0जो0
14	,,	सराय जामां	353 ए0जो0
15	,,	पिगरियांवा	354 ए0जो0
16	,,	रेवलो	355 ए0जो0
17	,,	स्यूटो पारा	356 ए0जो0
18	,,	चन्दापुर	357 ए0जो0
19	,,	वेला	358 ए0जो0
20	,,	रामपुर ग्रिट	359 ए0जो0
21	,,	खंडा ां	360 ए0जो0
22	,,	मझुआ	365 ए0जो0
23	तरूा	भलावां पथम	364 बो0जो0
24	,,	भलावां द्वितोय	365 बो0जो0
25	,,	सराय मनोहर	366 बो0जी0
26	,,	बलरामपुर	367 बो0जो0
27	,,	चौबेपुर (इमलिया)	368 बो0जो0
28	,,	जावा	369 बो0जो0
29	,,	मइहर बवोर	370 बो0जो0
30	,,	ओदोरतनाथपुर	371 बो0जो0

नत्थी 'ठ'

(देखिए अता0प्र0सं0 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर।)

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की सूची वर्ष 1982-83

क्रम-सं0	परियोजना का नाम	वर्ष 1982-83 में व्यय (लाखों में)
1	2	3
1	एप्रोच रोड कुआनों पम्प कैनाल टेल से गोला गोरखपुर रोड . .	0.08
2	मगहर बुदहट रोड की मरम्मत	2.35
3	मुख्य नहर	0.38
4	सिसवा माइनर	0.08
5	बडहलगंज माइनर	0 22
6	जिगिना माइनर	0.18
7	हरनही शकाउली रोड	4.13
8	सम्पर्क मार्ग का निर्माण कि0मी0 11.35	0.14
9	कोल्हुआ निरीक्षण गृह का मरम्मत कार्य	0.05
10	शाल की लकड़ी की आपूर्ति	0.14
11	बुदहट माइनर	0.24
12	मगहर बांध	0.78
13	सिल्ट की सफाई मुख्य नहर	0.26
14	जयराम पट्टी माइनर	0.08
15	वाटर रेजिग बैरियर को उचा करने में	0.50
16	बस्तियां माइनर के डाउला बैंक सर्विस रोड को ऊंचा करने में . .	0.05
17	जिगिना माइनर के डाउला बैंक सर्विस रोड को ऊंचा करने में . .	0.08
18	महोबरा माइनर का बढोत्तरी में	0.15
19	मुख्य नहर के बाएं बैंक कि0मी0 0-0 से 0.80 तक सर्विस रोड तथा डाउला का मरम्मत कार्य।	0.08
20	मुख्य नहर के बाएं बैंक कि0मी0 3, 675 से 3,800 तक . .	0.14
21	पुरैना ताल ड्रेन का रिमार्डलिग	0.46
22	सिल्ट की सफाई मुख्य नहर कि0मी0 12 से टेल तक . .	0.22
23	बुदहट माइनर का सिल्ट की सफाई	0.13
24	मुख्य नहर के कि0मी0 2.0 से 17.00 खड़ंजा का मरम्मत कार्य . .	0.29
25	तिधरा माइनर के कि0मी0 0-0 से 10.00 तक सिल्ट की सफाई . .	0.13
26	रेवटा माइनर का निर्माण कि0मी0 2 से 2.250 तक . .	0.04
27	मुखलिसपुर में अवर अभियन्ता क्वार्टर के निर्माण एवं मरम्मत . .	0.08
28	रिमार्डलिग आफ मेन कैनाल	0.25
29	बी0आर0बी0 और एफ0बी0 केरेम्प का निर्माण	0.36
30	मगहर बांध पर सोलिग का कार्य	0.85
31	गूल नम्बर 6 का रिमार्डलिग तिधरा माइनर	0.37

1	2	3
32	सोलिंग कार्य कि0मी0 12 से 17 मुख्य नहर	0.29
33	कटसहरा बरदारवा ताल ड्रेनेज	0.06
34	बरखा ताल ड्रेन का रैम्प निर्माण	0.06
35	कटसहरा ताल ड्रेन के कि0मी0 0-75 के यू0आर0बी0 का रैम्प	0.06
36	मुख्य नहर के कि0मी0 0-415 पर लाइनिंग कार्य	0.17
37	तिघरा माइनर के गूल नं0 7 का मरम्मत कार्य	0.02
38	तिघरा माइनर के गूल नं0 9 का मरम्मत कार्य	0.02
39	तिघरा माइनर के सिल्ट की सफाई	0.04
40	खजुरिया माइनर के मूल नं0 3 पर का निर्माण	0.05
41	तिघरा माइनर के कि0मी0 2.8 पर गूल के निर्माण	0.06
42	मुख्य नहर के बायें बैंक के कि0मी0 0-060 से 0-150 तक रिमाडलिंग।	0.23
43	मुख्य नहर के बायें बैंक के कि0मी0 2.05 से 2.165 तक रिमाडलिंग	0.03
44	लिंक चैनल का निर्माण अप-टु-बेड लेविल कि0मी0 0.0 से 0 0.60 मुखलिसपुर।	0.59
45	एफ0 लैक्स बांध का निर्माण	0,07
46	मगहर कटसहरा सर्विस रोड पर सोलिंग	0.24
47	प्रथम श्रेणी ईंट की आपूर्ति	2.29
	योग	17.57

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की सूची वर्ष 1983-84

क्रम-सं0	परियोजना का नाम	वर्ष 1983-84 में व्यय (लाख में)
1	करमैनी बेलोली रिंग बांध	0.27
2	करमैनी बेलोली बांध	0.72
3	स्टाक	6.96
4	पनघटिया करमैनी बांध का निर्माण	1.90
5	खजुरिया रिंग बांध	0.20
6	विशेष मरम्मत पनघटियां करमैनी बांध	0.03
7	विशेष करमैनी बेलोली बांध	1.34
8	करमैनी बेलोली बांध	2.22
9	कुआनों पम्प नहर सिस्टम	2.89
	योग	16.53

अत्थो. 'ड'

(देखिए अता0प्र0स0 89 का उत्तर पीछ पृष्ट 47 पर।)

जनपद उन्नाव में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा वर्ष 1982–83 वर्ष 1983–84 वर्ष 1984–85 वर्ष 1985–86 तथा 1986–87 में अब तक विकास खण्ड बीघापुर, सुमेरपुर तथा पुरवा में निम्न प्रकार रुपया दिया गया। इसी तालिका में धन प्राप्ति की तिथि, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि, कार्य की भौतिक प्रगति एवं अपूर्ण कार्य की पूर्ण करने की सम्भावित तिथि दर्शायी गयी है–

वर्ष	विकास खण्ड	विद्यालय भवन का नाम	आवंटित धनराशि	धन प्राप्ति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	भौतिक प्रगति	अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
			रु0				
1982-83	शून्य	शून्य	..	..	..	..	..
1983-84	शून्य	शून्य	..	..	..	..	..
1984-85							
	(क) पुरवा	प्रा0पा0 नयागांव	68900	29-3-85	जून, 85	100 प्रतिशत	..
	(ख) बोधापुर	प्रा0पा0 महराजपुर	68900	,,	मई, 85	50 प्रतिशत पूर्ण	31-3-87 तक
	(ग) ,,	प्रा0पा0 आड़ाखेड़ा	68900	,,	मार्च, 85	90 प्रतिशत पूर्ण	15-3-87
	(ग) सुमेरपुर	प्रा0पा0 खिझौली	68900	,,	फरवरी, 86	100 प्रतिशत पूर्ण	..
	,,	प्रा0पा0 पकरा खुर्द	68900	,,	जुलाई, 86	100 प्रतिशत पूर्ण	..
	,,	प्रा0पा0 ताजकपुर	68900	,,	..	100 प्रतिशत पूर्ण	..
			भवन की लागत बढ़ जाने के कारण उपलब्ध धन के अन्तर्गत छः विद्यालय भवनों में से पांच भवनों का ही निर्माण सम्भव था अतः इस विद्यालय भवन में निर्माण हेतु धन का अभाव था।				
1985-86	–	शून्य	शून्य	..	..	..	..
1986 87	सुमेरपुर	जू0हा0स्कूल मुनऊखेड़ा	125600	9-12-86	फरवरी, 87	20 प्रतिशत पूर्ण	31-8-87 तक।

नत्थी 'ढ'

(देखिए अता0प्र0सं0–101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर।)

वर्ष 1986–87 में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्र रुदौली जनपद बाराबंकी में बैंकों द्वारा पम्पसेट हेतु वितरित ऋण की सूची 1–4–86 से 15–1–87।

क्रमांक	काश्तकारों का नाम व पता
1	श्रीमती नईमुनिसां पत्नी श्री मुश्तफा ग्राम न्योती।
2	श्री बरसाती पुत्र श्री राम भरोसे ,ग्राम कोपाकाप।
3	श्री राम गोपाल पुत्र श्री शीतला दीन, ग्राम फिरोजपुर मखदूरी।
4	श्री जयसिंह पुत्र श्री राम लाल, सिया भट्टा।
5	श्रीमती महादेयी पत्नी श्री नन्दवली, ग्राम सियाभट्ट।
6	श्री राम कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, ग्राम कोपाकाप।
7	श्रीमती शिव प्यारी पत्नी श्री लालता प्रसाद, ग्राम पारा पहाड़पुर
8	श्री शिवराम पुत्र श्री मतऊ, ग्राम करीमपुर।
9	श्री राम सुधारे पुत्र श्री बैजू, ग्राम नई पोखर।
10	श्री शगीर अहमद पुत्र मोहम्मद हुसैन, ग्राम हड़मऊ।
11	श्री बच्चू लाल पुत्र श्री होली, ग्राम मजुनियामऊ।
12	श्री प्यारे पुत्र श्री आसरे, ग्राम बढनपुर।
13	श्री राम अभिलाख पुत्र श्री छत्रपाल, ग्राम सरेठा।
14	श्री हृदय लाल पुत्र श्री भोंदू, ग्राम पसता।
15	श्री राम प्रसाद पुत्र श्री सियाराम, ग्राम मानपुर।
16	श्री इरफान पुत्र श्री मो0 सईद, ग्राम पसता।
17	श्री बहादुर पुत्र श्री खेदू, ग्राम पूरसल्लाह।

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ण'

(देखिए अता0प्र0सं0 108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर।)

महुला गढ़वल बांध पर मिटटी के कार्य करने वाले ठेकेदारों का विवरण

क्रमांक	नाम ठेकेदार	पता	जाति
1	2	3	4
1	श्री जय प्रकाश राय	ठाकुर गांव दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
2	श्री गुलाब राय	जोकहरा आजमगढ़	,,
3	श्री शशि भूषण सिंह	रेलवे स्टेशन, आजमगढ़	क्षत्रिय
4	श्री बाल चन्द यादव	नई बाजार, आजमगढ़	अहीर
5	श्री राम सिंगार	तदैव	अहीर
6	श्री नागेन्द्र सिंह	मधुबन, आजमगढ़	क्षत्रिय
7	श्री प्रभु नारायण शाही	सरयां दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
8	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह	कमरौली मधुबन, आजमगढ़	क्षत्रिय
9	श्री दशरथ	ग्राम महुला, आजमगढ़	अहीर
10	श्री राम अशीश राय	सिपाह, आजमगढ़	भूमिहर
11	श्री लल्लन सिंह	कुन्दीगढ़, आजमगढ़	क्षत्रिय
12	श्री दयाशंकर शाही	सरयां दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
13	श्री बागेश्वरी राय	बुढ़ावर दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
14	श्री राज बहादुर यादव	बीबीपुर, आजमगढ़	अहीर
15	श्री अरविन्द राय	बुढ़ावर दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
16	श्री मृगुनाथ शाही	सरयां दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
17	श्री अशोक कुमार	रैदोपुर, आजमगढ़	क्षत्रिय
18	श्री विनय कुमार	मझगांवा, आजमगढ़	क्षत्रिय
19	श्री उमाकान्त शाही	सरयां दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
20	श्री शैलेश कुमार शाही	तदैव	भूमिहार
21	श्री जय प्रकाश	रेदोपुर, आजमगढ़	क्षत्रिय
22	श्री रामजीत यादव	महुला, आजमगढ़	अहीर
23	श्री नाथ राय	नई बाजार, आजमगढ़	भूमिहार
24	श्री राम अवध यादव	तदैव	अहीर
25	श्री निहाल सिंह	अमिला आजमगढ़	कुर्मी
26	श्री श्रीराम राय	ठाकुरगांव, आजमगढ़	भूमिहार
27	श्री रामबली यादव	बुढ़ावल, आजमगढ़	अहीर
28	श्री लालजी राय	रामपुर धनौली, आजमगढ़	भूमिहार
29	श्री राम दुलारे	बादुरपुर, आजमगढ़	नोनियां
30	श्री श्रीनाथ राय	सूरजपुर, आजमगढ़	भूमिहार
31	श्री जयप्रकाश नरायन सिंह	सूरजपुर, आजमगढ़	भूमिहार
32	श्री सूर्यनाथ राय	तदैव	तदैव
33	श्री अभिमन्यु यादव	बसिया रामपुर	अहीर
34	श्री गुलाब सिंह चौहान	मादी सिपाह, आजमगढ़	नोनियां
35	श्री रामचन्द्र राय	पनइल दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
36	श्री फूल बदन यादव	गोंडा दोहरीघाट, आजमगढ़	अहीर

1	2	4	4
37	श्री सुभाष राय	पनइल दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
38	श्री छांगुर यादव	नई बाजार दोहरीघाट, आजमगढ़	अहीर
39	श्री रामाश्रय राय	ठाकुर गांव दोहरीघाट, आजमगढ़	भूमिहार
40	श्री ज्वाला प्रसाद राय	पतनई दोहरीघाट, आजमगढ़	तदैव
41	श्री हरि नारायन	रैदोपुर, आजमगढ़	हरिजन
42	श्री आशुतोष सिंह	तदैव	क्षत्रिय
43	श्री हरि मोहन राय	मुहम्मदाबाद, आजमगढ़	भूमिहार
44	श्री निरंजन राय	रामपुर धनौली दोहरीघाट, आजमगढ़	तदैव
45	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	हाफिजपुर, आजमगढ़	अहीर
46	श्री रमा कान्त सिंह	चड़ई आजमगढ़	क्षत्रिय
47	श्री बृजराज सिंह	ग्राम पो0 रानीपुर कटघरा, आजमगढ़	क्षत्रिय
48	श्री रमेश कुमार	मधुबन, आजमगढ़	क्षत्रिय
49	श्री अमरेन्द्र सिंह	रैदोपुर, आजमगढ़	क्षत्रिय
50	श्री राम अवध	लालगंज, आजमगढ़	कुर्मी
51	श्री बाल चन्द	नई बाजार दोहरीघाट, आजमगढ़	अहीर
52	श्री सतीश कुमार	उपरौली, आजमगढ़	क्षत्रिय
53	श्री अशोक कुमार	मऊ, आजमगढ़	क्षत्रिय
54	श्री लालजी राय	रामपुर धनौली, आजमगढ़	भूमिहार
55	श्री आशुतोष कुमार सिंह	रैदोपुर आजमगढ़	क्षत्रिय

नत्थी 'त'

(देखिए अता0प्र0सं0 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर।)

संलग्नक

क्रम-संख्या	नलकूप सं0 व समूह	रकबा अंतल			रकबा वार्टरिंग			घनराशि जमाबन्दी		
		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41 एल0जी0	..	43.49	43.49	..	43.49	43.49	..	1590.27	1590.27
2	42 ,,	11.58	73.97	85.55	13.40	112.05	125.45	375.84	3964.81	4340.65
3	43 ,,	3.72	65.34	69.06	4.04	65.34	69.38	140.10	3525.68	3665.78
4	44 ,,	20.95	48.06	6901	23.51	9.81	73.32	599.20	2396.78	2995.98
5	45 ,,	15.69	85.51	101.10	17.80	35.51	103.31	442.69	4242.04	4684.63
6	50 ,,	11.69	100.79	112.38	19.04	118.42	137.46	428.06	5627.07	6055.13
7	51 ,,	15.22	30.79	46.01	21.83	47.19	69.02	622.63	2456.15	3078.78
8	52 ,,	11.06	9.30	20.36	11.30	9.30	20.60	291.86	630.42	922.28
9	55 ,,	38.60	64.79	103.39	56.85	79.30	136.23	1404.80	3852.00	5256.88
10	56 ,,	..	5.00	5.00	..	5.56	5.56	..	340.45	340.45
11	60 ,,	0.26	51.76	52.02	0.26	72.40	72.66	5.91	2386.44	2392.35
12	61 ,,	9.55	22.46	32.01	9 55	24.70	34.25	374.50	843.63	1218.13
13	68 ,,	9.97	44.72	54.69	11.60	70.29	81.97	324.81	3490.59	3815.39
14	75 ,,	30.17	52.65	82.82	54.57	72.90	127.47	1412.59	3299.94	4712.53
15	77 ,,	7.70	38.53	46.23	8.13	44.00	52.13	282.72	2512.30	2795.02
16	78 ,,	19.55	60.34	79.89	26.50	61.32	87.82	940.93	2827.22	3768.15
17	87 ,,	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18	95 ,,	4.11	30.96	35.07	16.12	39.83	45.15	159.72	1456.32	1616.04
19	105 ,,	5.52	37.59	43.11	7.53	44.08	51.61	278.29	1811.18	2089.47

Report Right

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	106 ,,	1.10	36.91	38.01	1.10	36.91	38.01	29.53	2274.22	2303.75
21	107 ,,	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22	118एलजी0	19 56	47 32	66 88	22 39	56 58	78.97	706.81	2750.86	2457.67
23	125 ,,	1.00	4.50	5.50	1.00	4.50	5.50	14.69	155.66	170.35
24	126 ,,	31.00	65.10	96.10	41.74	108.22	149.96	919.24	5074.46	5993.70
25	127 ,,	5.09	11.98	17.07	5.29	11.98	17.27	105.54	949.50	1055.04
26	128 ,,	31.02	85.43	116.45	35.43	98.05	133.48	1112.99	5283.37	6396.36
27	129 ,,	74.53	100.75	175.28	122.55	122.53	235.08	2522.75	4984.22	7586.97
28	135 ,,	15.41	64.52	79.93	16.86	69.50	86.36	671.46	3498.65	4170.11
29	88 ,,	..	8.22	8.22	..	10.31	10.31	..	673.47	673.47
30	189 ,,	..	..	..	..	..	..	..	..	..
31	191 ,,	0.61	38.36	38.97	0.61	41.01	41.62	13.04	1766.72	1779.76
32	192 ,,	4.96	27.75	32.71	9.43	38.34	47.77	265.77	1405.66	1671.43
33	206 ,,	18.16	33.86	52.02	26.18	40.44	66.62	684.89	1970.23	2655.12
34	207 ,,	..	23.15	23 15	..	32.60	32.60	..	1619.72	1619.72
35	208 ,,	7.35	26.51	33.86	7.35	47.56	54.91	178.51	2132.53	2311.04
36	209 ,,	..	12.76	12.76	..	13.16	13.16	..	836.04	836.04
37	210 ,,-	..	60.31	60.31	..	92.58	92.58	..	5196.87	5196.87
38	17एम0 एल0जी0	14.97	48.31	63.28	21.99	73.81	95.80	762.62	3527.00	4289.70
39	33 ,,	12.41	69.23	81.64	25.35	102.36	127.71	320.02	3549.61	3869.63
	योग	452.31	1631.02	2033.33	619.38	2035.21	2654.59	16392.41	94902.23	111294.64

उपर्यूक्त नलकूपों के अतिरिक्त दो राजकीय नलकूप निर्माणाधीन थे जिनका नम्बर 37 मोहनलालगंज तथा 40 मोहनलालगंज है ।

नत्थी 'थ'

(देखिए अता0प्र0सं0 148 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर।)

संलग्नक

क्रम-सं0	जनपद	कुल चलित नलकूप वर्षवार									
		1981–82		1982–83		1983–84		1984–85		1985 86	
		चलित नलकूपों की सं0	औसत सिंचाई प्रति नलकूप हे0	चलित नलकूपों की सं0	औसत सिंचाई प्रति नलकूप हे0	चलित नलकूपों की सं0	औसत सिंचाई प्रति नलकूप हे0	चलित नलकूपों की सं0	औसत सिंचाई प्रति नलकूप हे0	चलित नलकूपों की सं0	औसत सिंचाई प्रति नलकूप हे0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	हमीरपुर	157	44	227	44	271	29	316	40	345	31
2	जालौन	217	35	235	34	298	22	321	31	337	28
3	झांसी	2	66	2	120	16	22	30	31	40	25
4	ललितपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	बांदा	161	18	190	22	216	20	238	25	289	19

अतारांकित प्रश्न

नत्थी 'द'

(देखिए अता0प्र0सं0 166 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर।)

मे0 सुल्तान एण्ड कं0 के पत्रांक एम-4, दि0 16-6-80 में उल्लिखित बिन्दुओं का सारांश

1--सहायक अभियन्ता के पत्र के सन्दर्भ में कम्पनी से एक व्यक्ति की पाथर की आपूर्ति रोकने के लिए कहने को अपने उस व्यक्ति के पास भेज दिया है जो दिल्ली स्टोन क्वारी पर तैनात है। यह भी विदित हुआ कि कम्पनी ने रु0 25,000 का अग्रिम स्टोन क्वारी मालिक को और कुछ ट्रान्सपोर्टस को शेष आपूर्ति द्रुतगति से करने हेतु दे दिया है। 800 ट्रक के विरुद्ध लगभग 750 ट्रक पहले ही पहुंच चुके हैं और 50 से 60 ट्रक अवशेष रह गए हैं। मैं अग्रिम वापस लेने का प्रयास कर रहा हूं। यदि अग्रिम वापस नहीं होता है तो हम 800 ट्रक तक आपूर्ति को बन्द करने में अयोग्य होंगे और अनुबन्ध को शीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जाये क्योंकि हमने अपनी आपूर्ति पूर्ण कर दी है।

2--क्या मैं यह पुष्टि करने का साहस कर सकता हूं कि जब मैंने अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति में स्थल पर दि0 15-6-80 को दो बजे अपराह्न हमारा बिना लाया गया लगभग 1000 घन मीटर पत्थर विभाग द्वारा प्रयोग करने की शिकायत की तथा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, तो सहायक अभियन्ता, ने मुझसे पूछा कि इसमें श्री भूषण सिंह, अवर अभियन्ता की असक्षमता है जिन्होंने समस्त आपूर्ति की गयी मात्रा को नहीं नापा और कुछ बिना नापा गया पत्थर विभाग द्वारा प्रयोग कर लिया गया है अर्थात् श्री भूषण सिंह, अवर अभियन्ता की असक्षमता के कारण उनके स्थान पर चार दिन पूर्व श्री रामा नन्द शर्मा, अवर अभियन्ता को लगा दिया गया है।

हमें भय है कि हमारा बिना नापा गया पत्थर इसी प्रकार प्रयोग न कर लिया गया। आपूर्ति की गयी मात्रा का भुगतान हमें मिलना चाहिए।

सहायक अभियन्ता द्वितीय बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद के पत्रांक 23 एग्र0नं0 3 एस ई0/79-80 दि0 20-6-80 द्वारा तय किया गया बिन्दुवार विवरण

अब आगे पत्थर की आवश्यकता नहीं है, अत: विभाग ने पत्र संख्या 16/एग्र नं0 3/एस ई/79-80 दि0 15-6-80 द्वारा आपूर्ति बन्द करने हेतु कम्पनी को सूचित कर दिया था।

आपके बिना नापे गए कोई भी पत्थर के प्रयोग किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। केवल नापे गए पत्थर के चट्टे कार्य पर प्रयोग किए गए थे एवं कार्य पर लगे हुए ठेकेदारों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। मैं यह नहीं समझता हूं कि कम्पनी द्वारा यह बार-बार क्यों लिखा जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से आधार रहित है। पत्थर के चट्टे लगाने हेतु आपके श्रमिक सदैव कम रहे हैं और विभाग ने समय-समय पर आपको अवगत कराया था परन्तु आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने कभी बिना नापे गए पत्थर को उठाने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जब कभी आपके द्वारा पत्थर के चट्टे लगवाए गये थे, स्थल पर कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा पत्थर की सदैव माप ली गयी। मैंने श्री भूषण सिंह, अवर अभियन्ता की असक्षमता के सम्बन्ध में कभी वार्ता नहीं की।

3--3/80 में हमारे द्वारा विरोध करने के बावजूद भी आपने हमारा 50 घन मीटर पत्थर श्री अरशद जमील, ठेकेदार के नाम माप कर दिया और आपने अब तक इसकी कोई जांच नहीं की ।

4--हमें भय है कि किसी प्रकार हमारा पत्थर श्री अरशद जमील, ठेकेदार के नाम अनजाने में नाप सकता है। इसी प्रकार सही चीज जानने के लिए श्री अरशद जमील, ठेकेदार की पत्थर की आपूर्ति भी बन्द कर दी जावे। श्री अरशद जमील, ठेकेदार ने मेरे 750 ट्रक के विरुद्ध 500 ट्रक 10-6-80 तक आपूर्ति किए हैं ।

5--दिनांक 15-6-80 को वार्तालाप में विभाग ने पत्थर की आपूर्ति बन्द करने के लिए न कह कर आपूर्ति की गति बढ़ाने के लिए कहा। कम्पनी को पत्थर की आपूर्ति बन्द करने के आदेश पाकर अचरज हुआ।

6--वर्षा किसी समय हो सकती है, अत: रिवर बेड में एकत्रित समस्त पत्थर के चट्टों की माप शीघ्र लें।

विभाग ने न तो बिना मापा गया पत्थर किसी कार्य पर प्रयोग किया और न ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। विभाग का पत्थर के ट्रकों से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि पत्थर मापने का यह आधार नहीं है। स्थल पर पत्थर के चट्टे मापने का वास्तविक आधार है ।

विभाग में श्री अरशद जमील, ठेकेदार के नाम आपका कोई पत्थर कभी नहीं मापा। वास्तव में आपका चट्टा लगाने का स्थान श्री अरशद जमील, ठेकेदार के स्थान से अधिक दूर है ।

जैसाकि ऊपर कहा गया है पत्थर के माप का आधार ट्रक नहीं हो सकता, केवल माप पुस्तिका में पत्थर की माप चट्टों के आधार पर अंकित होती है।

आपसे पत्थर की आपूर्ति बन्द करने के लिए मौखिक रूप से भी कहा गया था परन्तु अब आप इसे नकार रहे हैं ।

कोई मन्तव्य नहीं ।

पी०एस०यू०पी०--एल० 323 विधान सभा-(654)-1987-813।